खण्ड-371, अंक-9
गुरूवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1907
(8 अगस्त, 1985 ई0)

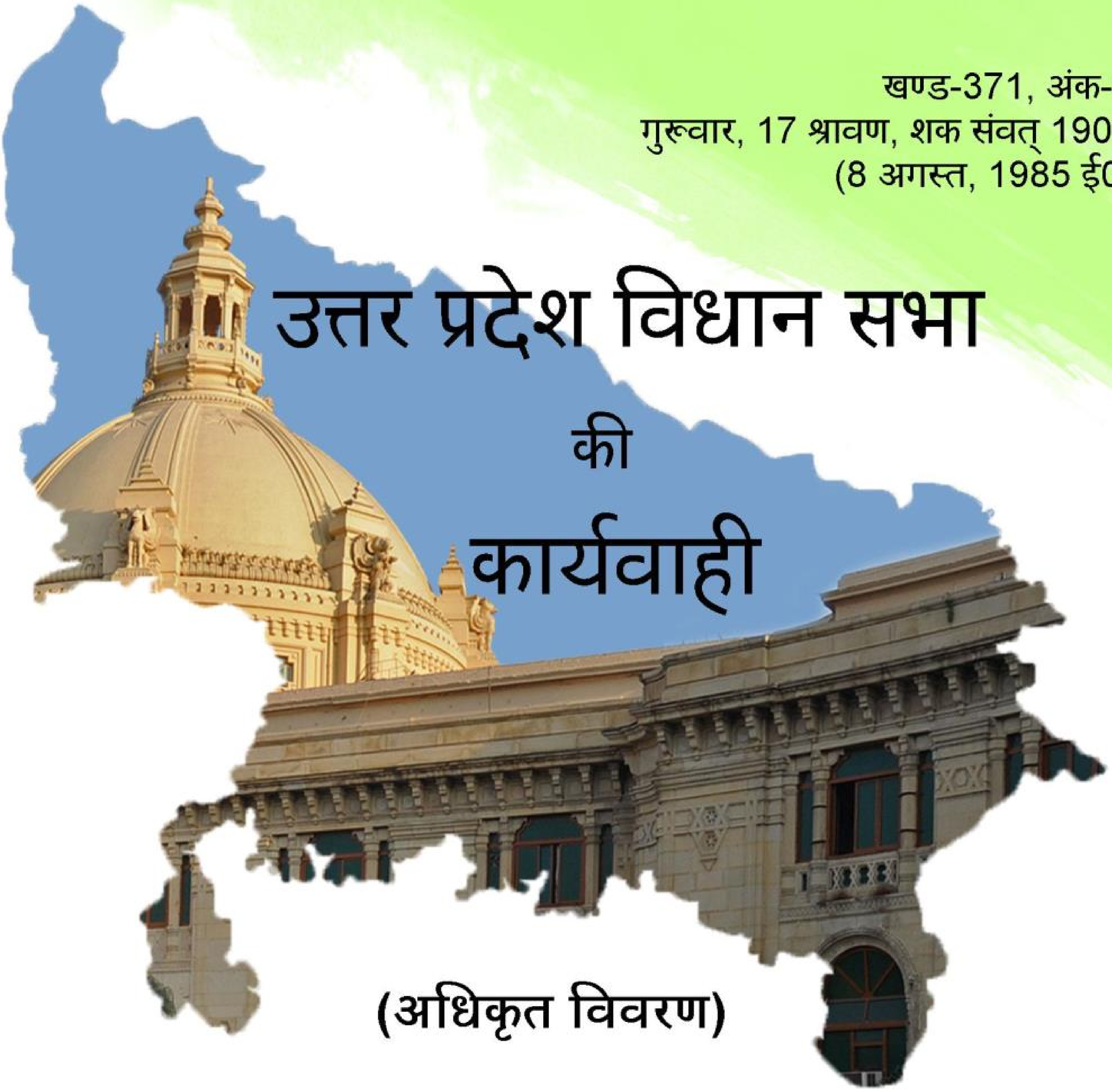

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 371 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1
प्रश्नोत्तर ..	3--38
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	39--42
बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, इलाहाबाद में व्याप्त अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	43
गोरखपुर मे 'राज टाकीज' के गेट कीपर श्री छेदी लाल यादव की अराजक तत्वों द्वारा हत्या किये जाने तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	44
बलिया जिले में निराश्रित विधवाओं को पेंशन मिलने में कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	44
नत्थूपुर, आजमगढ़ में बाढ़ सुरक्षा हेतु निर्मित सड़क में कमजोर ईंट, के प्रयोग तथा घोटाले के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	45
प्रदेश के बुनकरों की जनता धोती न खरीदे जाने तथा भुगतान न होने से उनमें भुखमरी होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	45
कानपुर में मूलगंज थाना हवालात से कुख्यात चोर चन्द्रपाल के गायब होने तथा पुलिस कर्मियों के आपसी संघर्ष से जनता में आतंक के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	46
सिसवा, गोरखपुर के कतिपय गांवों को भौरहिया नदी के पानी से खतरा होने तथा उनकी सुरक्षा की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47
वाराणसी जनपद में कोउरत बाजार और कोउराजपुर के बीच वरुणा नदी पर पुल बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47
प्रदेश के प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति न होने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47--48
विशेषाधिकार की सूचनाओं का कार्यसूची में न आने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	48--49
तारांकित प्रश्न 6 एवं 10 के आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	50
उपाध्यक्ष, विधान सभा का पद रिक्त होने की दशा में अधिष्ठाता मण्डल का गठन असंवैधानिक होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी) ..	50
शासन द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा करने के आश्वासन के बावजूद भी बांदा में पत्रकारों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	51--52
उपाध्यक्ष, विधान सभा का पद रिक्त होने की दशा में अधिष्ठाता मंडल का गठन असंवैधानिक होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	53--70

विषय | पृष्ठ-संख्या

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (जारी) .. 71

श्री देव कुमार यादव के स्पष्टीकरण की नोटिस न लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. 71—72

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) .. 73

आज की कार्यसूची की मद संख्या 10, 11 तथा 12 के स्थगन का अनुरोध

श्री देवकुमार यादव के स्पष्टीकरण की नोटिस न लिये जाने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय .. 137

नियम 51 की सूचनायें .. 138

आज की कार्य सूची की मद संख्या 10, 11, व 12 का स्थगन .. 138

नस्थियां .. 139—141

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 8 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अतर सिंह यादव, श्री — एटा
अमरनाथ सिंह, श्री — फतेहपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — झांसी
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
काशी सिंह ऐरी, श्री — पिथौरागढ़
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री — सीतापुर
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गोपीनाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गौरी शंकर, श्री — इटावा
चारु शीला, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
जय नारायण शर्मा, श्री — मेरठ
तिलक सिंह, श्री — अलीगढ़
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
नंगाराम, श्री — खीरी
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री — कानपुर
पद्मा सेठ, श्रीमती — सीतापुर
फजले मसूद, श्री — देवरिया
फूल सिंह सोदाई, श्री — मुजफ्फरनगर
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले', श्री — बुलन्दशहर
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री — वाराणसी
रघुवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रजनीकान्त, श्री — वाराणसी
रतन स्वरूप, श्री — बुलन्दशहर
राज बहादुर, श्री — जौनपुर
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — बुलन्दशहर
राजेश कुमार खैरा, श्री — ललितपुर
रामनरेश, श्री — मैनपुरी
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
रीना कुमारी, श्रीमती — मुरादाबाद
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री — गोरखपुर
शिवनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
संजय सिंह, राजकुमार — सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री — गाजियाबाद
सन्तन बड़थ्वाल, श्री — चमोली
समरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सैयद अली अशरफी, श्री — पीलीभीत
सैयद सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
हर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री — मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
हरिश चन्द्र 'हरीश जी', श्री — बस्ती

नोट :—श्री अरुण कुमार सिंह—
सहकारिता मन्त्री

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

बृहस्पतिवार, दिनांक 8 अगस्त, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

धान की कीमत निर्धारण संबंधी संस्तुति

**1—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्पादित धान की आगामी फसल की कीमत निर्धारित करने हेतु उन्होंने अपनी संस्तुति केन्द्रीय सरकार को भेज दी है ? यदि हां, तो धान का संस्तुत मूल्य क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

जी हां ।

जनहित में यह बताना उचित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में । मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था वह आप देखें । मैंने यह पूछा था कि "क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्पादित धान की आगामी फसल की कीमत निर्धारित करने हेतु, उन्होंने अपनी संस्तुति केन्द्रीय सरकार को भेज दी है ?" माननीय मंत्री जी ने कहा, भेज दी है । उसके आगे मेरा प्रश्न था, "यदि हां, तो धान का संस्तुत मूल्य क्या है ? केवल यह मेरा प्रश्न था । उसमें माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि "जनहित में यह बताना उचित नहीं है ।" तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है जो माननीय मंत्री जी छिपाना चाहते हैं । मान्यवर, प्रदेश की जनता चाहती है कि उसे अपने धान का उचित मूल्य मिले । मान्यवर, ऐसी बात तो नहीं है कि आपने संस्तुति किया ही न हो ? यदि आपने संस्तुति की है, तो उसमें ऐसी कौन सी बात निहित है जो आप छिपाना चाहते हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, छिपाने की कोई बात नहीं है, वह सम्मानित सदस्य जानते हैं कि मूल्यों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार करती है, इसकी घोषणा केन्द्रीय सरकार करती है और प्रदेश सरकारें तो अपनी राय देती हैं और प्रदेश सरकार इसके बारे में अपनी राय भेज चुकी है । मान्यवर, इसके बारे में जब केन्द्रीय सरकार घोषणा करेगी, तो सभी को अवगत हो जायगा और आपको भी अवगत करा दिया जायगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह जनहित में कौन सी ऐसी बात है मूल्य छिपाने की, कौन सी ऐसी बात है जो बताना उचित नहीं है ? मान्यवर, पहले भी इस तरह के सवाल हुये हैं और यह बताया गया है कि प्रदेश सरकार ने कितना मूल्य निर्धारण करने की संस्तुति की है, उसको मानना या न मानना केन्द्रीय सरकार का काम है । तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें जनहित की कौन सी बात है, जो इसको बताने में दिक्कत हो रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, पूरे देश की स्थिति को देख कर इस पर विचार करके केन्द्रीय सरकार फैसला करती है। हमारे मित्र रेवती रमण सिंह जी स्वयं मंत्री रहे हैं, वह बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि अगर अभी से हम यह जानकारी दे दें, तो एक असमंजस की स्थिति, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लिहाजा यह जनहित में उचित नहीं है कि अभी से इसको बता दिया जाय। लेकिन इतना मैं विश्वास के रूप में आपसे कहना चाहता हूं कि कोई गलत, बेईमानी की बात नहीं है, कोई छिपाने की बात नहीं है, हमने अपनी संस्तुति पहले अप्रैल के महीने में भेजी थी और अभी जुलाई में जब दुबारा उधर से पूछा गया था, तो हमने दुबारा भी अपनी संस्तुति भेज दी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जनहित में बताना आवश्यक नहीं समझा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और आश्वासन चाहूंगा कि जो राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को संस्तुति भेजी है। यदि मूल्यों के निर्धारण करने में राज्य सरकार उससे कम मूल्य निर्धारित करती है, तो क्या माननीय मंत्री जी अपने खजाने से, जो निर्धारण में कमी होगी, उसको किसानों को देने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मूल्यों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार करती है। राज्य सरकार तो सिफारिश करती है हमने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और जो अभी हमारे माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कहा, वह काल्पनिक प्रश्न है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मैं आश्वासन चाहता हूं। क्या होने पर मंत्री जी देंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के हवाले से संबंधित कहना चाहता हूं कि मई जुलाई माह अप्रैल में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार ने संस्तुति भेजी है, मूल्यों को निर्धारण करने के बारे में आधार क्या है ? उसमें कौन-कौन से मानक तय किये गये हैं, जो सिफारिशों में मानक हैं, उनको मंत्री क्या सदन में बतायेंगे ? उन्होंने मानक में कौन-कौन से आधार बनाये हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जो सिफारिशें की गई, उसमें कई बातें सामने रखी गयी जैसे मानवीय श्रम, पशु श्रम, मशीन श्रम, बीज का मूल्य, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां भूमि का क्रय और इसके अतिरिक्त जो लागत, जो लोन लिया है किसानों ने, उसका ब्याज, इसके अलावा जोखिम, विपणन लाभांश इन तीनों की जो उत्पादन लागत आई उसमें 20 प्रतिशत बढ़ाकर संस्तुति की मांग की है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि जो उन्होंने संस्तुति की है वह पिछले साल से अधिक है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उत्पादन लागत में, जो कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है उसको ध्यान में रखा गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि 20 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी करके सिफारिश की गयी है। जब सारी गोपनीयता पता हो गयी तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सिफारिशें क्या हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

चूंकि माननीय सदस्य ने आधार पूछे थे इसको हमने बताया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

उत्पादन लागत क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मैं पहले कह चुका हूं कि जनहित में बताना उचित नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, उत्पादन लागत बता दीजिये।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जो भाई शतरुद्र प्रकाश जी पूछ रहे थे हमने बहुत विस्तार से बताया कि इन-इन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर मूल्य संबंधी सिफारिशें रखी जाती हैं। इसके बाद किसानों के हित का पूरा ध्यान रखा जाता है। तीन मद हमने बताये थे जोखिम, विपणन और उत्पादन लागत। तीनों चीजों का ध्यान रखा है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैं आपका ध्यान माननीय मंत्री जी के उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा है कि बहुत सोच विचार करके मूल्य की सिफारिश की गई है। इसमें कृषि विश्वविद्यालयों से मंत्री जी ने राय ली होगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय ने कितनी उत्पादन लागत प्रति कुंतल धान की बताई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यह सही है, जैसा बरार साहब ने कहा। कृषि विश्वविद्यालयों से सलाह ली गई है। लेकिन उसको बताना जनहित में उचित नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों ने भी धान का मूल्य निश्चित करने हेतु संस्तुति की है। उत्तर प्रदेश ने जो संस्तुति की है वह सारे प्रदेशों से कम है इसलिये इसको छिपा रहे हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अन्य प्रदेशों ने क्या संस्तुति की है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हमने अपने प्रदेश की स्थिति को ख्याल में रखते हुये किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये सिफारिश की है। इसके लिये प्राइस एडवाइजरी कौंसिल है, जिसके तीनों विश्वविद्यालय के कुलपति सदस्य हैं, हमारे मंत्रि परिषद् के कई सम्मानित सदस्य, उसके सदस्य हैं। पूरी तरह से विचार करने के बाद निश्चित किया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

किसान का भी कोई प्रतिनिधि है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्राइस एडवाइजरी कमेटी में 2 प्रतिनिधि किसान के भी रखे जायेंगे।

उप निदेशक, श्री बदन सिंह, फैजाबाद, श्री सूर्यपाल सिंह, वाराणसी तथा श्री बहमानन्द, लखनऊ के विरुद्ध लगाये गये आरोप

**2—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ के उप कृषि निदेशकों को संभवित भ्रष्टाचार के आरोपों में अभी हाल में चार्जशीट दी गई है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध मुख्य आरोप क्या है ? क्या यह सही है कि कृषि उप निदेशकों की पदोन्नति एवं स्थानान्तरण को मुख्य मंत्री द्वारा 30 जुलाई, 85 तक के लिए रोक दिया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उप कृषि निदेशक, फैजाबाद (श्री बदन सिंह) को दिनांक 20-9-82 को आरोपित किया गया था । उप कृषि निदेशक, वाराणसी (श्री सूर्यपाल सिंह) को दिनांक 2-7-85 को आरोपित किया गया है तथा उप कृषि निदेशक, लखनऊ (श्री बहमानन्द) को दिनांक 4-7-85 को आरोपित किया गया है ।

उक्त तीनों अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विवरण निम्नवत् हैं—

(1) उप कृषि निदेशक, फैजाबाद (श्री बदन सिंह) को उनके वर्ष 1979-80 में गण्डक कमाण्ड के अन्तर्गत कार्यवधि में रु0 1,80,730.00 का त्रिपाल एवं छोलदारी के क्रय की अनियमितताओं से संबंधित निम्न आरोपों के लिए दिनांक 20-9-82 को आरोपित किया गया है :

(क) त्रिपाल/छोलदारी के क्रय हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं बजट-आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव न करना ।

(ख) त्रिपाल/छोलदारी के क्रय हेतु शासन की स्वीकृति एवं धन का आवंटन प्राप्त किये बिना क्रय करना ।

(ग) बिना उद्योग विभाग के रेट-कान्ट्रैक्ट अथवा स्वीकृति के क्रय करना ।

(घ) क्रय से पूर्व त्रिपाल/छोलदारी की आवश्यकता एवं औचित्यता का आंकलन न करना ।

(ङ) अविवेकपूर्ण क्रय से व्यय हुई धनराशि का अकारण अप्रत्यक्ष रूप से भार कृषकों पर पड़ना ।

(च) अनुपयोगी क्रय के फलस्वरूप प्राधिकारी की भारी धनराशि की हानि के अतिरिक्त धन अवरुद्ध हो जाना ।

(2) वर्तमान में उप कृषि निदेशक, वाराणसी (श्री सूर्यपाल सिंह) को वर्ष 1982-83 में उनके उप कृषि निदेशक, फैजाबाद के कार्यकाल में क्रय किये गये त्रिपालों की अनियमितताओं से सम्बन्धित निम्न आरोपों के लिए दिनांक 2-7-85 को आरोपित किया गया है—

(क) उप कृषि निदेशक, फैजाबाद के कार्यकाल में 40 त्रिपालों के क्रय में शासकीय नियमों का उल्लंघन करना ।

(ख) त्रिपाल के क्रय में शासन के आदेशों का उल्लंघन करने तथा कार्यालयाध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन न करना ।

(ग) त्रिपाल क्रय में तथ्यों को छिपाने, कार्य में लापरवाही करने, उदासीनता बरतने तथा आय-व्ययक नियम संग्रह के अध्याय-13 का नियम-107 का पालन न करना ।

(घ) त्रिपाल क्रय में नियम-विरुद्ध कार्य करके शासन को रु0 32,240.00 की क्षति पहुंचाना ।

(ङ) त्रिपालों के क्रय में निजी स्वार्थवश समय-समय पर तथ्यों को छिपाकर गलत सूचना देना ।

(3) वर्तमान में उप कृषि निदेशक, लखनऊ (श्री ब्रह्मानन्द) को उनके उप कृषि निदेशक, मेरठ के कार्यकाल के निम्नलिखित आरोपों के लिए दिनांक 4-7-85 को आरोपित किया गया है:—

(क) श्री सत्येन्द्र मोहन सिंह की कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनियमित नियुक्ति करना ।

(ख) राम अवतार सिंह को कृषि रक्षा अनुभाग मेरठ कार्यालय में पद रहते हुए कनिष्ठ लिपिक के पद पर समायोजित न करके उच्चादेशों की अवहेलना ।

(ग) श्री भूपाल सिंह को सामान्य शाखा से कृषि रक्षा शाखा में अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर स्थानान्तरित करना ।

(घ) श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा की कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनियमित नियुक्ति करके अधिकार-सीमा का उल्लंघन ।

(ङ) श्री राजशेखर शर्मा की अगस्त, 81 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनियमित नियुक्ति करके श्री शर्मा को अनुचित लाभ पहुंचाना ।

(च) पद का दुरुपयोग करते हुये अधीनस्थ कर्मचारियों को अकारण परेशान करना ।

(छ) पद का दुरुपयोग करके श्री भीष्म सिंह, कृषि रक्षा परिवेक्षक, रुड़की को अनुचित संरक्षण प्रदान करने तथा विवेक से कार्य न करने एवं रु0 12,000.00 मूल्य के रसायनों के शासकीय धन का दुर्विनियोग कराने ।

(ज) पद का दुरुपयोग कर एक कर्मचारी को बार-बार स्थानान्तरित करना तथा अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करना ।

(झ) ढुलाई संबंधी निर्देशों के विपरीत कार्य करने व उच्चादेशों की अवहेलना ।

(अ) ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने व रु0 14,327.43 का अधिक व दोहरा भुगतान कर शासकीय क्षति पहुंचाना ।

(ट) स्वार्थ पूर्ति करके रु0 629.60 का भुगतान करके अनुचित लाभ ठेकेदार को पहुंचाना एवं बीज भंडार प्रभारियों को रु0 629.60 का नुकसान पहुंचाना ।

(ठ) वित्तीय नियमों का पालन न करना, कर्त्तव्यों का निर्वाह न करना,

ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाकर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना । जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उप निदेशक कृषि 3, लखनऊ, फैजाबाद एवं वाराणसी पर कितने गम्भीर आरोप हैं । मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक इनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, प्रारम्भिक जांच हो चुकी है और उनको चार्जशीट दी जा चुकी है । मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ही उनके मसले पर निर्णय होगा और जो भी होगा, उसके खिलाफ आवश्यक और मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद अग्रहरि—

मान्यवर, इन डिप्टी डायरेक्टर, फैजाबाद के संबंध में पिछले 82 में यह मामला यहां पर आया था । उस समय शासन ने आश्वासन दिया था कि अगर ये दोषी पाये गये तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायगी । सन् 82 में चार्जशीट हुई और आज 85 हो रहा है लेकिन चार्जशीट लटकी हुई है । जो डिप्टी डायरेक्टर, लखनऊ हैं, उनके खिलाफ मेरी निश्चित जानकारी है कि सम्प्रेक्षा अधिकारी ने 32 लाख का मामला बनाया है और जांच शुरू रही तो यह एक करोड़ रुपये के ऊपर का मामला बन जाया है । ऐसा यह भ्रष्ट अधिकारी है जिसके खिलाफ प्राग्दर्शन में आरोप सिद्ध हो चुका है । डिप्टी डायरेक्टर, लखनऊ को जो चार्जशीट दी है, यह मेरे प्रश्न के उत्तर में दी है । दो साल पहले तत्कालीन कृषि निदेशक ने उनके खिलाफ यह लिखा था कि चार्जशीट दी जाय, लेकिन 2 साल तक चार्जशीट नहीं दी गयी, और इस बीच में अवसर दिया गया कि वह ज्यादा से ज्यादा घपला करें । 30 लाख अभी तक पता चल चुका है और एक करोड़ तक जाने वाला है, तो शासकीय धन का दुरुपयोग करने वाले ऐसे अधिकारी को तत्काल निलम्बित कर उनको वर्तमान स्थान से हटाकर सारे मामले की जांच सी0 आई0 डी0 को देने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि प्रारम्भिक जांच के बाद उन्हें चार्जशीट दी गयी है । वह उसका जवाब देंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी, विभाग को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी मसले पर विलम्ब न किया जाय और सारे मामलों का निस्तारण बहुत तेजी से किया जाय और यह निर्देश दिया है कि एक अभियान चलाकर जो मामला विचाराधीन है, उसको जल्दी से निस्तारित किया जाय । मान्यवर, माननीय सदस्य अग्रहरि जी ने जो दण्ड देने की बात कही, अगर उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित हो जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी । जो सरकार कर सकती है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इतनी लंबी चार्जशीट पढ़ी । इतना बड़ा आरोप पढ़ा तो मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं कि प्राग्दर्शन में, आप भी वकील रहे हैं, अब दुर्भाग्य से मंत्री बन गये हैं, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि प्राग्दर्शन

में उनके खिलाफ यह आरोप प्रमाणित हो गया है कि अमुक-अमुक भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने किये हैं, तो मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको निलम्बित करने में आपको क्या कठिनाई है ? दूसरी बात अगर आप उनको निलम्बित नहीं करते हैं तो जो जांच आप कर रहे हैं, उसको वे प्रभावित करेंगे। अगर यहां पर यह प्रश्न न आया होता तो उनकी प्रोन्नति भी हो जाती और आप उन पर अंकुश नहीं लगा पाते। क्या उन्हें निलम्बित करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि प्रारम्भिक जांच के बाद उन्हें आरोप-पत्र दिये जा चुके हैं। आरोप पत्र का वे जवाब देंगे। उसकी एक प्रक्रिया है। हमारी तरफ से किसी के साथ कोई मुरव्वत करने की बात नहीं है।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, फैजाबाद के उप कृषि निदेशक को 20-9-82 को आरोपित किया जा चुका है, अभी तक निलम्बन नहीं हुआ। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इनके विभाग में क्लास वन आफिसर्स के प्रमोशन होने वाले हैं, अभी कोई प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। कहीं इसके पीछे यह साजिश तो नहीं है कि इन लोगों के मामले को लम्बित करते चला जाय ताकि विभाग में जो प्रमोशन हों उन प्रमोशन में यह लोग लाभ उठा ले जायं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

ऐसा कोई ख्याल नहीं है। न ऐसा कोई इरादा है। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रमोशन के लिये एक विभागीय समिति बनी हुई है, उसकी बैठक भी तय हुई थी। लेकिन, बदकिस्मती से कृषि उत्पादन आयुक्त उस दिन अस्वस्थ हो गये, जिस कारण वह नहीं हो सका। ऐसा कोई इरादा रोकने का नहीं है। माननीय सदस्य बिल्कुल निश्चिंत रहें।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

निलम्बन तो इनक्वायरी करने के बाद करेंगे। ड्राइंग डिस्बर्सिंग पावर तो किसी भी डिप्टी डायरेक्टर से नहीं लिया गया है जबकि इतनी वित्तीय अनियमितताओं की बात सिद्ध हो चुकी है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

आरोप पत्र देने के बाद वे जवाब देंगे। अभी यह आरोप प्रमाणित नहीं है। जिस समय यह प्रमाणित हो जायेगा, उसी समय सारी कार्यवाही हो जायेगी।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के समय व्यवस्था की कोई बात नहीं है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का हक सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी है। आप कृपया इधर भी देख लिया करें।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के

[नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला महिला अस्पताल, फतेहगढ़ में महिला रोगी श्रीमती सरला देवी तथा श्रीमती शिवजानकी की मृत्यु

*1.—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला महिला अस्पताल फतेहगढ़ में भर्ती महिला रोगी श्रीमती सरलादेवी और शिवजानकी को सितम्बर, 1984 में लोमोहेक्स के स्थान पर कैरोसिन आयल का इंजेक्शन चढ़ा दिया गया जिसके कारण दोनों महिला रोगियों की मृत्यु हो गयी ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में दोषी जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

सितम्बर 1984 में श्रीमती सरला देवी तथा श्रीमती शिवजानकी नाम की कोई रोगी महिला अस्पताल फतेहगढ़ में भर्ती नहीं हुई

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के उत्तर में आपकी आज्ञा से कुछ संशोधन करना चाहता हूं ।

मान्यवर, अब उत्तर इस प्रकार है—

दिसम्बर, 1983 में श्रीमती सरला देवी तथा श्रीमती शिवजानकी नाम की रोगी महिला अस्पताल फतेहगढ़ में भर्ती हुई ।

दूसरे भाग का उत्तर यथावत् है प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मुझे संशोधित उत्तर तो दिया नहीं गया था । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधित उत्तर दिया है, उसमें यह स्वीकार किया है कि श्रीमती सरला देवी और श्रीमती शिवजानकी महिला चिकित्सालय, फतेहगढ़ में भर्ती हुई थी । मेरा प्रश्न यह है कि उनको वहां पर लोमोहेक्स के स्थान पर कैरोसिन आयल की इंजेक्शन दी गई जिससे श्रीमती सरलादेवी की मृत्यु हो गई लेकिन इससे आपने इनकार कर दिया है । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि वहां पर इसकी जांच हुई और वहां की महिला अधीक्षिका ने उस जांच अधिकारी का स्थानान्तरण करके बीच में ही जांच को रुकवा दिया । वह बोतल सील करके रख दी गई, जिसमें कैरोसिन आयल था । दूसरी महिला श्रीमती शिवजानकी जिसकी हालत ज्यादा गम्भीर हो गई थी, वह बाद में सरीन प्राइवेट नर्सिंग अस्पताल में भर्ती हो गई । जब वहां के डाक्टर ने जांच की तो, उसने भी बताया कि उसके शरीर में कैरोसीन आयल था । 7 बार उस महिला अधीक्षिका का स्थानान्तरण रोक दिया गया है । इसकी जांच ज्वाइन्ट डाइरेक्टर ने की । इन तथ्यों को देखते हुए और जो डेथ सार्टीफिकेट दिया गया, वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाय, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया गया । इन सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, जब आपने संशोधित उत्तर दिया ही है तो मंत्री जी मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आपका उद्देश्य जनहित के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखने का होना चाहिए । कौन अधिकारी इस मामले में दोषी है, इस उत्तर को इन-कम्पलीट मानते हुए इसकी दोबारा जांच

कर इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर पुनः उत्तर देने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् सम्मानित सदस्य ने सितम्बर, 1984 लिखा था, जबकि 1984 में कोई इस नाम की महिला वहां पर भर्ती नहीं हुई थी। इसलिए मैंने संशोधन किया और झूठ नहीं बोला। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि सफेद झूठ बोला है।

माननीय सदस्य ने कहा कि लोमोडेक्स के स्थान पर कैरोसीन आयल की ड्रिप लगाई गयी, सत्य नहीं है। यह सही है कि लोमोडेक्स ड्रिप लगाई गई पहली महिला को, तो दो बूंद ड्रिप जाने के बाद, उसका रिएकशन शुरु हो गया और ड्रिप निकाल दी गयी। उस महिला की नार्मल डिलीवरी हुई 8 तारीख को। यह जिस दिन हुआ उस दिन फतेहगढ़ महिला चिकित्सालय के अंतर्गत बिजली नहीं थी। यह भी सही है कि उस दिन जो डिलीवरी केसेस किये गये वे सब मोमबत्ती, लालटेन आदि में किये गये, जो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं होना चाहिए था। यह भी सही है कि दूसरी महिला जो आई उसे भी उसी बोतल से ड्रिप लगाया गया और उसे भी रिएक्शन हो गया और ड्रिप को निकाल दिया गया। यह भी सही है कि जो वह ड्रिप आई थी, जब उसकी खोज की गई तो वह वहां से लापता थी। यह मुझे जानकारी मिली, इसलिए मैंने इस उत्तर में संशोधन किया। घटना 1983 की है। पहली महिला मर चुकी है। डिलीवरी होने के 26-28 घंटे बाद वह मरी है। डाक्टरों का कहना है कि डिलीवरी केसेस ऐसे होते हैं, उसमें कभी-कभी हृदय तन्तुओं में और फेफड़ों में वायु सेल चले जाते हैं, जो इस महिला में भी चले गये थे, जिसके कारण उसकी चिकित्सा उपचार किये जाने के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। दूसरी महिला जो रात भर ठीक रही वह दूसरे दिन अस्पताल छोड़कर चली गई। माननीय सदस्य का यह कहना भी सत्य है कि वह किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर एडमिट हो गई थी जहां उसकी डिलीवरी हुई। यह महिला अगस्त, 1985 तक जीवित है। मैं सोचता हूं कि किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं सोचता कि इसमें किसी जांच की आवश्यकता है क्योंकि विलम्ब बहुत हो चुका है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो जो जांच कहेंगे, करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने जनहित में काफी खोजबीन की इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। ड्रिप वहां पर लापता पायी गई, तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार डाक्टर हैं, दोषी हैं, उन्होंने तथ्यों को छिपाने की कोशिश की। इसलिए इसकी जांच कराइये और जो ड्रिप गायब हुई है वह कैसे हुई ? क्योंकि जो वहां के अधीक्षक हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हुई या नहीं ? इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें। क्योंकि इसी तरह से ड्रिप गायब कर दें और हमारे घर की महिलायें मरती रहेंगी इसलिए इसकी जांच करा लें और प्रश्न को स्थगित करा दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वह बोतल नहीं है, वह महिला नहीं है....

श्री राजेन्द्र गुप्त—

इसके लिए वह अधिकारी दण्डित किया जाय।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

लेमोडेक्स की बोतल ही चली गयी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मंत्री जी ने जो खोजबीन की उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं लेकिन एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वह लोमोडेक्स जो चढ़ाया गया वह सरकारी अस्पताल की सप्लाई थी या बाजार से खरीद कर लगायी गयी थी ? इसकी जांच करायी गयी ? और जो रिएक्शन हुआ उसका कारण क्या था, इसकी जांच करायी गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वह सरकारी लोमोडेक्स नहीं था । वह महिला के परिवार वालों ने बाजार से खरीद कर दिया था ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

जो ड्रिप दिया गया, महिला नहीं रही, क्या वहां के अस्पताल के अधिकारियों की जांच करायी गयी ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मंत्री जी ने यह कहा कि आज वह महिला नहीं है, बोतल चोरी हो गई है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस जांच में एक तो उस महिला का रहना क्या आवश्यक है जब कि तथ्य को छिपाना उससे बड़ा अपराध है ? बोतलों को गायब कर दिया गया दूसरे मंत्री जी ने कहा अपने उत्तर में कि दूसरी औरत को भी वही ड्रिप लगी, यह दूसरा अपराध हुआ । इसमें लगता है कि यह जानबूझ कर किया गया । महिला के न रहने पर क्या जांच नहीं हो सकती ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए दोनों बिन्दुओं पर एक बार ड्रिप निकाला जाना और दूसरी बार फिर वही लगाया जाना, बोतल को गायब कर देना, इसकी जांच आवश्यक है । इसीलिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्न को स्थगित करने के पक्ष में मैं नहीं हूं । हां जांच मैं करा देता हूं इसकी सी0 आई0 डी0 से, क्यों कि बहुत पुराना मामला है, उसी से साफ हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है । सी0 आई0 डी0 से सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मूल सवाल यह है कि जैसा मैंने पहले कहा था आज जब माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, उस समय इसकी इन्क्वायरी हुई । जिस समय अपराध हुआ था उस समय ही जांच क्यों नहीं की गयी थी ? जिस समय प्रदर्शन हुआ, सारी चीजें देखी गयीं, उस समय मामला दबा दिया गया । जांच दबाने में जिन-जिन वरिष्ठ अधिकारियों का हाथ रहा है, उनके खिलाफ भी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शासन के संज्ञान में सम्मानित सदस्य के प्रश्न पर आया । 82-83 में ऐसी कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई थी नहीं तो सम्मानित गुप्त जी मुझे छोड़ते न होते ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में रोगी श्री खान चन्द्र की मृत्यु

*1—श्री किरन पाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खान चन्द्र पुत्र श्री जयपाल सिंह, निवासी ग्राम काजीपुरा, थाना कोतवाली चांदपुर, जनपद बुलन्दशहर को जिला चिकित्सालय में 9-5-84 को दुर्घटना के बाद गम्भीर हालत में भर्ती किया गया था ? क्या श्री खान चन्द्र को 12-5-84 को चिकित्सालय की छकड़ा एम्बुलेंस में डालकर जबरदस्ती दिल्ली के लिए भेज दिया गया था तथा क्या उक्त श्री खान चन्द्र के साथ एम्बुलेंस में जिला चिकित्सालय का कोई चिकित्सक या कम्पाउण्डर या नर्स साथ गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त श्री खान चन्द की रास्ते में मृत्यु होने के बाद उसकी लाश को जिला चिकित्सालय का कर्मचारी, जबरदस्ती सड़क पर फेंक कर एम्बुलेंस वापस लेकर आ गया था ? यदि हां, तो उक्त संबंध में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री खान चन्द्र पुत्र श्री जयपाल सिंह को दिनांक 9-5-84 को दुर्घटना के बाद गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में भर्ती किया गया ।

सम्पूर्ण दुर्घटना की विस्तृत जांच अपर निदेशक (चिकित्सा उपचार) द्वारा करायी गयी । जांच अवसर पर रोगी के पिता श्री जयपाल सिंह का भी लिखित बयान लिया गया । जांचोपरान्त जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिनांक 12-5-1984 को रोगी के पिता की इच्छानुसार रोगी को एम्बुलेंस से दिल्ली स्थित सफदर जंग अस्पताल ले जाया गया था अतः उनके साथ अस्पताल के किसी चिकित्सक, कम्पाउंडर या नर्स के जाने का प्रश्न नहीं उठता । अस्पताल पहुंचने से पहले थोड़ी दूरी पर रोगी खान चन्द्र की मृत्यु हो गयी । रोगी की मृत्यु होने के बाद लाश को मैटाडोर टैक्सी द्वारा मरीज के पिता द्वारा वापस बुलन्दशहर अस्पताल लाया गया क्योंकि लाश को एम्बुलेन्स से नहीं लाया जा सकता था । मृतक को सड़क पर नहीं फेंका गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न 25 जुलाई को आया था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इसको स्थगित कर दीजिये, जांच हो जायगी । कोई एतराज उस वक्त नहीं किया, जांच भी हुई और उस लड़के के मरने वाले के पिता को बुलन्दशहर से गांव से बुलाकर धमकी दी गयी कि लखनऊ में मुकदमा चलेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, फंस भी सकते हो, ऐसी धमकियां देकर लिखाकर अंगूठा लगवा लिया । मैं स्वयं मौजूद था, जांच के समय मुझसे भी जानकारी कर सकते थे । जब मरीज की हालत गम्भीर थी और वह अस्पताल की एम्बुलेंस में गया तो उस गम्भीर हालत में अस्पताल की किसी नर्स, डाक्टर या कम्पाउण्डर के जाने का क्या औचित्य नहीं था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, जब चिकित्सालय किसी मरीज की संस्तुति करता है दूसरी जगह जांच कराने या इलाज कराने के लिये, ऐसी परिस्थिति में चिकित्सालय के डाक्टर और बाकी मैडिकल स्टाफ एम्बुलेंस से या ट्रेन से जाता है, लेकिन जब मरीज स्वेच्छा से जाता है तो ऐसी परम्परा नहीं है कि चिकित्सक या सरकारी पैरा मैडिकल स्टाफ मरीज के साथ जाय ।

श्री किरनपाल सिंह—

परम्परा की बात नहीं है। इससे पहले सवाल में भी ऐसे ही उत्तर दिये गये थे। इस प्रकार की घटनाओं से 4-5 लोग रोज मरते हैं, लेकिन सवाल नहीं किया जाता। इससे 4-5 रोज पहले ही एक नसबन्दी शिविर लगा, एक गरीब हरिजन महिला की नसबंदी के दौरान साढ़े दस बजे मृत्यु हो गयी और उस अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उसकी लाश को रेल की पटरियों में दबा दिया। जब मुझे पता चला तो मैं भी मौके पर गया और मैंने पूछा कि आपने इस तरह से क्यों किया तो उन्होंने कहा कि यदि यह पता चल जाता लोगों को तो हमारा कैम्प असफल हो जाता इसलिये ऐसा करना पड़ा। तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि इसमें भी जिला अस्पताल के सुपरिन्टेन्डेन्ट की लापरवाही थी। जब जांचकर्ता वहां गये तो क्या प्रश्नकर्त्ता से उनको पूछताछ नहीं करनी चाहिये थी? यदि प्रश्नकर्त्ता से उन्होंने नहीं पूछा तो इसका क्या कारण था?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, जिस बालक की मृत्यु हुई उसके पिता का बयान है, उसने कहा कि इसे हम स्वयं लेकर दिल्ली जायेंगे क्योंकि हमारा लड़का 4 दिन यहां रहा और अच्छा नहीं हुआ, इसलिये मैं इसे सफदर जंग अस्पताल, दिल्ली ले जाना चाहता हूं। सफदरगंज अस्पताल वहां से दो किलो मीटर की दूरी पर है तो उसे वह वहां ले गये तो रास्ते में बालक की मृत्यु हो गयी। तब एम्बुलेन्स के सरकारी ड्राइवर ने कहा कि लाश को एम्बुलेंस में ले जाने का नियम नहीं है। हमने उसे दो-तीन सौ रुपए भी देना चाहा पर उसने लेने से इन्कार कर दिया और स्वयं एक मेटाडोर गाड़ी करके लाश को बुलन्दशहर अस्पताल के लिये रवाना कर दिया जहां पर लाश का पोस्टमार्टम हुआ। अब इसमें न तो सुपरिन्टेन्डेन्ट की और न किसी चिकित्साधिकारी की कोई गलती है और न उन्होंने कोई गैर जिम्मेदारी का काम किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य किरनपाल सिंह ने कहा कि जब उनका यह प्रश्न आया तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस प्रश्न की जांच कराने के लिये स्थगित कराया और कहा कि जब इसकी जांच की जायेगी तो माननीय सदस्य से भी सम्पर्क स्थापित किया जायेगा, मैं आदेश दूंगा कि प्रश्नकर्त्ता से भी इस संबंध में पूछ लिया जाय। तो मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जांच कराने वाले लोगों ने क्या किरनपाल सिंह से पूछा था? यदि पूछा था तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? यदि नहीं पूछा था, तो फिर क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

क्योंकि सम्मानित सदस्य से इसका पूछने का कोई औचित्य नहीं था। प्रश्न उस समय स्थगित कराया गया था और के लिये। अब जांच की रिपोर्ट मेरे सामने आ गयी है, उसके पिता का बयान मेरे सामने आ गया है। अब यदि और कोई चीज बाकी रह गयी हो तो उसे भी बतलाइये, उसे भी मैं करा दूंगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इस संबंध में माननीय विधायक से कोई पूछताछ हुई नहीं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें कि उनसे भी इस संबंध में पूछताछ कर ली जाय।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

श्री खान चन्द्र नामक जो लड़का था जिसकी कि मौत हो गयी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसके पिता का बयान है, तो क्या मंत्री जी उसके पिता की जो एप्लीकेशन है जिसमें उसने कहा है कि मैं अपने लड़के को दिल्ली ले जाना चाहता हूं, उसे पढ़ कर सुनायेंगे ? मैं आपको बतलाता हूं कि बुलन्दशहर अस्पताल का ट्रेडीशन हो गया है कि वे दिल्ली ले जाने के लिये लिख देते हैं कि अपने सर से टाल दो, ऐसे ही इस केस में किया होगा और कह दिया कि उसके बाप ने चाहा था । वहां का रोज का ही यह धन्धा है, कभी-कभी तो कोई दिल्ली नहीं ले जाना चाहता है लेकिन वहां के डाक्टर अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसे दिल्ली के लिये लिख देते हैं और उसे दिल्ली जाना पड़ता है, यह तो वहां का ट्रेडीशन हो गया है । तो मान्यवर, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि उसके पिता ने कौन सी एप्लीकेशन दी थी, कहां उसके दस्तखत हैं कि हम उसको ले जा रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, बालक के पिता यानि खान चन्द्र के पिता श्री जयपाल सिंह ने यह अपना बयान 2-8-85 को दिया, यह उपस्थित हैं, आज्ञा हो तो श्रीमन्, मैं पढ़ दूं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, बयान तो संदिग्ध है । बयान पर मुझे यकीन नहीं है । उस वक्त का कुछ हो कि मैं उसको दिल्ली ले जा रहा हूं, बयान तो एकतरफा है ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, उसके हस्ताक्षर हैं इसमें । आज तक चिकित्सा नियमावली के अन्दर ऐसा कोई नियम नहीं बना हुआ है शासन की तरफ से कि अगर कोई मरीज अस्पताल छोड़कर जाना चाहता है और शासन उसको बाध्य करे ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के पहले पार्ट को देखने की कृपा करें । इसमें लिखा है कि श्री खान चन्द्र पुत्र श्री जयपाल सिंह दिनांक 9-5-84 को दुर्घटना के बाद गम्भीर हालत में जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में भर्ती किया गया था । इसमें गम्भीर शब्द को मैं ले रहा हूं । उसके पश्चात् जवाब दिया है किसी नर्स को, डाक्टर को या कम्पाउण्डर को भेजने की आवश्यकता नहीं थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि हालत बहुत गम्भीर थी, दिल्ली इस केस को रिफर किया गया था और रोगी एम्बुलेंस से दिल्ली जा रहा था तो सुपरिंटेन्डेन्ट को या और जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने उसके साथ किसी डाक्टर को छोड़ कर किसी कम्पाउण्डर तक को नहीं भेजा, मैं तो समझता हूं कि यह नागरिकों के साथ खिलवाड़ है । मेरा प्रश्न यह है कि जब गम्भीर हालत में रोगी जा रहा है दिल्ली, तो क्या सुपरिंटेन्डेन्ट या सी0 एम0 ओ0 ने उसके साथ डाक्टर, नर्स, या कम्पाउण्डर क्यों भेजना मुनासिब नहीं समझा, क्या इस संबंध में माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे अगर नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, मरीज 9 तारीख को भर्ती हुआ और 12 तारीख को गया, 3 दिन रुका और तब तक वह स्थिति इतनी गम्भीर न रही होगी जो 9 तारीख को थी ।

(कई सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हो गये)

डाक्टर बंगाली सिंह—

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एम्बुलेंस जो मरीज को ले जा रही थी और मरीज रास्ते में खत्म हो गया . . .

श्री अध्यक्ष—

आपको मैंने बुलाया तो है नहीं ।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 3 दिन वह अस्पताल में रहा, आपने कहा कि 3 दिन में हालत ठीक हो गयी होगी । मान्यवर, वह गम्भीर हालत में था आप कल्पना कीजिए अस्पताल से निकलने के 2 किलोमीटर बाद शहर के कोने पर ही उसकी मृत्यु हो गयी उसकी हालत दयनीय थी । और आपने छुट्टी दे दी, एम्बुलेंस दे रहे हैं और किसी नर्स को नहीं भेजेंगे, तो यह अस्पताल है, क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, बुलन्दशहर में नहीं, सफदरजंग, दिल्ली से दो किलोमीटर दूर यह मृत्यु हुई है

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलती यहां पर होती है कि जो अधिकारी उत्तर लिखकर भेज देते हैं, वही परमात्मा की लेखनी हो जाती है यदि आप इस पर स्वयं विचार करें तो ऐसा जवाब नहीं देंगे । इसलिये मेरा सुझाव है कि मान्यवर इसको आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को भेज दें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आपकी जो आज्ञा होगी वह शिरोधार्य होगी । सारी चीजें हैं । लिखित बयान को पढ़ दूं तो सारी घटना सभी माननीय सदस्यों के सामने आ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झांसी के कर्मचारियों की नियुक्ति वा विरुद्ध शिकायती-पत्र

*2—श्री भागीरथ चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 14-5-85 का तार मऊरानीपुर ब्लाक व मंगरा इलाके में बी0 एच0 सी0 छिड़काव के लिए की भर्ती (चतुर्थ श्रेणी) में डिप्टी सी0 एम0 ओ0, झांसी, मलेरिया अधिकारी, झांसी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊरानीपुर के इंचार्ज द्वारा अनियमित रूप से नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी इस सम्पूर्ण चयन को निरस्त करने तथा चयन समिति के दोषी अधिकारियों को निलम्बित कर जांच कराने हेतु आदेश देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, उसमें की गई शिकायत के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर में छिड़काव सम्बन्धित दैनिक वेतन कर्मचारियों का चयन करने के लिए

सेवायोजन कार्यालय झांसी से नाम मंगाये गये थे तथा साथ-साथ ही स्थानीय दैनिक जागरण में भी दिनांक 9-5-85 को विज्ञापन दिया गया था। दोनों स्रोतों से प्राप्त नामों के आधार पर एक चयन समिति गठित की गयी थी जिसमें उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर थे। चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है एवं इसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भागीरथ चौधरी—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर में छिड़काव सम्बन्धित दैनिक वेतन कर्मचारियों का चयन करने के लिए सेवायोजन कार्यालय झांसी से नाम मंगाये गये, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मऊरानीपुर में सेवायोजन कार्यालय है, तो मऊरानीपुर से नाम न मंगाकर झांसी से क्यों मंगाये गये ? अधिकारियों ने झांसी को क्यों चुना कि वहां से नाम मंगाये जायें ? तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कृपा करके आप बतायें कि ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न साफ नहीं है। आप क्या पूछना चाहते हैं ?

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भागीरथ चौधरी—

मान्यवर, प्रश्न बहुत साफ है। इजाजत दें तो मैं फिर दुहरा दूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको बुला चुका हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर में स्वयं ही एक सेवायोजन कार्यालय है तो ऐसी स्थिति में सेवायोजन कार्यालय झांसी से नाम मंगाये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, सेवा नियोजन कार्यालय झांसी को पत्र गया और मऊ में नहीं गया तो 'जागरण' अखबार में वह विज्ञापित हुआ था। यह अखबार मऊरानीपुर और झांसी दोनों जगहों से निकलता है। झांसी से भी 'जागरण' की एक प्रति छपती है। तो श्रीमन्, यह कोई अनियमितता नहीं हुई।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, विज्ञापित होने का प्रश्न नहीं है। विज्ञापन होने से कोई नाम नहीं भेज सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी अर्थ का अनर्थ न करें। अपनी व्यक्तिगत शक्ति से सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश न करें तो ज्यादा अच्छा है। प्रश्न बिलकुल सीधा है। मऊरानीपुर में सेवायोजन

कार्यालय है यह मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है, तो झांसी से नाम मंगाने की क्या जरूरत थी ? दूसरी बात यह है कि जब सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाना ही था तो 'जागरण' में पब्लिकेशन की क्या जरूरत थी ? मान्यवर, दोनों प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। या तो आप अखबारों में ही विज्ञापित कर देते या फिर सेवायोजन कार्यालय से ही नाम मंगा लेते। इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ घपला जरूर है। क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की फिर से जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह अस्थायी नौकरी है और सितम्बर 85 में समाप्त हो जायेगी। 4 महीने के लिए छिड़काव के कार्य के लिए यह व्यवस्था की गयी थी। भविष्य में मैं आदेशित कर दूंगा कि अगर मऊरानीपुर में छिड़काव होना है तो मऊरानीपुर को भी नोटिस भेजी जायेगी।

[गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त, 1895 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ के विद्युत एवं अनुरक्षण सेल में टेक्नालॉजिस्ट पद हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

*1—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ के विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल में टेक्नालॉजिस्ट पद पर विनियमितीकरण हेतु लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद ने दिनांक 4 जून, 1980 को साक्षात्कार लिया था और उसका परिणाम शासन को दिसम्बर, 1981 में प्रेषित कर दिया था, इसे अभी तक घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उक्त टेक्नालॉजिस्ट आज तक उन पदों पर परिणाम घोषित न होने के कारण तदर्थ रूप से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित परिणाम को उसी दिनांक से मानकर उनके विधिवत समितीकरण का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल में टेक्नालॉजिस्ट पद हेतु लोक सेवा आयोग इलाहाबाद ने दिनांक 4 जून, 1980 को साक्षात्कार लिया और उसका परिणाम उन्होंने सितम्बर, 1981 में शासन को प्रेषित किया न कि दिसम्बर, 1981 में। उसी के आधार पर शासन ने प्रश्नगत विनियमितीकरण सम्बन्धी आदेश 15 दिसम्बर, 1981 को जारी कर दिये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पद

*2—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लगभग 250 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों हेतु निदेशालय द्वारा विज्ञापन किया गया है ? क्या यह सही है कि अब तक 'स्क्रीनिंग' व चयन के आधार तक निर्धारित न किये जा सके हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? विलम्ब के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

जी नहीं । आधार निर्धारित किये जा चुके हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह चयन कब तक हो जायेगा और स्क्रीनिंग कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, 26 अगस्त से चयन प्रारम्भ होगा, यह मैं सदन को अवगत करा चुका हूं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विशेष सचिव चिकित्सा डा0 जगजीवन सहाय, निदेशक होम्योपैथी, अवर निदेशक बच्ची लाल होम्योपैथी का एक एक्सपर्ट जिसका अभी तक मेरे पास नाम नहीं आया है ।

श्री कल्यान सिंह—

चेयरमैन कौन बनेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0 जगजीवन सहाय ।

*3—श्री पूरन सिंह—

[26 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में राज्य कृषि मूल्य आयोग की कथित स्थापना

*4—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में राज्य कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया जाना तय कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर राज्य कृषि लागत आयोग की स्थापना किये जाने पर सरकार पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री किरन पाल सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जब भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री यशपाल सिंह बुलन्दशहर गये थे उन्होंने कृषि विद्यालय में एक कृषि गोष्ठी में हमारे सम्मुख यह घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में कृषि मूल्य आयोग का शीघ्र गठन होने जा रहा है । हमारे सम्मुख यह बात कही थी इसलिए आप उसे सच मानेंगे । तो उस वक्त इसको गठित करने का क्या आधार था और अब किस आधार पर उसे आप गठित नहीं करने जा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैंने इसके पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उत्तर प्रदेश में मूल्य सलाहकार परिषद् गठित की गयी है जो कृषि मंत्री की अध्यक्षता में है बाकी सदस्य माननीय खाद्यमंत्री, सहकारिता मंत्री जी, तीन कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, कृषि सचिव, खाद्य सचिव/आयुक्त, विशेष सचिव सहकारिता, कृषि निदेशक, कृषि (सांख्यकी) इसके पूर्व भी मैंने बताया था कि इसमें उसे किसानों के दो प्रतिनिधि रखे जायेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

चेयरमैन कोई कृषक होना चाहिए ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने कहा चेयरमैन कृषक होना चाहिए तो आपका कृषि मंत्री किसान है फिलहाल इसमें एतराज नहीं होना चाहिए।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, प्रश्नकर्त्ता श्री किरनपाल सिंह ने कहा है कि राज्य कृषि मूल्य आयोग के स्थान पर राज्य कृषि लागत आयोग की स्थापना कर दें। तो मेरा अनुरोध है इसी में आयोग गठित कर दें इसके लिए कोई अलग से नियुक्ति भी नहीं करनी पड़ेगी यानी कृषि मूल्य आयोग में ही कृषि मूल्य लागत निर्धारण आयोग बना दें जो किसानों के उत्पादन की लागत मूल्य के बारे में विचार करे कि मूल्य क्या होगा ? उस प्रक्रिया में एक ही जगह दोनों होंगे। ऐसा करने में क्या कठिनाई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जैसा सभी माननीय सदस्य जानते हैं मूल्य निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा होता है और वहां कास्ट प्राइस कमीशन बना हुआ है। राज्य सरकारों का कार्य उसमें सलाह देना है। हम सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी राय देते हैं।

के0 जी0 के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद में प्रवक्ता के रिक्त पद

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय के0 जी0 के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद में मात्र तीन पूर्णकालिक प्रवक्ता कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इतने अल्प शैक्षणिक स्टाफ से एक चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य संभव है ? यदि नहीं, तो उक्त महाविद्यालय के छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह यथा अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

जी हां। इसके अतिरिक्त तीन अंशकालिक प्रवक्ता भी कार्यरत हैं। के0 जी0 के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद में अतिरिक्त प्रवक्ताओं की तैनाती का मामला विचाराधीन है।

श्री राम आसरे वर्मा—

(प्रश्न संख्या 7 एकारने पर) मान्यवर, मैंने प्रश्न संख्या 5 पर सप्लीमेन्ट्री पूछना है।

श्री अध्यक्ष—

आज पहले ही बहुत समय हो गया है। अच्छा आप पूछ लीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि 3 अंशकालिक प्रवक्ता कार्यरत हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुरादाबाद में रिक्त स्थानों को भरने के लिए प्रदेश के दूसरे होम्योपैथिक कालेजों के प्राचार्यों से कुछ संस्तुतियां मांगी गयी थीं, तो उन संस्तुतियों के बारे में शासन ने विचार किया है कि नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, मुरादाबाद में किस प्रकार की संस्तुति के बारे में कह रहे हैं, स्पष्ट कर दें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, रिक्त स्थानों को भरने के लिए दूसरे विद्यालय के प्राचार्यों से संस्तुतियां मांगी गयी थीं तो उसमें क्या निर्णय हुआ ? दूसरे अंशकालिक प्रवक्ता 31 दिसम्बर 1984 तक का समय था उसको न बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, पहले प्रश्न का उत्तर है कि अभी किसी का ट्रान्सफर नहीं हुआ है और तैनाती का मामला विचाराधीन है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि समय बढ़ा दिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

पद रिक्त जो हैं उनको कैसे भरेंगे, यह बतायें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

के0 जी0 के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद में प्राचार्य के अतिरिक्त चार पूर्ण कालिक प्रवक्ता तथा चार अंशकालिक प्रवक्ताओं के पद दिनांक 11-12-81 से स्वीकृत हैं। इसके अलावा तीन अंशकालिक प्रवक्ता एवं दो अंशकालिक डिमान्स्ट्रेटर के पद भी शासनादेश संख्या 7146 से क-9/पांच-82—1081, दिनांक 12-4-83 के द्वारा स्वीकृत हैं। इस कालेज में 1-7-84 को छात्रों की कुल संख्या 78 थी।

*6—श्री बदन सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर लखनऊ के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दाईयों की नियुक्ति की मांग

*7—श्री शारदा प्रताप—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में जो ए0 एन0 एम0 सेन्टर चल रहे हैं उनके नाम क्या-क्या हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कितने ए0 एन0 एम0 सेन्टरों में निर्धारित मानक के अनुसार स्टाफ तैनात है, जो वास्तव में वहां काम नहीं करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि उक्त स्टाफ वास्तव में कहां कार्यरत है और क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विधान सभा क्षेत्र सरोजिनी नगर, जनपद लखनऊ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत कार्यरत 26 उपकेन्द्रों पर मानक के अनुसार निर्धारित स्टाफ में से दाई पद के विपरीत दाईयां नियुक्त नहीं हैं। केवल रहीम नगर पड़ियाना उपकेन्द्र के लिए स्वीकृत ए0 एन0 एम0 के पद के विपरीत कार्यरत ए0 एन0 एम0 को उनकी अस्वस्थता के कारण उपचार सुविधा के लिए चन्दरनगर प्रसूति गृह से सम्बद्ध कर दिया गया है परन्तु रहीमनगर पड़ियाना उपकेन्द्र पर एक अन्य ए0 एन0 एम0 कार्यरत हैं। अतः कोई जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, उपकेन्द्र रहीमनगर पड़ियाना जो मेरा स्वयं का गांव है, मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां पर कोई ए0 एन0 एम0 कार्यरत नहीं है। इसलिए मैं

जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने कहा है कि वह एक अन्य ए0 एन0 एम0 नियुक्त कर दी गयी है तो वह किस तारीख को और उसका नाम क्या है एवं वेतन कहां से मिल रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, नाम तो मैं नहीं बता सकता लेकिन माननीय सदस्य की बात सही है कि 3 दिन पहले तक वहां ए0 एन0 एम0 नहीं थे, किन्तु अब वहां पहुंच गयी है।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 26 उपकेन्द्रों की सूची दी गयी है जिसमें 13 उप केन्द्रों में मानक के अनुसार तैनाती है और 13 उप केन्द्र ऐसे हैं जो दाई रहित हैं और तमाम भवन बने हैं, लाखों रुपये खर्च हुआ है, इसलिए इन जगहों पर दाईयों की नियुक्ति कब तक करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

दाईयों का विषय कठिनाई पूर्ण है। दाईयां अवैतनिक रखी जाती हैं, 50 रुपया माहवार उनको आनरेरियम दिया जाता है। इस पर प्रशिक्षित दाईयां काम करने को तैयार नहीं हैं, अतः दाईयां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। यह सवाल भारत सरकार के मातृ-शिशु कल्याण के अन्तर्गत विगत 6 वर्षों से लंबित है। 4 साल मेरा चला गया, एक साल कौशिक जी का बीत गया, उसके पहले एक साल कल्याण सिंह जी का बीत गया। आज तक वह वहां पर से 50 रुपये से ऊपर नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि आंगनबाड़ी स्कीम में डेढ़ सौ रुपया आप देते हैं, तो कम से कम उनके लिए आप इतना ही कर दें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

गेहूं के समर्थन मूल्य का निर्धारण

*8—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि चालू वर्ष में गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित करने से पूर्व केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार से राय ली थी ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार ने कितने रुपया प्रति कुन्तल गेहूं के समर्थन मूल्य की सिफारिश की थी और सिफारिश का आधार क्या था ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

रुपये 190 प्रति कुन्तल।

गेहूं की उत्पादन लागत तथा कृषकों को लाभ व जोखिम का प्रतिशत।

जिला चिकित्सालय, बलिया के विकास की योजना

*9—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपद बलिया का जनपदीय चिकित्सालय के विस्तार व विकास हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जनपदीय चिकित्सालय, बलिया के विस्तार व विकास हेतु वर्तमान में कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। अब तक जिला चिकित्सालय में नेत्र उपचार, आई0 सी0 सी0 यूनिट, एक्स-रे मशीन तथा जेनरेटर की व्यवस्था की जा

चुकी है। गत योजनाकाल में जिला चिकित्सालय में 25 शैय्याएं बढ़ायी जा चुकी हैं।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या मंत्री जी मेरे तथ्य को सही मानकर कि वहां दो माह से एक्सरे मशीन खराब है, ई0 सी0 जी0 खराब है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है और महिला अस्पताल में जनरेटर नहीं है, तो क्या आप इनकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

एक्सरे मशीन खराब होगी, न ठीक होने वाली होगी, तो बदल दी जायेगी, ई0 सी0 जी0 मशीन बदल दी जायेगी और जिला समिति चाहेगी तो जनरेटर की व्यवस्था करेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस जिला समिति का आपने जिक्र किया है, उसने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी है कि 300 शैय्याओं वाला एक अस्पताल अलग से बलिया में बनवाया जाये, तो क्या उस पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, शासन की यह नीति है कि हर उस जनपद में जिसकी जनसंख्या 20 लाख या उसके ऊपर है, वहां 300 शैय्या के चिकित्सालय का निर्माण किया जाये। इनमें दो चीजें हैं। एक तो वरीयता उन्हें दी जाती है, जहां भूमि उपलब्ध करा दी जाये, दूसरे, शासन के पास संसाधन उपलब्ध हो जायें। वैसे प्रयास यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त-काल में एक-एक जिला चिकित्सालय का हर जनपद में नवनिर्माण किया जाये। बलिया जमीन दे देगा तो हो जायेगा।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

अपनी नीति को मानते हुए क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे कि जिला विकास समिति की सिफारिश के अनुसार 300 शैय्याओं वाला अस्पताल बलिया में निर्मित किया जायेगा, और हम जमीन दे रहे हैं।

*10—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*11—श्री विजय सिंह राणा—

[10 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डासा, अमानीगंज, फैजाबाद का भवन

*12—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत वि0 क्षे0 खंडास (अमानीगंज) का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अब भी भवन विहीन है जबकि विगत कई वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो शासन को इसे स्वीकृति प्रदान करने में क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खन्डासा (अमानीगंज) का भवन बना है और उसमें कार्य चल रहा है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*13—श्री दुनियाद हुसैन अन्सारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

महिला चिकित्सालय, बलरामपुर, लखनऊ की पानी की टंकी का निर्माण

*14—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल के निकट महिला चिकित्सालय (डफरिन हस्पिटल) के प्रांगण में कितनी पानी की टंकियां, पानी आपूर्ति के लिए निर्मित कराई गईं ? इन टंकियों का निर्माण कब हुआ और उनके निर्माण में कितना धन व्यय किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी टंकी पीने के पानी के लिए, कितनी लैट्रिन के प्रयोग के लिए बनी हुई हैं ? क्या यह सही है कि पानी की टंकी के निर्माण के तुरन्त बाद ही उसमें रिसाव शुरू हो गया था ? यदि हां, तो उक्त टंकी में रिसाव शुरू होने के कारण पुनः कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टंकी के पुनः निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 81-82, 82-83, 83-84 व 84-85 की अवधि में प्रतिवर्ष कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया और कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार वर्तमान में गर्मी के मौसम में मरीजों को पानी की सर्वाधिक आवश्यकता को देखते हुए पानी आपूर्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में केवल एक पानी की टंकी पानी की आपूर्ति के लिए निर्मित कराई गई है ।

उक्त टंकी का निर्माण दिसम्बर 1984 में पूर्ण हुआ । इस निर्माण पर 8.74 लाख रुपये व्यय हुए ।

उक्त टंकी के अतिरिक्त इस चिकित्सालय में 20 छोटी टंकियां छतों पर रखी हैं । प्रत्येक टंकी के पानी को पीने तथा शौचालय आदि में प्रयोग किया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 81-82, 82-83, 83-84 व 84-85 में किसी टंकी का पुनः निर्माण नहीं किया गया । अतः धन की स्वीकृति एवं व्यय का प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, आपने बुला लिया है

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप उत्तर दे दें ।

[माननीय श्री लोकपति त्रिपाठी द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पढ़े जाने के उपरांत]

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

जिला अस्पताल, फतेहगढ़ का कथित आडिट

*15—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिट कमेटी 84-85 की आख्या में जिला अस्पताल फतेहगढ़ में रु0 80 हजार की औषधियां बिना प्रयोग के नष्ट होने तथा 10 हजार रुपया पंजीकरण शुल्क कम अनएकाउंटेड होने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विभागीय आडिट पार्टी स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वर्ष 1984-85 में जिला अस्पताल, फतेहगढ़ का कोई आडिट नहीं किया गया । प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर मण्डल में ईंटों के मूल्य का निर्धारण

*16—श्री हर्षवर्धन—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के भट्ठा मालिकों ने ईंटों के दाम 500 रुपये प्रति हजार कर रखा है ? क्या सरकार ईंट का दाम प्रति हजार स्वयं निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार मण्डल के प्रत्येक जनपद में ईंटों के अधिकतम दाम प्रति हजार निम्नवत् हैं—

1—बस्ती—350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक ।

2—आजमगढ़—350 रुपये से लेकर 400 रुपये तक ।

3—देवरिया—425 रुपये ।

4—गोरखपुर—470 रुपये ।

केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत ईंट को आवश्यक वस्तु घोषित नहीं किया है । इसलिए ईंटों का दाम उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश 1977 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित किया जाना स्यात् सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में पी0 सी0 एफ0 एवं नैफेड द्वारा आलू की खरीद

*17—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत शासन अथवा विभिन्न अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा कितना आलू खरीदा गया ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि यह मात्रा इतनी कम थी कि अधिकांश कृषकों को अपनी फसल बहुत ही कम दाम पर बेचनी पड़ी ? यदि हां, तो सरकार भविष्य में इस योजना को ठीक तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए किन-किन बिन्दुओं पर विचार कर रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

इस वर्ष समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत सरकार ने पी0 सी0 एफ0 तथा नैफेड के

माध्यम से 185,008.29 कुन्तल आलू खरीदा ।

विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आलू की खरीद अधिक रही । यह सही है कि कुछ क्षेत्रों में आलू के भाव समर्थन मूल्य से कम रहे ।

भविष्य में स्थिति को देखते हुए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ।

*18—श्री कल्याण सिंह—

[6 में गुरुवार के लिए स्थगित]

अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज, मंगारी, बाबतपुर, वाराणसी में आलू का अंकुरण

*19—श्री राम सजीवन तथा श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज, मंगारी, बाबतपुर, पो० बाबतपुर मंगारी, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में किसानों का रखा हुआ हजारों क्विंटल आलू जम गया है और खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फल एवं उद्यान विभाग के वरिष्ठ अफसर से जांच कराकर किसानों को पूरी कीमत दिलवाने की कृपा करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अग्रवाल शीतगृह, मंगारी जनपद वाराणसी के दो कक्षों में भण्डारित आलू में आंशिक रूप से अंकुरण हो गया है ।

जिला उद्यान अधिकारी, वाराणसी से जांच करायी गयी । जिलाधिकारी वाराणसी से प्राप्त सूचनानुसार शीतगृह स्वामी ने लिखित रूप में दिया है कि अगर कोई किसान मात्र के लिए कोई आपत्ति करता है, तो उसे बीज के वास्ते आलू दे दिया जायेगा । जिनका माल अंकुरित हो गया है उन्हें भाड़े में छूट दी जायेगी । अगर कोई किसान बीज के लिए एतराज करेगा तो उसे बीज के बदले पैसा भी दे दिया जायेगा ।

हिन्डन बैरियर, गाजियाबाद में पकड़ी गयी चीनी से सम्बन्धित मुकदमा

*20—श्री कनक सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में हिन्डन बैरियर जनपद गाजियाबाद पर तीन ट्रक चीनी पकड़ी गयी थी ? क्या इस सम्बन्ध में पटियाला में सम्बन्धित कर्मचारियों व शासन के विरुद्ध वाद विचाराधीन हैं ? क्या यह सही है कि जो कर्मचारी उक्त केस की पैरवी कर रहे हैं उन्हें न तो वेतन ही मिल रहा है और न यात्रा भत्ता ही ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के विरुद्ध सब-जज पटियाला के न्यायालय में वसूली हेतु तीन वाद चल रहे हैं ।

उक्त वादों की पैरवी श्री शिरा पाल सिंह सिरोही कर रहे थे जो दिनांक 14-8-84 तक उप सम्भागीय विपणन अधिकारी मुजफ्फरनगर के कार्यालय में कार्यरत रहे और उस तिथि तक उनको वेतन का भुगतान भी कर दिया गया था ।

उप सम्भागीय विपणन अधिकारी मुजफ्फरनगर के कार्यालय से दिनांक 14-8-84 की अपरान्ह को कार्यमुक्त होने के उपरान्त श्री सिरोही ने अपनी नव

तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। पद धारण के अभाव में श्री सिरोही को दिनांक 14-8-84 के उपरान्त वेतन भुगतान सम्भव नहीं हो पाया है।

श्री सिरोही द्वारा जो यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किये गये थे उनमें यात्रा सत्यापन एवं न्यायालय में उपस्थिति के प्रमाण-पत्र सम्बन्धी आपत्तियों का श्री सिरोही द्वारा निराकरण न किये जाने के कारण उनके यात्रा बिलों का भुगतान नहीं हुआ है।

अतारांकित प्रश्न

भारतीय चिकित्सा परिषद् के मुख्य लेखक, श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा द्वारा दो पत्नी रखे जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

1—श्री शारदा प्रताप—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय भारतीय चिकित्सा परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ के मुख्य लेखक श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा द्वारा दो पत्नियां रखे जाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें शासन व सम्बन्धित विभाग को गत दो वर्षों में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक श्री शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश, स्वायत्तशासी संस्था है। श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत सम्बन्धी मामले पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु परिषद् के अध्यक्ष को सन्दर्भित कर दिया गया है।

2—श्री अशोक बाजपेयी—

[दि0 18-7-85 के तारां0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित]

3—श्री त्रिलोक चन्द्र—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

4—श्री त्रिलोक चन्द्र—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्रीमती जोखना देवी, हेल्थ सुपरवाइजर (महिला) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमरियावां, बस्ती का शिकायती-पत्र

5—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जोखना देवी हेल्थ सुपरवाइजर (महिला) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां जनपद बस्ती की शिकायत दिनांक 4-9-83, 17-9-83 की जांच डा0 यस0 यच0 अहमद, भू0 पू0 वरिष्ठ अधीक्षक जिला चिकित्सालय, बस्ती द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विलम्ब के लिए कौन से अधिकारी, कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

श्रीमती जोखना देवी के शिकायती-पत्र दिनांक 4-9-83 की जांच की गई थी परन्तु 17-9-83 का शिकायत-पत्र संयुक्त निदेशक (एम0 सी0 एच0) तथा मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती के कार्यालय में प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता है। जांच रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारी को दिनांक 28-7-85 को भेज दी गई है।

गोण्डा जनपद में दलहन एवं तिलहन पर देय अनुदान

6—श्री राम जनम—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में गोण्डा जनपद में दलहन एवं तिलहन पर विकास खण्डवार देय अनुदान की धनराशि क्या है ? क्या यह सही है कि अनुदान सम्बन्धी बिल फर्जी हैं ? यदि नहीं, तो क्या शासन उच्च स्तरीय जांच करायेगा ? यदि हां तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1984-85 के अन्तर्गत गोण्डा जनपद में दलहन तथा तिलहन की विभिन्न मदों में क्रमशः रु0 19,31,061.80 तथा रुपया 6,59,987.49 के अनुदान की धनराशि देय है। विकास खण्डवार व्यय विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

जी नहीं।

जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ . . पर)

गोरखपुर के पूर्ति निरीक्षक, श्री जगदीश जायसवाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

7—श्रीमती शारदा देवी—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर व बृह्मपुर व खोराबार में कार्यरत पूर्ति निरीक्षक (श्री जगदीश जायसवाल) के खिलाफ प्रश्नकर्ता व आम जनता की दिनांक 1-1-85 से अब तक कितनी शिकायतें शासन व जिला प्रशासन को मिली हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

गोरखपुर जनपद के पूर्ति निरीक्षक श्री जगदीश जायसवाल के विरुद्ध दिनांक 1-1-85 से जून 85 तक प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र गोरखपुर जिला प्रशासन को तथा एक शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच की जा रही है। श्री जायसवाल के विरुद्ध उक्त अवधि में आम जनता से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

होम्योपैथिक कम्पाउण्डरों का सेलेक्सन ग्रेड और दवाओं का चार्ज

8—श्री रणजीत—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों को किन कारणों से अभी तक सेलेक्शन ग्रेड देने के सम्बन्ध में आदेश नहीं दिए गए हैं ? इस सम्बन्ध में अब शासन द्वारा क्या आदेश दिए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने की कोई संस्तुति उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) के द्वारा नहीं की गयी। अतः सेलेक्शन ग्रेड देने के सम्बन्ध में आदेश दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

9—श्री रणजीत—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रदेश के सभी एलोपैथिक चिकित्सालयों में फार्मेसिस्टों (कम्पाउन्डरों) के पास दवाओं का पूरा-

पूरा चार्ज रहता है तो किन कारणों से निदेशक होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सालयों के कम्पाउन्डरों को दवाओं का चार्ज उनके पास न रहने देने के आदेश दिये गये हैं और इस आदेश को वापस लेने हेतु शासन द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, निर्गत किए गए आदेश शासन स्तर पर लिए गये निर्णयों पर आधारित हैं।

देवरिया जिले में गेहूं की खरीद और क्रय केन्द्रों पर काश्तकारों से वसूल की गयी धनराशि की जांच की मांग

10—श्री रणजीत—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के किन-किन गेहूं क्रय केन्द्रों पर अप्रैल, 85 से जून, 85 तक अलग-अलग किस मात्रा में कितना-कितना गेहूं किस-किस दर से क्रय किया गया है तथा गेहूं काश्तकारों को वास्तव में किस दर से भुगतान किया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जिला देवरिया में अप्रैल 85 से जून, 85 तक की अवधि में क्रय किये गये गेहूं की ग्रेडवार एवं केन्द्रवार मात्रा का विवरण संलग्न है।

2—संलग्न विवरण में अंकित गेहूं ग्रेड-1 एवं गेहूं ग्रेड-2 के खरीदने/विक्रेताओं को भुगतान करने की दर क्रमशः 157 रु0 एवं 155 रु0 प्रति कुन्तल है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 140 पर)

11—श्री रणजीत—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं काश्तकारों से क्रय केन्द्र के करीब-करीब सभी इन्चार्जों द्वारा 5 रु0 प्रति क्विन्टल वरिष्ठ हाट निरीक्षक को देने व 2 रु0 पल्लेदारी के मद में देने हेतु 7 रु0 प्रति क्विन्टल की कटौती की गयी है और उक्त धन या तो नकद या उसके बदले गेहूं लेकर वसूली जाने के बाद ही उन्हें चेक दिये गये हैं ? यदि हां, तो भविष्य के लिए उस पर रोक लगाने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई आदेश दिए जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

क्रय केन्द्रों पर काश्तकारों से न तो कोई पैसा लिया गया है और न ही उनसे किसी प्रकार की कटौती ही की गयी है। चेकों के निर्गत करने में भी काश्तकारों से न तो कोई धन लिया गया है और न ही उसके बदले में उनसे गेहूं ही वसूला गया है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

12—श्री रणजीत—

क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित प्रश्न में लगाए गए आरोपों को गलत होने की बात यदि किसी भी स्तर से उठती है तो क्या सरकार उसकी वास्तविकता की जांच हेतु यह मामला खुफिया विभाग को देने के आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

चूंकि लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये अतः खुफिया विभाग से जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सीतापुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की दाईयों के वेतन का भुगतान

13—श्री राजेन्द्र गुप्ता—

क्या चिकित्सा मन्त्री को जानकारी है कि आज तक जनपद सीतापुर के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में नियुक्त अंशकालिक दाईयों को तीन माह से वेतन नहीं प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा वेतन कब तक अदा कर दिया जायेगा तथा उनको प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

जनपद सीतापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त अंशकालिक दाईयों को नियत वेतन का भुगतान जनपद सीतापुर को धनराशि आवंटित न होने के कारण नहीं किया जा सका था। वांछित धनराशि अब उपलब्ध करा दी गई है अब उन्हें नियत 50 रु0 (पचास रुपये केवल) प्रतिमाह की दर से वेतन का भुगतान चालू माह के दूसरे सप्ताह तक कर दिया जायेगा।

सीतापुर के ग्राम छहेलिया के श्री राम रतन सिंह के निवास पर तालाब का निर्माण

14—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम छहेलिया ब्लाक पिसावां जिला सीतापुर में माननीय राम रतन सिंह के निवास स्थान पर एक पक्के तालाब (तीर्थ) का निर्माण भूमि संरक्षण विभाग सीतापुर के द्वारा कराया जा रहा है ? यदि नहीं तो किस विभाग द्वारा निर्माण कराया जा रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं।

विभाग को सूचना नहीं है।

मेसर्स कुन्दन लाल जायसवाल, सीमेन्ट विक्रेता, महराजगंज, गोरखपुर के गोदाम का निरीक्षण एवं पाकी गन्ने की अनियमितता तथा सम्बन्धित-पत्र

15—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर में वर्ष 1983-84 व 1984-85 में भूतपूर्व राज्य मन्त्री खाद्य व रसद श्री जयराज गौतम ने किन-किन स्थानों पर अपनी उपस्थिति में स्थानीय अधिकारियों के सहयोग पर सीमेन्ट की दुकानों पर अनियमितता के आरोप में छापा मारा ? यदि हां, तो क्या इनमें तहसील महराजगंज मुख्यालय पर स्थित मेसर्स कुन्दन लाल की सीमेन्ट की दुकान पर भी छापा मारा गया और 3/7 आ0 क0 अधि0 में थाना महराजगंज में मुकदमा कायम हुआ ? यदि हां, तो इस मामले में स्पष्ट क्या है तथा जांच क्या है ? दोनों में मात्रा की भिन्नता के क्या कारण हैं ? पूरी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1983-84 में तत्कालीन राज्य मन्त्री खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा कोई छापा नहीं मारा गया। वर्ष 1984-85 में 20 मई, 1984 को उनके द्वारा मेसर्स कुन्दन लाल जायसवाल, लेवी सीमेन्ट विक्रेता महराजगंज, गोरखपुर

के गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के समय उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, श्री के0 एम0 लाल गोरखपुर, थानाध्यक्ष, महराजगंज वरिष्ठ हाट निरीक्षक, महराजगंज व दो गवाह सर्वश्री मुनीर पुत्र करीमुल्लाह सुमसुल हुदा पुत्र मो0 यासीन तथा फर्म के शराब के ठेके के मुनीम श्री जयप्रकाश पुत्र छोटे लाल उपस्थित थे। अनियमितता के पाये जाने पर फर्म के विरुद्ध आ0 व0 अधि0 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना महराजगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

2—इस प्रकरण की जांच विभिन्न स्तरों से करायी गयी है। जांच के कुछ बिन्दुओं पर कार्यवाही लम्बित है जिसका सम्पूर्ण विवरण इस चरण पर देना जन-हित में नहीं है।

3—सम्प्रति इस प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने का मामला अभी शासन के विचाराधीन नहीं है।

16—श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

क्या उपर्युक्त सन्दर्भ में कोई पत्र पूर्व विधायक महाराजगंज गोरखपुर (श्री फिरंगी प्रसाद विशारद) ने मुख्य मन्त्री को उक्त अवधि में भेजा ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां। जांच के इस चरण पर कार्यवाही उद्घोषित करना जनहित में नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवाबगंज, गोण्डा के डा0 आर0 सी0 धवन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

17—श्री मयंकर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जनार्दन प्रसाद तिवारी अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा नवाबगंज, गोण्डा का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवाबगंज, गोण्डा के प्रभारी चिकित्साधिकारी (डा0 आर0 सी0 धवन) के विरुद्ध शिकायती-पत्र दिनांक 30-4-85 से 5-6-85 के बीच स्वास्थ्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। प्रश्नगत शिकायती-पत्र संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, फैजाबाद मण्डल को जांच हेतु प्रेषित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

खाद्य तथा रसद विभाग के सम्प्रेक्षकों के स्थायीकरण की मांग

18—श्री मयंकर सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा रसद विभाग में लगभग 12 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत सम्प्रेक्षकों का स्थायीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सम्प्रेक्षकों को कब तक स्थायी किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

खाद्य तथा रसद विभाग के सम्प्रेक्षकों के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में हैं। इन पदों पर विभाग के कार्यरत ज्येष्ठ लेखालिपिक, लेखाकार तथा द्वितीय

श्रेणी लिपिकों में से पूर्णतया अस्थायी नियुक्तियां कार्य हित में कर ली गई थीं। ये कर्मचारी 12 वर्षों से भी अधिक समय से सर्वेक्षकों के पद पर कार्यरत हैं परन्तु इनका स्थायीकरण नहीं किया जा सका है, क्योंकि स्थायीकरण के पूर्व इन पदों पर विधिवत नियमित नियुक्ति किया जाना आवश्यक है, जो विधिक एवं प्रक्रियात्मक व्यवधानों के उत्पन्न हो जाने के कारण अभी तक सम्भव नहीं हो पाई है।

वित्त विभाग, जिनके द्वारा उक्त वर्ग की सेवा नियमावली तैयार एवं लागू की गई है, के परामर्श से उक्त समस्या के शीघ्र निदान का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के क्षेत्रीय संगठनकर्ताओं के स्थायी पद

19—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 होमगार्ड संगठन में क्षेत्रीय संगठनकर्ताओं के कितने पद हैं तथा उनमें से कितने पद स्थायी हैं? क्या यह सही है कि प्रदेश के होमगार्ड संगठन में कार्यरत क्षेत्रीय संगठनकर्ताओं के पदों की स्वीकृति भारत सरकार ने वर्ष 1979 में दे दी थी? उसके बाद भी पद अभी तक स्थायी नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

स्वीकृत पद 807 हैं जिनमें 628 स्थायी हैं। भारत सरकार की वर्ष 1979 की स्वीकृत्यानुसार ही 628 पद स्थायी किये गये हैं।

उ0 प्र0 होमगार्ड संगठन में जिला समादेष्टा निरीक्षक तथा प्लाटून कमाण्डरों के रिक्त पद

20—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस समय होमगार्ड संगठन में जिला समादेष्टा निरीक्षक तथा प्लाटून कमाण्डरों के कितने-कितने पद रिक्त हैं तथा उन्हें न भरे जाने का क्या कारण है?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

जिला समादेष्टा के 22 और प्लाटून कमाण्डर के 60 पद रिक्त हैं। निरीक्षक का कोई पद रिक्त नहीं है। चयन की प्रक्रिया के अनुसरण एवं वैधानिक कठिनाई आ जाने के कारण पद नहीं भरे जा सके।

21—श्री राजेन्द्र गुप्ता—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न सं0 106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को गाड़ियों का आवंटन

22—श्री बिहारी लाल दोहरे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या वे बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के कितने स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए गाड़ियां आवंटित हैं? क्या वह गाड़ियां सभी आवंटित केन्द्रों पर कार्यरत हैं? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

फर्रुखाबाद जनपद में 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गाड़ियां आवंटित हैं। पर 8 स्वास्थ्य केन्द्रों पर सात गाड़ियां

वास्तव में कार्यरत हैं। इनमें से दो गाड़ियां इस समय मरम्मत में हैं। शेष गाड़ियां जिला मुख्यालय पर पर्यवेक्षकीय कार्य के लिए अथवा परिवार कल्याण कार्यक्रम में लगी हैं। इन दोनों कार्यों के लिए अलग से गाड़ियां नहीं दी गई हैं।

होम्योपैथिक कम्पाउण्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सुझाव

23—श्री महरम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक कम्पाउण्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का सुझाव पत्र दिनांक 18-6-85 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

पत्र में दिये गये सुझाव पर विचार किया गया, परन्तु उनके अनुकूल कार्यवाही नियमानुसार सम्भव नहीं है।

कृषि निदेशालय के लिपिकों के स्थानान्तरण की मांग

24—श्री राम जनम—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय में विभिन्न वर्ग के लिपिक जो एक ही अनुभाग में 5 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ? क्या शासन उनको स्थानान्तरित करने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

कार्यहित को ध्यान में रखते हुए प्रश्नगत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

कृषि भवन के पुस्तकालय कक्ष का कथित वातानुकूलन

25—श्री राम जनम—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि भवन के पुस्तकालय कक्ष को वातानुकूलित कर दिया गया है ? यदि हां, तो वातानुकूलित करने का खर्च क्या है ? क्या यह सही है कि कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा पुस्तकालय कक्ष में कर्मचारियों/अधिकारियों के बैठने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं।

बस्ती जिले में दलहन एवं तिलहन पर दिया गया अनुदान

26—श्री राम जनम—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में बस्ती जनपद में दलहन एवं तिलहन पर विकास खण्डवार (कृषि रक्षा सम्बन्धी) कितनी अनुदान की धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह सही है कि अनुदान की समस्त धनराशि आइसोप्रोट्रान की बिक्री दिखाने में खर्च की गयी है ? यदि नहीं, तो शासन उच्च स्तरीय जांच करके दोषी कर्मचारी/अधिकारी को दण्डित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

बस्ती जनपद में वर्ष 1984-85 में विकास खण्डवार दलहन एवं तिलहन पर कुल रुपया 1,56,138.35 पैसे की धनराशि अनुदान के रूप में किसानों को दी गयी है। सूची संलग्न है।

जी नहीं।

रसायनों के विवरण की सूची भी संलग्न है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बस्ती मलेरिया विभाग के स्टोर का निरीक्षण

27—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग बस्ती में दिनांक 23-5-85 को अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त), बस्ती ने मलेरिया दफ्तर पर छापा मारकर क्या-क्या सामान बरामद किये ? क्या जिलाधिकारी बस्ती ने शासन को जिला मलेरिया अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध कार्यवाही करने की रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो मुख्य चिकित्साधिकारी, मलेरिया अधिकारी या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ऐसा कोई छापा 28-5-85 को नहीं मारा गया। अतिरिक्त जिलाधिकारी (वित्त), बस्ती ने 29-5-85 को मलेरिया विभाग के स्टोर का निरीक्षण किया था परन्तु कोई अनियमित स्थिति उनके द्वारा नहीं पायी गयी। अतः कोई सामान वहां से बरामद किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। इस मामले में जिला मलेरिया अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के बारे में कोई निर्देश जिलाधिकारी बस्ती से प्राप्त नहीं हुए हैं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

28—श्री सुखपाल पाण्डे—

[6वें गुरुवार के लिये स्थगित]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरवटिया, बस्ती के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

29—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरवटिया, बस्ती के चिकित्साधिकारी डा० के० के० कौशिक के विरुद्ध वहां के कर्मचारियों ने दिनांक 21-10-84, 15-11-84, 30-11-84 व दिनांक 17-12-84 को तथा प्रश्नकर्ता के शिकायतपत्र दिनांक 2-4-85 को मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती आदि को देकर सम्बन्धित चिकित्साधिकारी मरवटिया बस्ती के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है व यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी व यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को प्राप्त शिकायती प्रार्थना-पत्रों पर जांच मुख्य चिकित्साधिकारी सदर, बस्ती द्वारा की जा रही है। जांच निष्पक्ष प्रतीक्षित है।

---

*छापी नहीं गयी।

फाइलेरिया विभाग, बस्ती तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरवटिया में चिकित्साधिकारी द्वारा कैश एवं लेखा सम्बन्धी कार्य का निस्तारण

30—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 4 फार्म/6137-624-लखनऊ, दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 के द्वारा समस्त मंडलीय संयुक्त निदेशक एवं समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वरिष्ठता के आधार पर लिपिक से कार्य लिया जाय और लिपिक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों से लिपिक का कार्य न लिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि फाइलेरिया विभाग बस्ती तथा प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मरवटिया, बस्ती में लिपिक से कार्य न लेकर के अन्य कर्मचारियों से लिपिक का कार्य लेकर स्वास्थ्य निदेशक के उपरोक्त परिपत्र का उल्लंघन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

फाइलेरिया विभाग बस्ती में कैश संबंधी कार्य प्रभारी अधिकारी फाइलेरिया द्वारा दिनांक 4 मई, 1984 से किया जा रहा है, क्योंकि सम्बद्ध लिपिक का व्यवहार एवं कार्य प्रभारी अधिकारी, फाइलेरिया द्वारा सन्तोषजनक नहीं पाया गया । लिपिक का कार्य अन्य किसी कर्मचारी से नहीं लिया गया । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरवटिया, बस्ती में भी लिपिक का कार्य अन्य किसी कर्मचारी से नहीं लिया गया बल्कि कुछ समय के लिए लेखा सम्बन्धी कार्य, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया था । अब समस्त कार्य लिपिक द्वारा ही किया जा रहा है ।

बस्ती, सी0 एम0 एस0 डी0 परिवार नियोजन एवं मलेरिया, सी0 एच0 जी0 के अंतर्गत दवाइयों एवं सामान की खरीद

31—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र सी0 एम0 एस0 डी0 परिवार नियोजन, मलेरिया, सी0 एच0 जी0 आदि योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी दवाइयां व सामान गत दो वर्षों में मंगायी गयीं और कितना-कितना सामान किन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर भेजा गया ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद बस्ती में सी0 एम0 एस0 डी0, परिवार नियोजन तथा सी0 एच0 जी0 के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में रु0 6,81,325 तथा वर्ष 1984-85 में रु0 9,98,300 की दवाइयां व सामान प्राप्त हुये थे । इनमें से जितने मूल्य की दवाइयां व सामान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वितरित किया गया, उसका विवरण वर्षवार संलग्नक 1† तथा 2† में दे दिया गया है । इसके अतिरिक्त सी0 एच0 जी0 योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सी0 एच0 जी0 को प्रति वर्ष चार-चार किट [दो एलोपैथिक तथा दो आयुर्वेदिक] प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वितरित की

†छापी नहीं गई ।

गई। मलेरिया विभाग द्वारा वितरित की गई दवाइयों का विवरण संलग्नकों 3 में दे दिया गया है।

राज्य केन्द्रीय औषधि भण्डार, सीतापुर में अग्निकांड एवं मुख्य चिकित्सा-धिकारी के स्थानान्तरण की मांग

32—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या चिकित्सा विभाग के संयुक्त सचिव (श्री राजीव शर्मा) द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशक उत्तर प्रदेश को सम्बोधित अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2539 सेक-2-55-41221/84 चिकित्सा अनुभाग-2, लखनऊ, दिनांक 2 जून, 1984 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि 21/22 मार्च, 1984 को राज्य केन्द्रीय औषधि भण्डार में हुये अग्निकाण्ड के विषय में सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण प्रस्ताव शासन को 3-4 दिन के भीतर ही भेज दिया जाये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निदेशक द्वारा प्रस्ताव शासन को कब भेजा तथा शासन द्वारा कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

चिकित्सा विभाग के संयुक्त सचिव (श्री राजीव शर्मा) का स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 2589 सेक-2/5-4(22)/84, दिनांक 2-6-84 अनुस्मारक था। मूल पत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर के स्थानान्तरण का प्रस्ताव भेजने हेतु कोई निर्देश नहीं दिये गये थे।

छापी नहीं गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़, परियोजनाधिकारी श्री राजपाल सिंह का स्थानान्तरण

33—श्री किरनपाल सिंह तथा श्री त्रिलोकी चन्द्र—

क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि अलीगढ़ जनपद में नियुक्त परियोजना अधिकारी श्री राजपाल सिंह को वर्ष 1984 में किन परिस्थितियों में बुलन्दशहर स्थानान्तरित किया गया था, जबकि उनकी नियुक्ति का कार्यकाल एक वर्ष शेष था ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त पद पर द्वितीय श्रेणी अधिकारी श्री रामचन्द्र की नियुक्ति की गयी है, जबकि उनसे अधिकारी से सीनियर अन्य द्वितीय श्रेणी अधिकारी इस जनपद में नियुक्त हैं ? यदि हां तो यह नियम विरुद्ध नियुक्ति किस अधिकारी के आदेश से की गयी और क्या-कार उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री राजपाल सिंह को दिनांक 15-9-1984 को सहायक निदेशक राजकीय कृषि विद्यालय बुलन्दशहर के पद पर जनहित में स्थानान्तरित किया गया था। उस समय उनके सेवा-निवृत्ति में लगभग 13 माह शेष थे।

श्री रामचन्द्र श्रेणी-2 के अधिकारी हैं लेकिन काम चलाऊ प्रबन्ध के परियोजना अधिकारी कृषि अभियान के पद पर प्रभारी के रूप में निदेशक द्वारा नियुक्त होने तक, इनकी नियुक्ति की गयी थी।

इनकी प्रभारी के रूप में नियुक्ति की जाते समय वरिष्ठता एवं योग्यता दोनों को ध्यान में रखा गया था। उस समय अलीगढ़ में श्रेणी-2 सेक्शन "बी" तथा ग्रुप-1 में श्रेणी-2 में पदोन्नति पाये अधिकारियों में ज्येष्ठतम अधिकारी थे।

इस प्रभारी के रूप में काम चलाऊ नियुक्ति में कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं हुआ। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़, दलहन विकास निरीक्षक, श्री सुमेर सिंह का कार्यकाल एवं उनका स्थानान्तरण

34—श्री किरनपाल सिंह तथा श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुमेर सिंह, दलहन विकास निरीक्षक जनपद अलीगढ़ ने अपनी सेवाकाल के कितने कार्य दिवस अलीगढ़ जनपद में नियुक्त रहकर पूर्ण किये हैं ? क्या अलीगढ़ जनपद में दलहन विकास निरीक्षक का कोई पद सृजित है ? यदि नहीं तो अब तक इनकी नियुक्ति अटैचमेन्ट के रूप में किन परिस्थितियों में की जाती रही है एवं इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

कुल 19 वर्ष 6 माह। अलीगढ़ के लिए दलहन विकास निरीक्षक का कोई पद सृजित नहीं है किन्तु पूरे प्रदेश के लिए 50 पद सृजित हैं। दलहनी फसलों का क्षेत्र अधिक होने के कारण श्री सुमेर सिंह की तैनाती अलीगढ़ की गई। प्रश्न ही नहीं उठता।

35—श्री किरनपाल सिंह तथा श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि निदेशक महोदय कृषि लखनऊ एवं उप निदेशक कृषि मेरठ द्वारा भी परियोजना अधिकारी कृषि अलीगढ़ को, बार-बार यह लिखा जाता रहा है कि यह पद अलीगढ़ में सृजित नहीं है लिहाजा उक्त पद पर नियुक्त श्री सुमेर सिंह को सृजित पद पर मेरठ वापस किया जाय ? यदि हां, तो उन्हें मेरठ क्यों नहीं वापस किया गया ? शासनादेश के अनुपालन न किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उप कृषि निदेशक मेरठ द्वारा एक बार परियोजना अधिकारी, अलीगढ़ को लिखा गया निदेशक द्वारा नहीं, परन्तु अलीगढ़ जनपद में दलहनी फसलों का क्षेत्र अधिक है, इसी कारण श्री सिंह को वापिस नहीं किया गया, क्योंकि यह पद किसी जनपद विशेष के लिए नहीं है। श्री सिंह को मेरठ वापस कर दिया गया है। उपरोक्त कार्यवाही शासन के हित में है। प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर, राजकीय चिकित्सालय, बरही स्थित मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र का भवन

36—श्रीमती शारदा देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय बरही में दिनांक 1-1-82 तक मातृ एवं शिशु केन्द्र बरही का भवन निर्माण हो गया था ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय गरही में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र का भवन अभी निर्माणाधीन है।

कृषि अधिकारी कार्यालय, उन्नाव के जीप चालक की कुम्भ मेले में ड्यूटी तथा उनका दैनिक एवं यात्रा भत्ता

37—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि जीप चालक जिला कृषि अधिकारी कार्यालय उन्नाव को आगामी कुम्भ मेला, इलाहाबाद में कार्य करने हेतु मेला ड्यूटी दिनांक 9-12-81 से दिनांक 25-2-82 तक के लिए भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त जीप चालक को उक्त अवधि का दैनिक एवं यात्रा भत्ता प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं और अब उक्त धनराशि जीप चालक को कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। चूंकि दिनांक 8-12-81 से दिनांक 25-2-82 तक की अवधि 30 दिन से अधिक की थी, इसलिए शासन से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् देय धनराशि भुगतान करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

आगरा राशन कार्ड नं0 867394 के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

38—श्री विजय सिंह राणा—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में राशन कार्ड नं0 867394 के सन्दर्भ में कार्ड धारक की मृत्यु के बाद भी 4 वर्ष तक राशन लेने तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में तत्कालीन खाद्य मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद सिंह को संसद सदस्य श्री सुरेशचन्द्र शास्त्री के पत्र संख्या यू0 एम0 94/84-85/833 दिनांक 31-8-84 से द्वारा शिकायत भेजी गयी थी ? यदि हां तो पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां। प्रश्नगत पत्र तत्कालीन खाद्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ था, जिसके बारे में क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, आगरा से जांच करायी गयी।

मथुरा होमगार्ड कार्यालय में सहायक कमाण्डरों के चयन का स्थगन

39—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 4-5-85 को मथुरा होमगार्ड कार्यालय में कम्पनी कमाण्डर, सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं प्लाटून कमाण्डरों के पदों के लिए होने वाले साक्षात्कार (इण्टरव्यू) को स्थगित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? अब यह साक्षात्कार कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

जी नहीं।

दिनांक 4-5-85 को जो अवैतनिक प्लाटून कमाण्डरों का चयन किया गया था। चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुये पूर्व निष्कासित दो अवैतनिक कम्पनी कमाण्डरों के अनुरोध पर समिति ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उन

रिक्त पदों के लिए फिलहाल चुनाव न किया जाय।

अब चयन समिति की बैठक दिनांक 17-8-85 को होना प्रस्तावित है।

भारत नेपाल सीमा पर दिये गये चीनी, मिट्टी के तेल एवं डीजल के लाइसेन्स

40—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन के ऐसे निर्देश हैं कि भारत नेपाल सीमा के कुछ किलोमीटर की दूरी पर मिट्टी तेल ,चीनी और डीजल का लाइसेन्स नहीं दिया जा सकता ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज/फरेन्दा तहसील में इस आदेश की अवहेलना कर लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

शासन के ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि भारत-नेपाल सीमा के कुछ किलोमीटर की दूरी पर मिट्टी तेल, चीनी और हाई स्पीड डीजल आयल के लाइसेन्स न दिये जायें। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

गोरखपुर जिले के विकास खण्ड निचलौल और नौतनवां के अन्तर्गत लाइसेन्सियों को चीनी, मिट्टी के तेल एवं डीजल के आवंटन का आधार

41—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के निचलौल और नौतनवां विकास क्षेत्र में वर्ष 1984 में किन-किन लाइसेन्सियों को कितनी मात्रा में मिट्टी तेल एवं चीनी डीजल का आवंटन हुआ है और आवंटन का आधार क्या है तथा कौन-कौन से लाइसेन्सी ऐसे हैं जो नेपाल सीमा से 15 कि0 मी0 दूरी के अन्दर कार्य कर रहे हैं ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

गोरखपुर जिले के निचलौल और नौतनवां विकास क्षेत्र में वर्ष 1984 में मिट्टी तेल, चीनी व डीजल के लाइसेन्सियों को आवंटित मात्रा का विवरण संलग्न है। जहां तक आवंटन के आधार का प्रश्न है दुकानों से कार्ड/यूनिट सम्बद्ध हैं और निर्धारित वितरण मात्रा के आधार पर चीनी तथा मिट्टी तेल का आवंटन किया जाता है। डीजल का आवंटन शासन द्वारा नहीं किया जाता। तेल कम्पनियां अपने डीलरों (रिटेल आउटलेट) को उनकी पिछली बिक्री के आंकड़ों की पृष्ठभूमि में डीजल का आवंटन/आपूर्ति स्वयं करती हैं।

तहसील फरेन्दा के नौतनवां ब्लाक के समस्त लाइसेन्सी तथा तहसील महाराजगंज के निचलौल ब्लाक में न्याय पंचायत बीसौखोर, अरदौरा तथा भरतखंड पकड़ी को छोड़कर सभी लाइसेन्सी नेपाल सीमा से 15 किलोमीटर की दूरी के अन्दर कार्य करते हैं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया। †छापी नहीं गयी।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यह अस्पताल से सम्बन्धित है। पीने के पानी की सुविधा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा अतारांकित प्रश्न खाद्य विभाग से सम्बन्धित था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न की संख्या आप बता दें।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें मैंने पूछा है कि तत्कालीन खाद्य मन्त्री श्री त्यागी प्रसाद सिंह को संसद सदस्य श्री यशवन्त सोनकर शास्त्री का कोई शिकायती पत्र दिनांक 31 अगस्त, 1984 को मिला था। यदि हां, तो पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी यदि हां तो क्या। यदि नहीं, तो क्यों। मान्यवर, इसका उत्तर आप देख लें। उत्तर हाँ में है। प्रश्नगत पत्र तत्कालीन खाद्य मन्त्री जी को आया हुआ था, जिसके बारे में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक आगरा से जांच करायी गयी। मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या कार्यवाही हुई, यदि नहीं हुई तो क्यों। लिखित उत्तर आ रहा है कि क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक से जांच करायी गयी तो फिर मान्यवर, मेरे प्रश्न करने का अर्थ क्या रहा।

श्री अध्यक्ष—

अगले हफ्ते में आप इसको फिर लगा लीजिये।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आप इस प्रश्न को पढ़ कर एवं सन्दर्भ समिति के सदस्यों पर भेजिए या तो नियम 49 में सही कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अगले हफ्ते में हम फिर इसको लगा लेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप सब लोग खड़े होंगे तो अव्यवस्था होगी।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, मैं अल्पसंख्यक हूँ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाने की मांग करने पर)

श्री अध्यक्ष—

ओझा जी, आप खुद ही तय कर लीजिये। अब व्यवस्था के इतने प्रश्न उठेंगे तो अव्यवस्था होगी।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का स्थान ग्रहण कर जाने पर)

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के बारे में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने जानना चाहा था कि नेपाल की सीमा पर भारी पैमाने पर तस्करी हो रही है। किरासिन आयल, डीजल चीनी की तस्करी हो रही है। नेपाल के बार्डर पर लोगों को लाइसेन्स दे रखे हैं जो इसकी तस्करी करते हैं।

उत्तर में, जो दो डीलर्स हैं, उनके सम्बन्ध में तो बतला दिया गया कि मेसर्स शंकर्स और यादव जो निचलौल में डीजल वितरक हैं, उनका तो बतला दिया गया है, लेकिन मेरे प्रश्न का जो असली उद्देश्य था, उसे छिपाया गया है। एक फर्म है मेसर्स तीरथराम ठोठीवारी, जो नेपाल सीमा के आधे किलोमीटर की दूरी पर फुटकर बिक्रेता है। इसका अपना फिलिंग स्टेशन गोरखपुर में है और वहां से वर्ष 84 में यह लाखों लीटर डीजल और मिट्टी का तेल नेपाल को भेजा है। यह अधिकारियों को मैनूपुलेट करके नेपाल सीमा पर लाइसेन्स लेने में कामयाब रहा है, जबकि इसके विरुद्ध तस्करी और अन्य मामलों की अनेक शिकायतें शासन के संज्ञान में हैं।

मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहा था कि वर्ष 1984 में सभी इन डीलरों ने कुल कितना लीटर डीजल वितरित किया? लेकिन शासन ने जानबूझकर मेसर्स तीरथराम ठोठीवारी द्वारा वितरित माबा कितनी है, इसका उत्तर नहीं दिया और इस प्रकार से मेरे प्रश्न पूछने का जो असली उद्देश्य था, वह पूरा नहीं हुआ।

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि लाखों लीटर मिट्टी का तेल और डीजल इस फर्म ने वर्ष 1984 में फर्जी लोगों के नाम पर वितरित दिखला करके नेपाल भेजा है। मैं प्रश्न के माध्यम से यह चाहा था कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय। कृपया माननीय खाद्य मन्त्री जी से मेरे प्रश्न का सटीक उत्तर दिलवाने का निर्देश देने का कष्ट करें और शासन को यह भी निर्देशित करने की कृपा करें कि तस्करी के इस बड़े मामले की खुली जांच करायें।

*खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, क्या आपने प्रश्नों का समय बढ़ा दिया है? माननीय ओझा जी बहुत पुराने सदस्य हैं, अगर कोई अतारांकित प्रश्न है, तो उसे दूसरे ढंग से पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह बहुत गलत परम्परा है। आपने जब आदेश दिया है और आपके आदेश पर ही मैंने यह प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मान्यवर, यह आपके अधिकार पर शासन का हस्तक्षेप है। मान्यवर यह माननीय मन्त्री जी द्वारा व्यवधान उत्पन्न करना शोभा नहीं देता। मान्यवर, शासन को कोई अधिकार नहीं है कि वह आपके अधिकारों में हस्तक्षेप करे।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको इजाजत दी और आपकी बात सुनी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री राम रतन—

मान्यवर, माननीय दीनियाद हुसैन अन्सारी बहुत देर से खड़े हुए हैं और ये नये सदस्य हैं, इसलिए मान्यवर इन्हें एक प्रश्न पूछने का अवसर दे दीजिए।

*श्री दीनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, एक मेरा भी प्रश्न था। मान्यवर, यह शासन, जो प्रश्न किया जाता है, उसका उत्तर गोलमोल करके जवाब देता है। मान्यवर, जैसे कोई क्राइम होता है, तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है या तो कोई झगड़ा हो, या कोई अन्य विवाद रहा हो या कोई एक ही स्त्री हो, जिससे दो लोग इश्क करते हों, इस प्रकार से कोई न कोई मोटिव, कोई न कोई राज उसके पीछे होता है। लेकिन मन्त्री को कोई जानकारी नहीं है कि प्रश्न किस भावना से किया गया है, इसलिए प्रश्नों के उत्तर गोलमोल करके दिया जाता है और भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों का संरक्षण करते हैं।

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम छौलिया, ब्लाक पसावा में श्री राम रतन सिंह, संसदीय कार्य मन्त्री के गांव में, उनके घर के सामने एक पक्का तालाब स्मृति में भूमि संरक्षण अधिकारी के द्वारा बनाया जा रहा है? यदि नहीं, तो इसे कौन विभाग बना रहा है? मान्यवर जवाब मिलता है, जी नहीं विभाग को जानकारी नहीं है, जबकि मुझे निश्चित जानकारी है कि भूमि संरक्षण अधिकारी ने ब्लाक एरिया में फर्जी सर्वेक्षण कराया, जिसमें लगभग 48 हजार घन लगाना दिखाया, लगभग 2 लाख रुपये का धन का गोलमाल किया गया और सब गांठ करके इसी पैसे से तालाब बनवाया जा रहा है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि नहीं, तो इसे कौन विभाग बनवा रहा है, क्योंकि मुझे भी अपने क्षेत्र में पक्का तालाब बनवाना है। मैं प्रार्थना-पत्र किस विभाग को दूं? इस प्रकार से सही उत्तर न देकर सरकार गुमराह करती है और प्रश्नों के उत्तर का अर्थ नहीं निकलता। कृपया इसकी जांच करने का कष्ट करेंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें। वरना कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

कोई बात लिखी नहीं जाएगी।

श्री कृष्ण दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट भी नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

द्विवेदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप बैठ जाएं। आप सदन के बीच में खड़े हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। कृपया उसको सुन लें।

(व्यवधान)

मान्यवर, किस नियम के अन्तर्गत अभी सदन के एक माननीय सदस्य ने हमारे माननीय मन्त्री जी के बारे में कहा।

(व्यवधान)

मान्यवर, उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं उन्हें कार्यवाही से निकलवा दें।

(व्यवधान)

बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, इलाहाबाद में व्याप्त अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12.32]

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 47 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से नौ सूचनायें श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सुखपाल पाण्डे, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्री विष्णु देव श्री अफसर यू0 अहमद श्री बृहम दत्त द्विवेदी श्री शिवेन्द्र सिंह, श्री राज किशोर सिंह तथा श्री राम आसरे वर्मा की मैंने स्वीकार की हैं।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर इलाहाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा इससे जुड़ी 1842 प्राथमिक पाठशालाओं 404 जूनियर पाठशालाएं तथा 250 सहायता प्राप्त विद्यालयों का कामकाज बेसिक शिक्षा अधिकारी के अभाव तथा व्याप्त अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के कारण एकदम ठप पड़ गया है। 18 जुलाई को बेसिक शिक्षा अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया। कोई दूसरा वहां नहीं भेजा गया इससे सम्बन्धित 10 हजार शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों के वेतन वितरण, प्रोन्नति, तबादला, समायोजन तथा अन्य सामान्य कार्य बन्द हो गये हैं। अध्यापकों ने इसके विरोध में कार्यालय पर धरना जारी कर दिया है। नये सत्र की शुरुआत है। परिषद् के स्कूलों में पढ़ रहे 2 लाख 61 हजार तथा एक लाख 13 हजार बालिकाओं का भविष्य अन्धकार के कगार पर खड़ा है। शिक्षा विभाग के प्रायः सभी उच्चाधिकारी इलाहाबाद में ही बैठते हैं किन्तु किसी की भी नजर इस बिगड़ती स्थिति पर नहीं जा रही है या तो सब जानबूझकर अन्जान बन रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल स्थिति सुधारने की अपेक्षा सरकार से करते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोरखपुर में "राज टाकीज" के गेट कीपर श्री छेदी लाल यादव की अराजक तत्वों द्वारा हत्या किये जाने तथा पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखपाल सिंह—

मान्यवर, मैं अपने माध्यम से सरकार का ध्यान गोरखपुर जिले में अराजकतत्वों के बढ़ावा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। 19 जुलाई, की रात्रि में राज टाकीज के गेटकीपर श्री छेदीलाल यादव की कीर्तिपुर अपराधी तत्वों ने गोली मार कर हत्या कर दी अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गये क्योंकि पुलिस और अपराधियों की सांठगांठ पहले से होने के कारण सिनेमा कर्मचारियों तथा नागरिकों में इसे असन्तोष एवं आतंक पैदा हो चुका है। पुलिस की निष्क्रियता के कारण सिनेमा कर्मचारियों ने 8 अगस्त से पूर्ण हड़ताल करने का निर्णय कर लिया। हड़ताल की अवधि में तोड़फोड़ की घटनायें भी घट सकती हैं। गोरखपुर तथा आसपास के जिलों में असामाजिक तत्वों तथा पुलिस के सांठगांठ का बढ़ावा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है जिसे सरकार रोकने में असमर्थ है।

अतः सदन के माध्यम से मा0 मुख्यमन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गोरखपुर के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करके पुलिस और असामाजिक तत्वों के सांठ-गांठ की जांच कराकर सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की सदन के माध्यम से मुख्यमन्त्री जी से मांग करता हूं।

बलिया जिले में निराश्रित विधवाओं को पेंशन मिलने में कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

मान्यवर, जनपद बलिया में निराश्रित विधवाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय एवं करुणाजनक है। इस सम्बन्ध में तहसील बांसडीह में पिछले माह लगभग 400 निराश्रित विधवाओं को पेंशन हेतु आवेदन-पत्र मैंने दिये थे परन्तु अब तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी। साथ ही यह भी निवेदन करना है कि जनपद के हजारों विधवाओं को पेंशन सम्बन्धी फार्म तहसील एवं हरिजन कल्याण कार्यालयों में वर्षों से सम्बन्ध हैं। फार्म को पूरा करने की प्रक्रिया में हजारों विधवायें प्रधानों, तहसील तथा हरिजन कार्यालय पर चक्कर लगा रही हैं परन्तु कम से कम प्रति फार्म लगभग 400 रुपये तक खर्च करने के बाद ही लगभग एक लम्बी अवधि एवं दौड़ाने भागदौड़ के बाद किसी प्रकार से कुछ महिलाओं को पेंशन लाभ मिल पा रहा है। इसके अतिरिक्त इन विधवाओं के भरण-पोषण हेतु न तो सिलाई-कताई प्रशिक्षण का कोई सुविधा सरकार द्वारा संचालित न किये जाने के कारण हजारों विधवायें भुखमरी, नारकीय जीवन तथा असम्मानित जिन्दगी बिताने पर बाध्य हो रही हैं। सरकार द्वारा इन पर ध्यान न दिये जाने से जनपद की जनता में क्षोभ एवं सरकार के प्रति अविश्वास की भावना व्याप्त हो रही है।

अतः लोकमहत्व के इस अति ज्वलन्त-नीय एवं निश्चित विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करती हूं कि पेंशन

सम्बन्धी प्रक्रिया को आसान बनाया जाये तथा महिलाओं के भरण पोषण हेतु कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जाये।

श्री किरनपाल सिंह—

सरकार कहां है।

श्री राम सरन—

यह बूढ़ी सरकार है।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, इनको चश्मा लगवा दीजिये।

नत्थूपुर, आजमगढ़ में बाढ़ सुरक्षा हेतु निर्मित सड़क में कमजोर ईंटों के प्रयोग तथा घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विष्णु देव—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर जनपद आजमगढ़ में बाढ़ से सुरक्षा के लिये इस वर्ष ग्राम गाजियापुर परसिया के बीच ग्राम चौहारपुर के दक्षिण मिट्टी डालकर सड़क को ऊंचा किया गया है और उस पर जो खड़न्जा लगाया गया है उसमें 3/4 सोयम दर्जे की ईंट लगायी गयी है। मैंने स्वयं 12-5-85 को मौके पर देखा और मा0 सिंचाई मन्त्री व अधिशासी अभियन्ता, आजमगढ़ को दिनांक 16-5-85 को पत्र द्वारा सूचना देकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग की, जिलाधीश आजमगढ़ भी मौके पर गये थे तो उन्हें भी खड़न्जा में सोयम दर्जे की ईंट दिखायी गयी। इसके बावजूद अब तक सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और पैसा पेमेन्ट कर दिया गया। सोयम दर्जे की ईंट उक्त खड़न्जा में अभी तक पड़ी हुयी है इस प्रकार भ्रष्टाचार पर परदा डालने, सरकारी धन का दुरुपयोग होने से जनता में शासन के प्रति बहुत ही असन्तोष पैदा हो गया है।

अतः माननीय सदन से अनुरोध है कि आप सरकार को आदेश दें कि भ्रष्टाचार के लिये जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित करके न्याय दिलायें।

प्रदेश के बुनकरों की 'जनता धोती' न खरीदे जाने तथा भुगतान न होने से उनमें भुखमरी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के संज्ञान में प्रदेश के लाखों बुनकरों, जो भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, से सम्बन्धित अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं। अर्ज करना है कि प्रदेश के लाखों बुनकर दिन रात मेहनत करके जनता धोती तैयार करते हैं। जिस पर भारत सरकार 12 रुपये प्रति जोड़ा अनुदान देती है तथा जिन धोतियों की खरीदारी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि प्रति सप्ताह यह धोतियां नियमित रूप से खरीदी जायं तथा दाम का भुगतान किया जाय परन्तु खेद का विषय है कि यह खरीदारी दो महीने तक

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नहीं होती है तथा खरीदारी के बाद भुगतान अगले दो महीने तक नहीं होता है जिससे बुनकर भुखमरी का शिकार हो जाते हैं तथा मजबूर होकर 34 रुपये की पर्ची 20 रुपये से 25 रुपये तक दलालों के हाथ बेच देते हैं। दलाल अधिकारियों को हिस्सा पहुंचाते रहते हैं जिससे अधिकारी इस ओर और विलम्ब करते हैं।

आजकल हथकरघा अधिकारियों द्वारा एक नया उत्पीड़न शुरू किया जा रहा है जिसमें एक बुनकर परिवार से माह में केवल 28 जोड़ा धोती ही खरीदी जा रही है। जब कि एक बुनकर परिवार एक सप्ताह में 100 जोड़ा तैयार करते हैं। यह उत्पीड़न मेरे जनपद बस्ती तथा निर्वाचन क्षेत्र मेंहदावल में चरम सीमा पर है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बुनकरों को तैयार किया हुआ पूरा माल प्रति सप्ताह खरीदा जाय तथा उनका भुगतान किया जाय एवं इस ओर लापरवाही करने वाले अधिकारियों, और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

कानपुर में मूलगंज थाना हवालात से कुख्यात चोर चन्द्रपाल के गायब होने तथा पुलिस कर्मियों के आपसी संघर्ष से जनता में आतंक के सम्बन्ध में

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय और सुनिश्चित प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जनता के सेवक और शान्ति व्यवस्था के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के दो गुटों में कल रात कानपुर के मूलगंज के थाना क्षेत्र में जमकर संघर्ष हुआ जिसके फलस्वरूप थानाध्यक्ष सहित कई पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। थानाध्यक्ष श्री जे0 पी0 सिंह और उसके गुट वालों का आरोप है कि चौबे गोला पुलिस चौकी के दीवान ने जनपद फतेहपुर के कुख्यात अंतरजिले चोर चन्द्रपाल को हवालात के अन्दर से भगा दिया। वहीं दूसरे गुट का यह कथन है कि स्वयं दीवान को झूठा फंसाने के लिए स्वयं थानाध्यक्ष ने यह साजिश की है।

कानपुर के उच्च पुलिस अधिकारियों में कुछ अधिकारी थानाध्यक्ष और कुछ दूसरे गुट का खुला समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि अपने-अपने गुट के दोनों पुलिसजनों को बचाने और दूसरे गुट के लोगों को फंसाने के लिए भारी तोड़-फोड़ में संलग्न हैं, जिससे जनता में असुरक्षा और पुलिस बल में अनुशासनहीनता पनप रही है जिसके कारण शातिर बदमाशों की बन आयी है और पुलिस कर्मी इन अपराधियों से सांठ-गांठ कर एक दूसरे गुट को बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए तोड़-फोड़ में जुटे हैं जिससे कानपुर की आपराधिक स्थिति भयंकर बन रही है। विचित्र बात तो यह है कि चन्द्रपाल चोर की हवालात में बन्द होने का रिकार्ड भी गायब है। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्यमन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्थिति को नियंत्रित करने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाने हेतु सदन में वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

सिसवा, गोरखपुर के कतिपय गांवों को भोरहिया नदी के पानी से खतरा होने तथा उनकी सुरक्षा की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। गोरखपुर जनपद का मेरा विधान सभा क्षेत्र सिसवा नेपाल की सीमा पर स्थित है। मेरे क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर नेपाल सरकार ने अपने क्षेत्र में भोरहिया नदी के दोनों तट पर 10 फिट ऊंचा बांध बनाकर मेरे क्षेत्र में भोरहिया नदी के तट से लगा हुआ लक्ष्मीपुर, खेसरहा के बीच में सरहद तक लाकर छोड़ दिया है। इस प्रकार नेपाल के पहाड़ का सारा पानी उक्त नाले से चन्दन, मलांव, गण्डक आदि नदियों में फैलकर लक्ष्मीपुर, खेसरहा से लेकर लगभग 20 गांवों को सीधा डुबाने की स्थिति में पहुंचा दिया है। इस क्षेत्र के लोगों में इस स्थिति के कारण असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है और लोग गांव छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर भागने की तैयारी कर रहे हैं। यह स्थिति बरसात के प्रारम्भ में है। यदि अविलम्ब इसके रोकथाम की कार्यवाही नहीं की गयी तो इस क्षेत्र के लगभग 10 हजार लोगों का जीवन संकट में पड़ जायगा। मैं शासन से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र के नेपाल सीमा पर बसे हुए गांवों की सुरक्षा की तत्काल व्यवस्था की जाय।

वाराणसी जनपद में कोरउत बाजार और कोइराजपुर के बीच वरुणा नदी पर पुल बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वाराणसी जनपद में वरुणा नदी के दोनों तटों पर सैकड़ों गांव आबाद हैं और दोनों तरफ सम्पर्क मार्ग निर्मित हैं, किन्तु नदी पर पुल न होने से दोनों तरफ के लोगों का आना-जाना तथा व्यवसायिक व जीवनोपयोगी सामानों का स्थानान्तरण कठिन होता है। बरसात के मौसम में चारों तरफ जलमग्न रहता है जिससे जनता को अपार कष्ट होता है। यदि वरुणा नदी पर कोरउत बाजार और कोइराजपुर के बीच पुल का निर्माण हो जाय तो क्षेत्र का विकास होगा। इस पुल के निर्माण से नदी के दोनों तरफ के सम्पर्क मार्गों दक्षिण तरफ जी0 टी0 रोड व वाराणसी भदोही मार्ग एवं उत्तर तरफ—वाराणसी-जौनपुर रोड पर चलने वाले हजारों यात्रियों का आवागमन तथा सम्पर्क आसान हो जायगा और इससे एक नियोजित बाइपास रोड का उद्देश्य भी पूरा हो जायगा। उक्त पुल के निर्माण न होने से क्षेत्र की जनता में बड़ा असन्तोष व्याप्त है। अतएव, इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुए आपके माध्यम से शासन से सन्दर्भित पुल के निर्माण की मांग करता हूं।

प्रदेश के प्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति न होने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, प्रदेश के प्रशिक्षण प्राप्त 725 ग्राम विकास अधिकारियों को 14

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिसम्बर, 1983 से आज तक नियुक्त न किये जाने से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ओर तो प्रशिक्षण के बाद तीन वर्ष तक के लिए बाण्ड भरवाकर दूसरी जगह सेवा के योग्य नहीं रखा, दूसरी ओर नियुक्ति नहीं की जा रही है। डेढ़ वर्ष से ज्यादा उन्हें बेकारी में भटकते हो गया बहुतों की आयु भी ज्यादा हो गयी है। विधायकों एवं मंत्रियों के दरवाजे खट खटाने के बाद भी कोई रास्ता न मिल पाने से उनमें क्षोभ एवं रोष व्याप्त हो गया है। अतः सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन द्वारा तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

विशेषाधिकार की सूचनाओं के कार्य-सूची में न आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मद संख्या 4 विशेषाधिकार की सूचनाओं के बारे में है। वर्तमान विधान सभा गठित होने के बाद मान्यवर, जो भी सूचना विशेषाधिकार के सम्बन्ध में दी जाती है आपके कार्यालय से उसे सीधे सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिया जाता है। इस सदन की परम्परा रही है, आप पुरानी कार्यवाहियां देख लें कि वे सूचनाएं कार्यसूची में आती थीं। अब की बार यह नहीं हुआ और सीधे अधिकारियों के पास भेज दी गयीं। माननीय दीक्षित जी, सदस्य बैठे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी सूचना सीधे अधिकारी के पास भेज दी गयी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह हमारा अधिकार है। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। इसका कार्यसूची में जिक्र होना चाहिये, लेकिन इसे दर्ज नहीं किया जाता है। पता नहीं सूचना पर कार्यवाही होती है या यों ही पड़ी रहती है। आपको जो विशेषाधिकार की सूचना दी जाय, उसे इस सदन में आना चाहिये कि नहीं, इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रश्न उठाया है, हम इसे देख लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, पिछले सत्र में मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। आपने कहा था कि निर्णय लेंगे। अब तक मुझे नहीं बताया गया और न ही सदन को अवगत कराया गया कि आपने क्या निर्णय लिया।

श्रीमन् धान घोटाला काण्ड एक प्रसिद्ध काण्ड हुआ था उत्तर प्रदेश में। विधान सभा में भी इस पर चर्चा हुई थी। शासन ने स्वयं स्वीकार किया था कि बड़ा सम्भवित मामला है, इसकी जांच की जायेगी। केवल एक क्षेत्र की जांच की गयी तो जांच अधिकारी को 6 करोड़ का घपला मिला माननीय मुख्यमन्त्री जी ने बड़ी मासूमियत के साथ वक्तव्य दिया कि इसमें कोई घपला नहीं है जो नुकसान हुआ है वह सूद का नुकसान 6 करोड़ का है। मैं कहना चाहता हूं कि चावल की रिकवरी में 6 प्रतिशत की जो कटौती की गयी न उसकी बाबत एफ0 सी0 आई0 में कोई नियम है न स्टेट गवर्नमेन्ट में कोई नियम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं केवल रिकवरी में छूट देकर 6 करोड़ का गबन हुआ है। इसमें 60-70 करोड़ का कुल घपला है। 4 सचिवों की एक समिति बना दी गयी। उन सचिवों ने रुपया लेकर इसकी लीपापोती की। इसके बाद माननीय मंत्रियों की समिति बनी।

इसमें एक मन्त्री ने भी लीपापोती में साथ दिया। बताया जाता है कि उस मन्त्री ने 10 लाख रुपया रिश्वत लिया था, वह आज दिल्ली चले गये हैं। मैंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दी थी। शासन ने स्वयं स्वीकार किया था कि बड़ा गम्भीर मामला है। उस विशेषाधिकार की सूचना पर आपने क्या निर्णय लिया, उसका पता नहीं। आप कब निर्णय लेंगे, उसके बारे में कुछ सूचित करेंगे ?

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, विशेषाधिकार की सूचना नियम 63 के अन्तर्गत सदन में उपस्थित होती है। नियमों के मुताबिक यह सूचना उपस्थित होने पर सदन में माननीय सदस्य उसको पढ़ते हैं, ग्राह्यता के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष व्यवस्था देते हैं। मुझे बताया गया कि इसमें एक प्रक्रिया बना ली गयी है परीक्षण कराने की। मान्यवर, आपके कार्यकाल में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परीक्षण की क्या प्रक्रिया रहेगी। मान्यवर, पिछले सत्र में मैंने माननीय मुख्यमन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी थी। उसमें जानकारी नहीं हुई कि क्या हुआ। परीक्षण के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था देना चाहें या कोई प्रक्रिया निर्धारित करना चाहें तो सदन के अन्दर उसको स्पष्ट कर दिया जाय। माननीय सदस्यों के लिये जो यह महत्वपूर्ण अधिकार उपलब्ध है, उससे हम लोग वंचित हो रहे हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि हमारे अधिकारों को आपका संरक्षण मिलना चाहिये। एक परम्परा रही है कि विशेषाधिकार की जो सूचनायें यहां दी जाती हैं, उसके बाद मान्यवर, आपकी पीठ से यह आदेश दिये जाते हैं कि परीक्षण के लिये और जिसके खिलाफ सूचना है उसके कमेन्ट के लिये इसे भेजा जा रहा है। लेकिन मान्यवर, जो यह हम लोगों का अधिकार था, उसका धीरे-धीरे क्षय हो रहा है, उसमें कमी हो रही है। मैं चाहूंगा कि जो इसमें शुरू से परम्परा रही है, उसे समाप्त न किया जाय। यदि माननीय सदस्यों के अधिकारों को बढ़ाया नहीं जा सकता है तो कम से कम जो उनको अधिकार उपलब्ध हैं, उनमें कमी न की जाय। तमाम नियम जो बने हैं, उनके तहत हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जब उन नियमों के दरवाजे ही बन्द हो जायेंगे, तब ही माननीय सदस्य आपकी अनुमति के बिना अपनी बात सदन में कहने के लिये बिना नियम के बोलेंगे। मान्यवर, व्यवस्था को बनाये रखने के लिये, नियमों की पवित्रता को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि जो परम्परा रही है, उसको बनाये रखा जाय। ताकि हम सदस्य अपनी बात रख सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

हमारी पूरी कोशिश रहती है कि नियमों के अन्तर्गत जो आपके अधिकार हैं, उसी हिसाब से कार्यवाही हो।

माननीय नेताओं की एक बैठक करके जो कार्यवाइयां आपने पेश की हैं, उसमें उसे रखा जाय और देखा जाय कि क्या समाधान हो सकता है।

तारांकित प्रश्न 6 एवं 10 के आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री अकबर हुसैन, श्री जगुना प्रसाद बोस, श्री गौरी शंकर भइया, श्री राम आसरे वर्मा और श्री बदन सिंह। मैंने इन सभी सूचनाओं को देखने के बाद अस्वीकार किया है।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, आज दिनांक 8-8-1985 के एजेन्डा में मेरे तारांकित प्रश्न संख्या-6 को आप देखें, जो आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त हो गया है। इसी प्रकार से श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ जी का क्वेश्चन नम्बर 10 भी आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। कई माननीय सदस्यों के इस प्रकार के सवाल निरस्त कर दिये गये हैं आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण मेरी जानकारी के अनुसार पिछली विधान सभा के विघटन होने के साथ ही साथ उस समय की आश्वासन समिति का भी विघटन हो गया।

1980 से लगभग ढाई हजार ऐसे प्रश्न हैं, जो आश्वासन समिति में विचाराधीन हैं। अब नियम यह है कि माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न यदि किसी भी समिति में विचाराधीन है तो उसके ऊपर हम यहां प्रश्न नहीं कर सकते। लेकिन आज न तो उन प्रश्नों पर आश्वासन समिति में ही विचार हो रहा है और न उन्हें हम यहां पर ही उठा सकते हैं। आश्वासन समिति में उन पर इसलिए विचार नहीं हो रहा है क्योंकि वह अस्तित्व में ही नहीं है इस प्रकार माननीय सदस्यों को आदरणीय सदन में प्रश्नों को उठाने का जो अधिकार प्राप्त था, उसके निर्वहन में भारी रुकावट आ गयी है। इसलिए यह एक साफ औचित्य का प्रश्न है, इसको उठाने की अनुज्ञा मैं आपसे चाहता हूं।

उपाध्यक्ष, विधान सभा का पद रिक्त होने की दशा में अधिष्ठाता मण्डल का गठन असंवैधानिक होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है, वह संविधान के अनुच्छेदों की अवहेलना से सम्बन्धित है। संविधान के अनुच्छेद 180 (2) को आप देखें। उसमें व्यवस्था है कि अगर अध्यक्ष सदन में अनुपस्थित रहें तो उनकी सलाह पर उपाध्यक्ष काम करेंगे। यदि उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहें तो उसके बाद अधिष्ठाता मण्डल काम करेगा। इस समय उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, न कि अनुपस्थित है। संविधान में जो व्यवस्था है वह अनुपस्थित

रहने पर है। इसके बाद अधिष्ठाता मण्डल काम करता है। यदि उपाध्यक्ष का पद ही रिक्त है तो अधिष्ठाता मण्डल का गठन ही असंवैधानिक है। इस सत्र में अधिष्ठाता मण्डल की अध्यक्षता में जो कार्यवाही हुई है वह सब असंवैधानिक है। हमारी जो कार्य संचालन नियमावली बनी हुयी है, वह संविधान के तहत बनी हुई है। कार्य संचालन नियमावली और संविधान इन दोनों के साथ-साथ मिलकर इस विधान सभा की कार्यवाही होती है।

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के पृष्ठ-8 के आइटम नम्बर-10 अधिष्ठाता मण्डल को देखें। जिसमें लिखा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष का प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष सभा के सदस्यों में से अधिक से अधिक 10 सदस्यों का एक मण्डल नाम निर्देशित करेंगे और उनमें से कोई एक, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर, पीठासीन सदस्यों के कहने पर सभा में पीठासीन हो सकेंगे।

श्रीमन्, एक आदमी, अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है या उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो पीठासीन अधिकारी में से कोई एक आदमी सभा का संचालन करेगा लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां रोज दो-तीन-चार लोग आपके आसन पर बैठते हैं। विधान सभा की कार्यवाही चलाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेदों की एकदम अवहेलना इस सदन में हो रही है, संविधान के ऊपर न तो हम हैं, न अध्यक्ष हैं और न ही यह हाउस है। संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप हम लोगों को चलना है। इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

शासन द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा करने के आश्वासन के बावजूद भी बांदा में पत्रकारों को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री गौरी शंकर भइया—

नियम 300 के अन्तर्गत मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है जो समय-समय पर आपकी पीठ से निर्देश जारी किये गये हैं, पत्रकारों का उत्पीड़न न हो और उनको सुरक्षा प्रदान की जाय। मान्यवर, आपने भी और आपके पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी समय-समय पर यह निर्देश जारी किये हैं।

यह अखबार है मान्यवर, पढ़ा होगा, बांदा जिले में सारे के सारे पत्रकार गुण्डे हो गये हैं, डकैत हो गये हैं, 56 में राना जी ने उठाया था और आपने वक्तव्य के लिए निर्देश भी दिया था, भोला तिवारी से, जो जरनल एसोसिएशन के लोग हैं, अखबार वाले, मिले थे। सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी सेटअप कर दी गयी थी। एक तरफ इन्क्वायरी चल रही है और दूसरी तरफ मार-पीट का काम, गाली देने का काम जेल में बन्द कर देने का काम कर रही है बांदा की पुलिस। 28 जुलाई को बांदा के पत्रकार गये पी0 डब्लू0 डी0 के अधिशासी अभियन्ता के पास डाक बंगला लेने, जिलाधिकारी ने आरक्षण के आदेश कर दिये थे, वह भ्रष्ट अधिकारी है पी0 डब्लू0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डी0 ने, पत्रकारों को बंगला देने से इन्कार कर दिया क्योंकि वह लोग उसके खिलाफ कई बार अखबारों में छापते रहे हैं। पत्रकारों से उसकी कहा सुनी हो गयी। कोतवाली में उसके विरुद्ध रपट दर्ज करायी गयी। उधर इंजीनियरों ने 13 पत्रकारों के खिलाफ रपट दर्ज करायी। इस प्रकार घटना के पक्ष में और विपक्ष में रपट दर्ज हुई। यहां माननीय सदस्यों ने राय व्यक्त की थी और उसके बाद वक्तव्य के लिए सरकार को कहा कि इस मामले में वक्तव्य दिया जाय। जब उसके निर्देश दे दिये गये, तो उसके बाद एक अगस्त को पुनः वहां के इंजीनियरों ने 10 पत्रकारों के खिलाफ 40 रुपये की लूट का फर्जी मुकदमा कायम करा दिया और . . .

एक सदस्य—

केवल चार रुपये प्रति आदमी पड़ा . .

(व्यवधान)

(श्री राम सजीवन तथा अन्य कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य खड़े हैं, जिनको नहीं बुलाया है, उनका कोई शब्द नहीं लिखा जायगा।

श्री गौरी शंकर भइया—

दो अगस्त को, शासन को फिर खबर नहीं हुआ . . .

(व्यवधान)

श्री राम सजीवन—

[x x x]

(व्यवधान)

(श्री राम सजीवन तथा श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा द्वारा खड़े होकर बोलने से व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य बिना इजाजत के खड़े होंगे और बोलेंगे, कुछ नहीं लिखा जायगा। आप लोग बैठें।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया—

पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने पत्रकारों पर मुकदमा दायर कर दिया है, 5 पत्रकार जेल में बन्द हैं, 33 पत्रकारों के खिलाफ कुर्की के आर्डर दे दिये गये हैं। जब पुलिस की इन्क्वायरी पर यकीन नहीं होता तो सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी सेट कर दी, जब सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी चल रही है, तो पुलिस की कार्यवाही बन्द होनी चाहिये थी, लोगों की गिरफ्तारी और कुर्की नहीं होनी चाहिये थी। यह उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की जो आजादी है, जो छापने की स्वतंत्रता उनको है, उस पर कुठाराघात हो रहा है जो निर्देश जारी किये हैं, उसका उल्लंघन हो रहा है। भोलानाथ तिवारी, गृह सचिव को हटाइये, यह गुण्डई कराता है। पी0 डब्लू0 डी0 के भ्रष्ट अधिकारी को हटाकर सी0 आई0

नोट—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डी0 की जांच कराकर शीघ्र शासन रिपोर्ट दे।

(संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री राम सजीवन—

इस विषय को मैंने आज ही नियम 56 में दिया है। इसी पर पहले सदन में चर्चा हो गयी है। इस पर वक्तव्य आना है, लेकिन आपने औचित्य के प्रश्न के जरिये पुनः उठाने की अनुमति दे दी ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी बात सुन ली, अब आप बैठें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मैं बहुत ही विनम्रता के साथ नियम 300 की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इसका हवाला देकर जो मुद्दे उठे हैं, वैसे तो सबको आजादी है, उठा सकते हैं, लेकिन मैं विशेष तौर से सम्मानित सदस्य गौरी शंकर भइया द्वारा जो प्रश्न उठाया गया नियम 300 का हवाला देकर और जो तमाम शासन के अधिकारियों पर आरोप भी लगाये गये।

आप शायद उस दिन नहीं थे, इससे पहले सवाल उठाया गया, चर्चा हुई, दो पक्ष रखे गये, एक पक्ष मा0 यादव जी ने रखा और दूसरा मा0 सदस्य ने रखा इस पर विवाद खड़ा हो गया, इसके बाद वक्तव्य के निर्देश हो गये, वक्तव्य आ जायगा। मैं व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि एक प्रश्न उठ चुका है, वक्तव्य के लिये स्वीकार हो चुका है, सरकार वक्तव्य देगी, तो क्या औचित्य के प्रश्न का आवरण लेकर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर सदन का समय नष्ट किया जा सकता है ?

(श्री गौरी शंकर भइया के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, निर्णय हो चुका है।

उपाध्यक्ष, विधान सभा का पद रिक्त होने की दशा में अधिष्ठाता मण्डल का गठन असंवैधानिक होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री मैनेजर सिंह—

मा0 राम गोविन्द जी ने संविधान की धारा 180 की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 178 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं, अंग्रेजी में है या इसका भाष्य रख दूं। धारा 178 में स्पष्ट है कि विधान सभा दो सदस्यों को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी।

यह हमारे संविधान में व्यवस्था है। इससे स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि दोनों के चुनाव साथ-साथ होंगे क्योंकि दोनों के कृतित्व भी सम्मिलित हैं। श्रीमन्, यह गलत परम्परा हमारे प्रदेश में पड़ी है। यह परम्परा तब से पड़ी है जब से यह हुआ है कि उपाध्यक्ष विपक्ष से चुना जायेगा। यह गलत परम्परा पड़ी है। इसमें विपक्ष के नेताओं का भी स्वार्थ निहित होता है और सत्ता पक्ष भी अपने निहित स्वार्थों के कारण इसको टालता चला जाता है। श्रीमन्, मुझे खेद है कि आप जैसे सम्मानित अध्यक्ष के रहते हुए भी चुनाव टलता जा रहा है, आप भी इस गलत नीति के शिकार होते जा रहे

हैं और यह चुनाव आपके हस्ताक्षर से टलता चला जा रहा है।

श्रीमन्, संविधान निर्माताओं की स्पष्ट मंशा थी और इस तरह से दोनों चुनाव साथ-साथ होने चाहिये। एक ही दिन में एक ही साथ ये दोनों चुनाव होने चाहिये थे। संविधान के अनुच्छेद 178 में आप इसे देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 180 में यह व्यवस्था है कि काम चलाने के लिए उसके उपखण्ड (1) में है कि जबकि पद रिक्त हो तो ऐसे प्रयोजन के लिये राज्यपाल किसी सदस्य को नियुक्त करेंगे। अर्थात् आपकी या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन व्यक्ति काम करेगा इसके लिये दिया हुआ है कि वही व्यक्ति काम करेगा जिसका कि नियमानुसार महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनयन होगा लेकिन यहां तो उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, अधिष्ठाता के रूप में कोई सदस्य कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता और उस स्थान की पूर्ति नहीं होगी।

श्रीमन्, उपाध्यक्ष के न रहने पर या आपके बीमार हो जाने पर या आपके गैर हाजिर होने पर इसी अनुच्छेद की उपधारा (2) में लिखा हुआ है "परसन" यानी "परसन्स" नहीं लिखा हुआ है। यदि आप 5-7 दिन के लिये अनुपस्थित होते हैं तो किसी को आप प्रक्रिया नियमावली के अनुसार प्राधिकृत कर सकते हैं। लेकिन यह आपके अधिकार में नहीं है कि जब आप चाहें जिसको कह दें। कभी खान गुफरान जाहिदी को, कभी डा० कृष्णवीर सिंह कौशल को, कभी प्रमोद कुमार तिवारी को अधिष्ठाता नियुक्त कर दें, यह अधिकार आपको नहीं है। आप किसी एक को कर सकते हैं। इसलिये जो कार्यवाही चल रही है, श्रीमन्, जो कार्यवाही आपकी अनुपस्थिति में चली है, जैसे 18 जुलाई, 1985 को डा० कौशल अधिष्ठाता बने, 22 को खान गुफरान जाहिदी, 25 को भी खान गुफरान जाहिदी, 26 को भी वे ही रहे, 31 को प्रमोद कुमार तिवारी और पहली अगस्त को बाजपेयी जी रहे। इन सबकी अध्यक्षता में ये सारी कार्यवाहियां नियम विरुद्ध हुई हैं। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो कार्यवाहियां इन अधिष्ठाता मण्डल के द्वारा की गयी हैं, वह अनियमित हैं, आप इन्हें अनियमित घोषित करने की कृपा करें।

अन्तिम बात मैं यह कहता हूं कि संविधान द्वारा कर्तव्यों के पालन के लिये आप उपाध्यक्ष का चुनाव जल्दी से जल्दी करावें। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यदि आप उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करायेंगे तो इसके लिये मैं इसी सदन में कोई कठोर कदम उठाऊंगा फिर इसके लिये चाहे आपको मुझे इंगित ही करना पड़े। यहां बैठने से तो फिर अच्छा है कि मैं अपने क्षेत्र में चला जाऊं और वहां कार्य करूं। यहां बैठना व्यर्थ है। यहां संविधान की हत्या होगी, नियमानुसार कार्यवाही नहीं होगी। मैं आपको अन्तिम चेतावनी देता हूं कि यदि इसी सत्र में आप उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करायेंगे तो इसी सदन में मैं जब तक खड़ा रहूंगा जब तक कि आप इंगित करके मुझे निष्कासित नहीं कर देंगे। मैं इसके लिये सख्त कदम उठाऊंगा जिससे कि सारे प्रदेश की जनता का ध्यान यहां की गलत कार्यवाहियों की तरफ जाय।

मैं एक सख्त कदम उठाऊंगा जिससे सारे प्रदेश की जनता का ध्यान यहां की

गलत कार्यवाही की तरफ जाय। मैं फिर से आपसे अनुनय विनय करना चाहता हूं कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें और चुनाव की तिथि आज शाम तक घोषित करें। विरोध के जो माननीय सदस्य हैं उनको आधे घन्टे के लिए आप तिलक हाल में बुला लें, वहीं निर्णय हो जायेगा। यह नेता लोग नहीं निर्णय करेंगे। नेता लोग अपने पाकेट के आदमी को बनाना चाहते हैं। विरोधीपक्ष के माननीय जिम्मेदार सदस्यगण सर्वसम्मत तय करेंगे जिसे तय करेंगे उसे उस स्थान के लिए निर्वाचित कर देंगे, इसमें कोई हमको शंका नहीं है।

श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, मुझे सुन लीजिए आपसे सम्बन्धित है, न्याय की हत्या हो गयी।

श्री अध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं आप बैठ जाइये।

माननीय मैनेजर सिंह को मैंने सुना। मुझे बड़ा दुख हुआ, वह ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, अगर कोई उनको गम गुस्सा है, तो मुझ पर उतार लें मगर ऐसी नौबत न आने दें कि कोई अव्यवस्था हो। जहां तक डिप्टी स्पीकर का चुनाव मुल्तवी होने का था, मैं तो उस पार्टी में भी नहीं था, मैं तो था ही नहीं। जो सदन ने तय किया वह मान्य हो गया। उस सदन में माननीय सदस्यों ने तय किया कि पोस्टपोन कर दिया जाय। मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हो, मैं तो खुद ही परेशान हूं, लिहाजा जो सूचना मैंने उसमें अस्वीकार की थी वह पुनः अस्वीकार हुई।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं, अब आप बैठें।

श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है, न्याय की हत्या हो गयी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया अब आप कृपा करें।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[1 बजकर 27 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 25 सूचनाएं आई हैं, जिसमें से इस प्रकार हैं पहली सूचना श्री अवधेश प्रसाद और राम सागर आदि की, बाराबंकी के लोनी कटरा थाने के अन्तर्गत एक युवती के साथ बलात्कार के बारे में है। इसी विषय पर दूसरी सूचना श्री राम चन्द्र बख्श सिंह और श्री अकबर हुसैन बाबर की भी है। तीसरी सूचना माननीय अशोक वाजपेयी जी की है, यू0 पी0 हैंडलूम कारपोरेशन में घोटाले के बारे में। चौथी सूचना माननीय सत्यपाल सिंह की दुधवा पार्क के शेरों के आतंक के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना माननीय राजेन्द्र गुप्त जी की, आई0 टी0 आई0 के प्रशिक्षित बेरोजगारों द्वारा आन्दोलन के बारे में है। छठी सूचना माननीय मयंकर सिंह की, जरवल चीनी मिल पर लाखों रुपयों का बकाया के सम्बन्ध

में हैं। सातवीं सूचना माननीय गौरी शंकर भइया आदि को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उपेक्षा के सम्बन्ध में है। आठवीं माननीय मानवेन्द्र सिंह की हमीरपुर में बांके बिहारी मन्दिर में मूर्ति की चोरी के सम्बन्ध में है। 9वीं सूचना श्री भोपाल सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह और श्री महेन्द्र सिंह भाटी की मेरठ में सफाई कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन के बाद में, 10वीं और 11वीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही और श्री देव कुमार यादव की 6-8-85 को लखनऊ में हरिजन की हत्या के बारे में हैं, 12वीं सूचना डा० दिनेश जौहरी, श्री श्याम बिहारी सिंह और श्री अवनीश कुमार सिंह की पुलिस द्वारा पत्रकारों को झूठे मुकदमों में फंसाना, 13वीं सूचना मनोहर लाल की म्योर मिल कानपुर में 20 हजार श्रमिकों की हड़ताल, 14वीं सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की उन्नाव में बिजली की आपूर्ति बन्द होने से अस्पतालों में परेशानी, 15वीं सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की घाघरा के कटाव तथा जल प्लावन के बारे में, 16वीं सूचना श्री मूल चन्द की आदिवासियों की समस्या के बारे में 17वीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की बांदा में 3 व्यक्तियों का अपहरण के बारे में, 18वीं सूचना औसान सिंह और सूर्य प्रताप शाही की तिवारी ड्रैन की सफाई न होने के कारण सैकड़ों ग्राम तबाह, 19वीं सूचना श्री बदन सिंह वगैरह की खारे पानी की समस्या के बारे में, 20वीं सूचना श्री शारदा प्रताप की श्रीमती रफिया की दहेज के कारण हत्या के बारे में, 21वीं सूचना श्री राम सजीवन की बांदा में अराजक तत्वों द्वारा मारपीट के बारे में, 22वीं सूचना श्री बृहस्पति दत्त द्विवेदी की बंगला देशवासियों द्वारा अवैध रूप से घुसपैठ के बारे में 23वीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा की राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जीवन की रक्षा के बारे में, 24वीं सूचना श्री हरेन्द्र सिंह वगैरह की जिला परिषद इलाहाबाद में भ्रष्टाचार के बारे में और 25वीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मौतों के बारे में है।

*श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, यह घटना जनपद बाराबंकी के लोनी कटरा थाने के ग्राम धौली का पुरवा मौजा जोरास की है, वहां पर कृष्णावती नाम की 20 वर्ष की महिला रहती है, जिसकी मां और बाप उसकी अल्पायु अवस्था में ही मर गये थे और उसके पास बसर करने का कोई साधन नहीं था, माचिस की दुकान करके अपनी जीविका चलाती थी। मान्यवर, दो तारीख को लोनी कटरा के दो सिपाही उसके घर पर 11 बजे रात्रि को गये और दुकान को खोलने के लिये उससे कहा, उसने दुकान खोलने से इनकार कर दिया। दोनों सिपाही उसके घर में घुस गये और कृष्णावती के साथ बलात्कार किया। दूसरे दिन कृष्णावती लोनी कटरा थाने पर रिपोर्ट लिखाने गयी लेकिन वहां के दरोगा ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया और तीसरे दिन गयी लेकिन जब उसको मदद नहीं मिली तो कल लखनऊ आयी और हजरतगंज थाने में धारा 376 की रिपोर्ट लिखायी। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया जाता है। महिलाओं की मान्यवर, समाज में मान्यता रही है। हमारे यहां कहा भी गया है कि—

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते,

रमन्ते तत्र देवता" ॥

लेकिन मान्यवर, आज शासन महिलाओं के साथ क्या कर रहा है। यह बड़े दुख की बात है कि हमारी पुलिस जिस पर समाज की रक्षा का भार है लेकिन आज उसके द्वारा महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं। इससे ज्यादा शासन का निकम्मापन क्या होगा। ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है तो ऐसी विषम स्थिति बाराबंकी में ही नहीं लोनी कटरा में ही नही बल्कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी इस काण्ड से लोगों में रोष व्याप्त है। इसीलिये इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि सारी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा दें।

श्री राम चन्द्र वख्श सिंह—

मान्यवर, जो बातें माननीय सदस्य ने कहीं हैं, उनको नहीं दोहराऊंगा। मान्यवर, इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या हो गयी है। पुलिस के लोगों ने रेप किया है जो अपंग हैं, अपाहिज हैं। वह अपंग हैं अपाहिज हैं। उसके आगे के दोनों पैर बेकार हैं और उसके साथ इस सरकार की पुलिस ने रेप किया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अभी माननीय संसदीय कार्य मन्त्री कहेंगे कि यह तो एक घटना है। मान्यवर, यह एक घटना नहीं है हरिजनों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के साथ रेप और वह भी पुलिस द्वारा हो रहा है। यह अत्यन्त निन्दनीय है। आज पूरे प्रदेश में जो घटनायें घट रही हैं इससे ज्यादा चिन्ता की और कोई बात नहीं हो सकती है। बाराबंकी जनपद में ऐसी घटनाओं को लेकर बहुत रोष व्याप्त है। लिहाजा मैं इस महत्वपूर्ण लोकहित के विषय पर कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करा दें।

*श्री राम सागर—

मान्यवर, कल जब मैं इस माननीय सदन में भाग लेने के लिये आ रहा था मेरे जनपद की यह कृष्णावती नामक लड़की जो दोनों पैरों से विकलांग है, उसके साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता दारुल सफा के प्रांगण में इस न्याय की जिज्ञासा से कि इसके साथ जो अन्याय हुआ है, वह मुझसे मिले। मैंने इस मामले को हजरतगंज कोतवाली में रिपोर्ट लिखाने के लिये उन्हें बताया। क्योंकि लोनी कटरा में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, इसीलिये मैंने कहा कि हजरतगंज कोतवाली में लिखा लो। वहां उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। लेकिन मान्यवर, जब मैं शाम को लौटकर गया तो मैंने देखा कि यहां पर लखनऊ में जब कि उसकी चेक-अप की पूरी व्यवस्था है, यहां उसका चेक-अप न कराकर यहां के पुलिस ने बाराबंकी की लोनी कटरा पुलिस के दरोगा सिद्दीकी के पास जिन्होंने कि इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी थी, उसी के पास फिर से भेज दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर मामला और क्या हो सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप आज सदन की कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर चर्चा करा दें। मान्यवर यह जनमानस का मामला है, सम्पूर्ण प्रदेश और जिले का मामला है।

*श्री त्रिलोक चन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, स्वयं आपने माननीय विधायक के मुंह से भी सुना और माननीय अवधेश जी ने भी बताया कि घटना कितनी संगीन है। आज हालात यह है कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई वहां पर जहां यह घटना हुई। रिपोर्ट हजरतगंज थाना, लखनऊ में लिखी गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहीं पर उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई जहां इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था ?

दूसरी बात यह है कि फिर उसी थाने में उसको भेजने का क्या औचित्य है ? यह इस सरकार की पुलिस के निकम्मेपन का सबूत है कि जहां की पुलिस ने उसके साथ बलात्कार किया वहीं उसको भेज दिया। हो सकता है उस लड़की को मारने का इरादा हो या अब तक मार भी दी गई हो। इसमें पुलिस के दो-चार आदमी फसेंगे। उसकी बात तो कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि उसका कोई तो है नहीं। इस हालत में मैं मांग करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री इस लड़की के साथ हुई घटना को साधारण घटना न समझें। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर एक कलंक है। मैं पुलिस का मनोबल नहीं गिराना चाहता हूं लेकिन जिन लोगों ने पुलिस के नाम को कलंकित किया है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिये। इसलिये मान्यवर, आप इसमें चर्चा करा दें ताकि उनको सजा मिल सके।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, जिस घटना का उल्लेख अभी माननीय सदस्य बाराबंकी, माननीय त्रिलोक चन्द्र जी जो सांसद भी रह चुके हैं, मन्त्री भी रह चुके हैं हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, और माननीय सदस्यों ने भी कहा, माननीय सदस्य रामसागर जी इस लिए खड़े हो गये कि उनके क्षेत्र का मामला है। मान्यवर, परम्परा यही रही है कि माननीय सदस्य कोई बात कहता है तो प्रागदर्शन में उसे सही मान लेना चाहिये। माननीय अवस्थी मेरे बराबर में बैठे हैं। इनका कहना है कि यह गांव इनके चुनाव क्षेत्र में पड़ता है जैसा इन्होंने मुझको सूचित किया है (व्यवधान) यह शोभा नहीं देगा माननीय राम सागर कुछ कहें और अवस्थी जी कुछ कहें। लेकिन जो जानकारी उन्होंने मुझे दी है एक थानाध्यक्ष जो उस थाने पर तैनात है उसको हटाने का सरासर एक षड्यंत्र रचा गया है, ऐसा इनका कहना है (व्यवधान) माननीय अवस्थी जिनके क्षेत्र का यह मामला है . . .

श्री अवधेश प्रसाद—

इससे झूठ और कोई बात नहीं हो सकती है (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, सवाल यह नहीं है कि किसका क्षेत्र है। जो माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है उससे एक बात साफ हो गयी है कि एक अपाहिज और अनाथ लड़की की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और हजरतगंज में आकर उसने रिपोर्ट लिखाई। जब वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो मजबूर होकर यहां आई। सवाल यह है कि चाहे गलत थी या सही थी रिपोर्ट वहां लिखनी चाहिये थी। अब इसमें षड्यंत्र कैसे हो गया। माननीय सदस्य जो वहां बैठे हैं, वह षड्यंत्र बता रहे हैं, तो क्या उनकी बात को माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को मान लेना चाहिये और जो इधर के कई वरिष्ठ सदस्यों ने बात कही वह गलत हो गयी? मान्यवर, इसीलिये मैं संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और मन्त्री होने के नाते और इस कुर्सी पर भी आप बैठे हैं इसलिए आपको जो जवाब देना चाहिये वह सोच कर देना चाहिये। एक सदस्य के कहने पर बाकी सदस्यों की बात को असत्य मान लेना अनुचित है। इसलिए यह मामला गम्भीर है इसकी जांच करानी चाहिये थी उसके बाद यह कह देते तब तो ठीक था। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिये यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं बोल रहा था लेकिन माननीय नेता विरोधी दल का आदर करते हुए बैठ गया

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हुकुम सिंह—

यह तो कोई बात नहीं हुई (व्यवधान) मेरा बोलने का अधिकार है। क्या मेरे बोलने पर कोई व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) मैं नियमानुसार बोल रहा हूं, मुझे भी अधिकार है, तो मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जब नेता विरोधी दल खड़े हों तो हमारा फर्ज है कि हमें बैठ जाना चाहिये। जैसे ही वह खड़े हुए मैं बैठ गया। माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही मैं उनका सम्मान करता हूं, जांच होने की बात उन्होंने कही है। मैं भी यही कहना चाहता था कि एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो गयी है और यह सही भी है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिये जिससे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। घटना की रिपोर्ट कराने के बाद कि घटना हुई है या नहीं हुई है यह जांच के बाद मालूम होगा तो इससे एकदम यह अनुमान लगाना कि रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और इसमें पुलिस दोषी है इस पर मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन जो बात मेरी जानकारी में आई मैंने उसे आपके समक्ष रख दिया। इसमें दो बिन्दु हैं एक तो यह कि घटना हुई या नहीं हुई और दूसरा, घटना के बाद पुलिस कर्मियों ने रिपोर्ट नहीं लिखी, मना किया या

क्या किया मैं आश्वस्त करता हूं ऐसी घटना जिसका आपने उल्लेख किया और माननीय सदस्यगणों ने किया भले ही हमारी जानकारी के अनुसार गलत हो फिर भी हमारा फर्ज हो जाता है कि जांच करायें जांच होकर बात सामने आये कि किसका कहना सही है या किसका कहना सही नहीं है।

लेकिन उसके पहले मेरा अनुरोध था कि जब जांच नहीं हुई थी, गम्भीर आरोप कि पुलिस बचाना चाहती है फलां अधिकारी दोषी है, यह नहीं आना चाहिए था लेकिन आपने उल्लेख कर दिया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इसकी जांच जिससे आप चाहें पुलिस से या सी0 आई0 डी0 से तो वह करायेंगे। मान्यवर, इसके पीछे एक राजनैतिक पहलू है और इसमें आपके दल के सदस्य हो सकते हैं जिसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र गुप्ता—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि एक हरिजन विकलांग लड़की के साथ बलात्कार किया गया, यह गम्भीर मामला यहां उठा और विरोधी दल के नेता ने आक्षेप किया और शासन की तरफ से जो उत्तर दिया जा रहा है, मुझे अफसोस है। एक पूर्व दृष्टांत देते हुए मैं व्यवस्था चाहता हूं कि संसदीय कार्य राज्य मन्त्री शासन की ओर से हमेशा उत्तर देते हैं, लेकिन संसदीय परम्पराओं के अनुसार हमें किसी माननीय सदस्य या मन्त्री की नीयत पर शंका नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्य ने एक बात कही जिम्मेदारी से लेकिन विश्वास किया जाता है कि वह सही कह रहे हैं यहां। संसदीय कार्य मन्त्री की बात को सही मानता हूं, उन्होंने कहा कि एक दरोगा का अन्यायपूर्ण कराने के लिये यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह नीयत पर शंका प्रकट करता है, इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह आक्षेपात्मक वाक्य है या नहीं। यदि है, तो इसको कार्यवाही से निकलवा दें। मान्यवर मैं भर्त्सना करता हूं कि माननीय मन्त्री जी को किसी माननीय सदस्य की भावना पर शंका करना यह असंसदीय बात है, इसलिये कार्यवाही से इसको निकलवा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायें, शान्त रहें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्ता जी नियमों के ज्ञाता हैं, उन्होंने परम्परा का उल्लेख किया। मान्यवर, इस परम्परा की जानकारी मुझको थी। (व्यवधान) मान्यवर, मैंने पहले भी आग्रह किया था और फिर आग्रह कर रहा हूं कि दोनों पक्षों की जांच हम करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायें। शान्त रहें। श्री किरन पाल सिंह जी, आप बैठ जायें। श्री रघुवर दयाल वर्मा जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं बैठ जायें।

---

*अनूदित। नेपाल का पुनरीक्षण नहीं किया।

मैं इस सिलसिले में शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इसको मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, यह केवल हथकरघा निगम की ही बात नहीं है बल्कि प्रदेश में जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं वह घाटे के शिकार बनाये जा रहे हैं। अधिकारियों की साजिश है कि जो समाजवादी समाज की रचना का प्रयास सत्ता दल द्वारा किया जा रहा उसे अवरुद्ध करना है इसी षड्यंत्र के तहत प्रदेश के सारे निगम घाटे में पहुंचते जा रहे हैं। प्रदेश के जितने निगम हैं वह बड़े अधिकारियों के चरागाह, ऐशोआराम के केन्द्र बन गये हैं। इनमें न जनसेवा की भावना है और न राज्य की गिरती हुई आर्थिक स्थिति का ही ध्यान रह गया है।

मान्यवर, मैं इसलिए आपका ध्यान राज्य हथकरघा निगम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय सिंचाई मंत्री बैठे हैं, यह उद्योग मंत्री भी रहे हैं, इनके जमाने में भी यह सारे अनियमितताओं अथवा भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आये थे, लेकिन सरकार ने उन सबके विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही नहीं की है। प्रदेश का हथकरघा निगम करोड़ों रुपये के घाटे का शिकार बना हुआ है। सेन्ट्रल स्टोर जो कानपुर में है, उसमें लाखों रुपये का भारी घोटाला हुआ है। आडिट पार्टी ने 10 लाख का गड़बड़ पकड़ा है और इससे भी अधिक रुपये के भ्रष्टाचार और घोटाले का स्पष्ट आरोप लगाया गया है। उसके रजिस्टर में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार हथकरघा निगम की ओर से बंगलौर में जो शो रूम तैयार किया गया, उसकी फर्निशिंग पर 65 हजार रुपये की अनियमितता की गई है, अनियमितता नहीं सारा फर्जी भुगतान किया गया है। जब इसकी जांच की गई तो उसमें पाया गया कि बंगलौर का जो शो-रूम है, उस पर यह अनियमित खर्च किया गया है।

इसी तरह से 10 करोड़ रुपये का टेरीकाट का कपड़ा भारी कमीशन लेकर विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा खरीदा गया है, जिसमें भारी कमीशन लिया गया है। हालत उस कपड़े की यह है कि वह स्टोर में पड़ा सड़ रहा है, उसको कोई लेने वाला नहीं है। जिन्होंने उस कपड़े को खरीदा है उसे सिला-सिलाया वापस करने आ रहे हैं, वह इतना घटिया और गला हुआ कपड़ा है। लेकिन आज तक उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि उल्टे रोज उनका प्रमोशन हो रहा है। इसी प्रकार एक हजार गांठ गद्दे का कपड़ा निगम के गोदामों में पड़ा सड़ रहा है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये, आपने जो बात कही है, उसको मैंने देख लिया है, (व्यवधान) अब आप हमारा निर्णय तो सुन लें।

श्री अशोक बाजपेयी—

स्थिति यह है कि निगम के अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अधिकारियों के खिलाफ प्रत्येक भ्रष्टाचार की जांचें पूरी हो गई हैं, लेकिन

उनको राजा देने के बजाय नित्य रोज उनका प्रमोशन किया जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा दीजिये (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस विषय को सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सुपुर्द करता हूं, वह उसकी जांच करेगी (व्यवधान)

श्री बशीर हुसैन अन्सारी—

इस सम्बन्ध में मुझे भी सुन लीजिए और फिर उसको भी इसमें जोड़ लीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, यह जोड़ दिया जायेगा।

*श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने नियम 56 में समस्या उठाई है, वह लखीमपुर खीरी जनपद में जो दुधवा नेशनल पार्क है उसके सम्बन्ध में है। वहां पर नरभक्षी शेर का आतंक व्याप्त हो गया है। वहां पर तमाम जंगली पशुओं के साथ काफी संख्या में बाघ भी हैं और वह आजकल नरभक्षी हो रहे हैं। वहां पर यह माहौल हो गया है कि रबी गन्ने के खेतों में छिपकर आदमियों का शिकार कर रहे हैं। पिछली जुलाई में 12 आदमियों का इन शेरों द्वारा शिकार किया जा चुका है और इस वर्ष 3 आदमी मारे गये हैं। इस समय पीलीभीत इलाके के चारों तरफ आदमी अपने खेतों में काम करने नहीं जा रहे हैं। बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। यह पहली बार ऐसी समस्या नहीं पैदा हुई है। इसके पहले भी दुधवा नेशनल पार्क में शेर मैनईटर हो गया था। उनको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए उन पर काबू पाने के लिए सरकार कोई सुनियोजित तरीका अपनाये, क्योंकि जब एक बार नरभक्षी हो जाता है तो वह दुबारा साधारण शेर नहीं होता है। उसकी प्रवृत्ति वही चालू रहती है। वहां पर आतंक व्याप्त है और सारा कारोबार ठप हो गया है किसान अपने खेतों पर नहीं जा रहे हैं। तो लोगों के भय और आतंक को दूर करने के लिए सरकार कोई सुनियोजित योजना बनाये इन शेरों को पकड़ने के लिए या मरवाने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर एक वक्तव्य दिलवाइये कि सरकार इस पर क्या योजना बना रही है और सरकार तत्काल क्या कदम उठा रही है। वहां पर सारा कारोबार ठप है और जनता में आतंक है। यह समस्या इतनी अहम हो गयी है कि कुछ लोग लखनऊ आये हैं यह बताने के लिए कि जिला प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जो लोग खेत खलिहान जा रहे हैं वह शेरों के शिकार बन रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह घटना अविलम्बनीय होकर घटित की है। इस पर विशेष रूप से वक्तव्य दिलवाइये कि सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और कौन सी सुनियोजित योजना बनाने जा रही है जिसके माध्यम से इन शेरों को पकड़वाने या मरवाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ताकि जनता का भय और आतंक समाप्त हो सके।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जिस समस्या की ओर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सत्यपाल सिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया है, यह सही है कि इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने एक विशेष दल का गठन किया है, जो अब वहां रहकर केवल यह अध्ययन करेगा कि कितने शेर नरभक्षी हो गये हैं। वहां पर अब केवल 2 शेर नरभक्षी रह गये हैं। 1985 में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए इस दल का गठन किया गया है। मैं आश्वस्त करता हूं कि यह जो 2 शेर रह भी गये हैं उनको पकड़ा जायेगा या खत्म कर दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इस समय 30 हजार के ऊपर आई0 टी0 आई0 ट्रेन्ड और एप्रेन्टिसशिप प्राप्त कर चुके बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव में जानबूझकर इसलिये लाया कि इन बेरोजगार नौजवानों को नौकरियों में खपाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उपेक्षा कर रही है। एप्रेन्टिसशिप प्राप्त किये इन नौजवानों की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान गया और केन्द्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों को परिपत्र भेजा और यह कहा कि जितने संस्थान हैं वहां पर जितनी रिक्तियां हों उनके 50 प्रतिशत स्थान इनके लिए सुरक्षित कर दिये जायें जो लोग आई0 टी0 आई0 ट्रेंड और एप्रेंटिसशिप प्राप्त किये हुए हैं।

हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों ने केन्द्र सरकार की यह बात मानी लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने भारत सरकार की बात नहीं मानी। 83 में आदेश हो गया लेकिन यहां पर हमारे संस्थानों में जो टेक्निकल स्थान रिक्त होते हैं उन पर नान-टेक्निकल लोगों को रख लिया जाता है और यह बेचारे नौकरी न मिलने के कारण ओवरएज हो जाते हैं। हर साल बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाती है। यह लोग मंत्रियों के दरवाजे पर गये और विधान सभा में भी इनके बारे में सवाल उठा लेकिन सरकार का ध्यान इधर नहीं गया इसलिए यह लोग आंदोलन के किनारे पर आ गये हैं, मुख्य मंत्री के दरवाजे पर धरना और अनशन करने की धमकी दी है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करवायें कि वह कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सन् '83 के केन्द्र सरकार के आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं माना। बिजली बोर्ड में न जाने कितने टेक्निकल पदों पर नान-टेक्निकल लोगों को रख दिया गया है और यह लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इस संबंध में शासन की नीति क्या है यह स्पष्ट हो जाय इसलिए मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आपको इस पर कुछ कहना है?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मेरा तो इसमें यह निवेदन है कि नियम 56 में यह कहीं नहीं आता। आज से 2-3 साल पहले की बात रख रहे हैं जिसका आधार नहीं है। जो चिन्ता

आपकी है उससे ज्यादा चिन्ता कहीं हमको है। हम उनका समायोजन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य की भावनाओं को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि आप इसको गंभीरता से देखेंगे।

*श्री मयंकर सिंह—

मान्यवर, जरवल रोड चीनी मिल का सबसे अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करा ली जाय। यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन यूनिट, जरवल रोड चीनी मिल का आपातकाल में जब आप स्वयं ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री थे और सौभाग्य से वर्तमान मुख्य मंत्री भी हैं। उसी समय जरवल रोड चीनी मिल के श्रमिकों के वेतन से अनिवार्य बचत (सी0 डी0 एस0) के अन्तर्गत वेतन काटा गया था, जिसका प्रतिनिधि मण्डल आपसे मिला था। 1980 से 1984 तक के कार्यकाल में भी इसके बारे में प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला था और इसके सार्वजनिक घोषणा भी की गई थी कि श्रमिकों को 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस कर दिया जायेगा। परन्तु यह है कि 4 किश्तें मिल चुकी हैं और एक किश्त उसे लगभग 40 लाख रुपये की होती है, उसे अभी नहीं दिया गया, जब कि सदन में आपने 10 प्रतिशत ब्याज के साथ देने की घोषणा की थी। अतः माननीय अध्यक्ष जी, यह अन्न वहां के मजदूरों को दिलाने हेतु शासन को निर्देशित करें।

मान्यवर, कारपोरेशन द्वारा चीनी मिल को टेक-ओवर करने के बाद श्रमिकों को भविष्य निधि का 23 लाख रुपया श्रमिकों को नहीं दिया गया। यह धन-राशि भी श्रमिकों के वेतन से काटी जा चुकी है। आज उनके परिवार के लोग भूखों मर रहे हैं। उनमें भीषण जन-असंतोष व्याप्त है और उनका रुपया उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से वहां के अवकाश प्राप्त निधि के रूप में जरवल रोड चीनी मिल के श्रमिकों का लगभग 12 लाख रुपया बाकी है, वह भी कारपोरेशन द्वारा चीनी मिल टेक ओवर करने के पहले का है, जो लोग अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, आज उनके परिवारों के सामने समस्या खड़ी हो गयी है, उनमें मरने की स्थिति आ गयी है। अतः उनकी स्थिति को देखते हुए लगभग 40 लाख रुपया श्रमिकों का रुकवाकर रखे दे रही है, जिसके कारण श्रमिकों में भीषण जनअसंतोष व्याप्त है। मैंने स्वयं पिछले दिनों जरवल रोड चीनी मिल में जाकर देखा है, वहां श्रमिकों में घोर आक्रोश है। अतः इससे अविलम्बनीय लोक महत्व का कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता।

श्री मयंकर सिंह—

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में आप बजट पर बोल सकते हैं।

श्री मयंकर सिंह—

अतः सदन की कार्यवाही रोक कर, जो मजदूरों को लगभग 40 लाख रुपये दिलाने का महत्वपूर्ण मसला है, उस पर चर्चा करायी जाय। मैं इसकी मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, इस मामले को मैंने, माननीय शतरुद्र प्रकाश ने, माननीय राम गोविन्द चौधरी ने, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने, मान्यवर, लगभग 20 सदस्यों ने दिया है। मान्यवर, इस मामले को सदन में रखने की आज्ञा चाहता हूं। कल 9 अगस्त है, पूरे प्रदेश में क्रांति दिवस के रूप में यह मनाया जाता है और यह सरकार आज नहीं तो कल यह घोषणा करने ही वाली है। मान्यवर, हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो कर्म क्षेत्र और जन्म क्षेत्र हैं, उनकी कितनी उपेक्षा हो रही है, जो लोग फांसी के तख्ते पर चढ़ गये, काले पानी में गये, गोलियां खायीं, आज उन स्थानों की क्या हालत कर रखी है। 1948 के बाद से अगर उस तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करें, तो पूरे सदन का, पूरी जनता का सिर शर्म से झुक जाता है। श्रीमन् दो तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि आप देख सकें कि उन स्थलों के साथ कैसी स्थिति पैदा हो गयी है। मान्यवर, 1857 से 1947 तक गजेटियर लिखा गया, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके ऊपर अंग्रेजों के निर्देशों पर कहानियां लिखी गयीं। क्योंकि अंग्रेज लोग इस गजेटियर में अपने विचारों से लिखवाने का काम करते थे। इसलिए इन गजेटियर को बदलवाना चाहिए था। लेकिन इन गजेटियर को स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से परिवर्तित करने का काम सरकार नहीं कर पायी है। इस तरह की दुर्व्यवस्था पैदा किये हुए हैं कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति की गर्दन शर्म से झुक जाती है। मान्यवर, आप देखें 1857 का इतिहास मंगल पाण्डेय का इतिहास रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री गौरी शंकर भइया—

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। अभी दूसरे साथी मंगल पांडेय की बात कहेंगे। आज तक सरकार तय नहीं कर पायी है कि मंगल पाण्डेय कहां के थे। उनका गांव कहां है। यदि उनका गांव है, तो उनकी स्मृति बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी? असफाक उल्ला शाहजहांपुर के थे उनका घर गिर गया, वहां राज्य संग्रहालय बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी। चन्द्रशेखर आजाद जी का उन्नाव में घर गिर गया है। उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। 1960 से मीरगंज इलाहाबाद में व्यभिचार का अड्डा चल रहा है अखबारों में भी छपा है, मैं नहीं कहता हूं यह शर्म की बात है कि पंडित जवाहर लाल जी जहां पैदा हुए वहां व्यभिचार और अनाचार का अड्डा चल रहा है, मान्यवर, बरेली में एक जगह है वहां आजादी की लड़ाई के दौरान 100 लोगों को पकड़कर पेड़ पर लटका दिया गया था। वह पेड़ सूख रहा है वहां स्मारक नहीं बन रहा है। मान्यवर, रेजीडेन्सी और काकोरी का मामला है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं क्या इज्जत हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक आदेश जारी किया गया था सरकार की तरफ से कि विकास खण्डों के अंदर पत्थर लगाये जायेंगे और उन पत्थरों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम लिखा जायेगा। आप देखें मान्यवर, कोई पत्थर नजर नहीं आयेगा और हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं। मान्यवर, बनारस में सुभाष बाबू की गिरफ्तारी हुई थी करीब एक लाख लोगों का प्रदर्शन हुआ, लाखों लोगों का जुलूस निकला उसमें पुलिस की गोली से तीन मारे गये, तो क्या सरकार बता सकती है कि कौन से तीन लोग मारे गये थे। जय प्रकाश बाबू के गले की हालत खराब है। गाजीपुर में शहीद स्मारक की बात थी वह नहीं बना।

श्री अध्यक्ष—

आप कितना इतिहास बतायेंगे ?

श्री गौरी शंकर राइया—

मान्यवर 1857 में बाराबंकी में मुफ्ती मजहर करीम को काले पानी की सजा हुई वहां कोई शिलालेख नहीं लगा। भारत सिंह ने उन्नाव में रहकर आन्दोलन चलाया वह मकान लोगों ने कब्जे में कर लिया है। चौरी-चौरा में कोई काम नहीं हुआ है। फैजाबाद में सन् 1942 में बसुधा सिंह कत्ल हुआ था इसमें उन्हें फांसी हुई थी, महात्मा गांधी और जवाहर लाल के हस्तक्षेप पर वह सजा आजीवन कारावास में बदल गयी थी वहां भी कोई काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि लखनऊ में रामसागर मिश्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे उनके नाम पर रामसागर मिश्र नगर मोहल्ला बना उसको इस निकम्मी सरकार ने नाम बदलकर इन्दिरा नगर कर दिया है। इस प्रकार पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम और जीवन स्थल की उपेक्षा हो रही है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। कल 9 अगस्त है। मैं समझता हूं यह दिन आजादी की तवारीख का दिन है। घोषणायें हो रही हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेन्शन बढ़ा दी गयी है। मान्यवर, आज हम लोग जो मौजूद हैं, उन्हीं की देन है, हमारा देश आजाद हुआ है। मैं आपके जरिये सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, कल 9 अगस्त है, यह पवित्र दिन क्रान्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यवर 9 अगस्त, 1942 हम सबको याद है। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार यह घोषणा करे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा आयोग बैठेगा जो पूरे सूबे में जहां-जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कर्म क्षेत्र रहे हैं या जन्म स्थान रहा है। उनकी जानकारी करे और उनकी सुरक्षा का सोचना है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो पैदा कहीं हुए घर कहीं हैं और मृत्यु कहीं हो गई। हमारे स्कूल के बच्चों को किताबों में झांसी की रानी पढ़ाई जाती है। झांसी की रानी कहां पैदा हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गयी है उत्तर प्रदेश गजेटियर 1965 पेज नम्बर 69 में झांसी की रानी को बनारस में अस्सी में पैदा हुआ बताया गया है।

---

*अध्यक्ष ने आचार का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, वाराणसी में भारत माता मंदिर है। पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा मंदिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नहीं है, वहां पर पंडित जवाहर लाल नेहरू, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी, चन्द्रशेखर आजाद को आजादी की लड़ाई में शरण दी गयी। कोई ऐसा नहीं बचा जिसको वहां शरण न दी गई हो। मान्यवर, यह मंदिर किसी सम्प्रदाय से नहीं जुड़ा है। भारत माता मंदिर की हालत खराब हो रही है। संगमरमर का जो भारत का नक्शा बना हुआ है, उसकी हालत खराब हो रही है, आवश्यक सामान चोरी हो रहा है। इसके अलावा बनारस में क्रांति की लड़ाई में एक नौजवान को फांसी हुई थी-श्री शचीन्द्र नाथ लाहिड़ी, उनका कोई जिक्र नहीं है। झांसी की रानी का जो जन्म स्थान है वह कबूतर खाना बनकर रह गया है। कुछ लोग वहां कब्जा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां चन्द्रशेखर शहीद हुए, उस पार्क की हालत खराब हो रही है। मान्यवर, जिनकी बदौलत जनतंत्र महफूज हुआ है, देश को आजादी मिली है। उनके बारे में सही जानकारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं दी गयी है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार 9 अगस्त पर यह घोषणा करे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा आयोग बैठाया जा रहा है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में सही-सही जानकारी देने का काम करेगा। मैं चाहता हूं कि आप शासन को निर्देश दें।

श्री मैनेजर सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। 9 अगस्त को क्रान्ति दिवस है और माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आज 9 अगस्त मना लिया जाय और सिंचाई मंत्री का बजट दूसरे दिन ले लिया जाय। हरदेव जी से इसको शुरू करा दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, हमको भी सुन लें। 1857 में हमारे यहां हजारों लोग मारे गये थे। जो उनकी जगह है वहां पर अंग्रेजों का श्वेत पत्र टंगा है

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोगों ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव इसी का दिया था। आप कभी-कभी तो 5 को बुलवायेंगे। कभी किसी को नहीं बुलवायेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप दो-दो मिनट हम लोगों को सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

यह बताइये कि 11-11 माननीय सदस्य कैसे बोल सकते हैं, सोचने की बात है। 2-3 माननीय सदस्य बोल चुके हैं। राम गोविन्द चौधरी जी, कृपा करके आप बैठें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से

व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

यह सदन नहीं चलेगा।

श्री शारदा प्रताप—

हम लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

10-11 व्यक्तियों के नाम आये और 10-11 व्यक्ति बोलें, यह संभव नहीं

हैं। माननीय राजा जी, कृपा करके आप इस कुर्सी पर बैठकर देख लें। यह संभव नहीं है, नहीं, यह संभव नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

अध्यक्ष जी, पहले हम लोगों की बात आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष—

ऐसे सदन कैसे चलेगा माननीय चौधरी जी? आपकी बात जो कहनी थी वह सुन ली गयी। यह आपको शोभा नहीं देता। मैं समस्त पूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप लोग बैठ जायें।

श्री सुखराम यादव—

आप आदेश स्तर की एक कमेटी बना दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आपने मेरा निर्णय तो सुना ही नहीं। हो सकता है जो आप सुझाव दे रहे हैं, वही मेरे मन में हो।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, अभी मैंने सम्मानित सदस्य राम गोविन्द चौधरी जी और अन्य माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर जो प्रकाश डाला है उसको सुना। जो भाव माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं वही भाव हमारे सबके मन में हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, पहले आप हम लोगों की बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय अनुग्रह नारायण जी आप तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। आप बात को सुनें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, पहले हम लोगों की आप सुन लीजिये।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जितनी देर से यह सदन अव्यवस्थित है, इतनी देर में सभी माननीय सदस्यों को सुना जा सकता था, नहीं सुना गया। अब आप नहीं सुनेंगे तो इससे सदन और देर तक अव्यवस्थित रहेगा और कार्य में बाधा पड़ेगी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस अव्यवस्था को रोकने के लिए क्या इस पर आप कोई रूल्स बनायेंगे के लिए आदेश देने की कृपा करेंगे। आपको भी इससे दिलचस्पी होगी, इस पर दो घंटे की चर्चा करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह एक कमेटी गठित कर दें, जो सब जगह जा कर के देखे कि क्या-क्या कमियां हैं और कहां-कहां क्या नहीं हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, रामपुर को भी ओर लीजिये।

श्री भोपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने अनुभव से इस सदन के संज्ञान में लाऊं कि आज

महापालिका के प्रशासक की तानाशाही को लाना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरठ, के सफाई मजदूर और भिश्ती लोगों ने एक ज्ञापन 21 सूत्री दिया प्रशासक को। प्रशासक ने नहीं सुना। फिर उन्होंने 15 तारीख को एक स्मरण-पत्र दिया, लेकिन प्रशासक ने नहीं सुना, लेकिन उसके बाद यह किया कि उन्होंने 22 तारीख को 20 स्थायी मजदूरों और 2 अस्थायी मजदूरों को बर्खास्त कर दिया उससे पहले मई में 4 स्थायी और एक अस्थायी मजदूर को और बर्खास्त कर दिया।

मान्यवर, इससे उन लोगों में रोष है। उसके बाद से वे कर्मिक हड़ताल कर रहे हैं और 22 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं। पहली अगस्त से उनके बीवी बच्चे भी हड़ताल पर बैठ गये हैं और आमरण अनशन की घोषणा की है। इस प्रकार मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा है और प्रशासक पुलिस से बल करके उनको भूख हड़ताल से हटाने जा रहा है। अत्याचार हो रहा है और बच्चे और औरतें भूखे बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाय और वहां के मजदूरों के लिए व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस सिलसिले में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री मनोहर लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, कानपुर में एक म्योर मिल है। यह मिल 20 जुलाई, 1985 से बन्द है। उसके पहले इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं थी और न मजदूरों में असंतोष था। एन0 टी0 सी0 के जरिये यह म्योर मिल चल रही थी। लेकिन 22 जुलाई से प्रबन्धकों ने तानाशाहीपूर्ण रवैये से 500 श्रमिकों की संख्या घटा दी और 486 लूम बन्द कर दिये, जिसके कारण 500 श्रमिकों की संख्या घटी। इसके कारण वहां के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। इस मिल में कुल 2800 मजदूर काम करते हैं। इसके बाद लेबर कमिश्नर, कानपुर के पास यह मामला गया।

मैंने श्रम विभाग के बजट के समय भी इस पर ध्यान आकर्षित किया था। उस समय भी हड़ताल चल रही थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। लेबर कमिश्नर के पास मामला गया तो डिप्टी लेबर कमिश्नर, कानपुर ने फैसला दिया 6 तारीख को, जिसकी फोटो कापी मैंने आपके पास भेजी है, उन्होंने फैसला दिया कि मैनेजमेंट, म्योर मिल ने गैर कानूनी ढंग से 500 मजदूरों की संख्या घटा दी है और 486 लूम बन्द किये हैं, यह अवैधानिक है क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 4 (1) के अंतर्गत जो नोटिस दी जानी चाहिए थी, वह कार्यवाही नहीं की है। इसलिए 20 जुलाई की इस सारी प्रक्रिया को डिप्टी लेबर कमिश्नर, कानपुर ने अवैधानिक घोषित कर दिया और डी0 एम0 और उत्तर प्रदेश शासन को सूचित कर दिया कि कानपुर म्योर मिल के प्रबन्धकों ने अवैधानिक ढंग से 20 जुलाई को बिना नोटिस दिये 500 श्रमिकों की संख्या घटा दी।

यह संवैधानिक है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि डिप्टी लेबर कमिश्नर के 6 तारीख के फैसले को भी प्रबन्धक लोग नहीं मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री का ध्यान खास तौर से आकृष्ट करना चाहता हूं कि कानपुर के अन्दर 20 हजार श्रमिक दूसरी मिलों में काम करते हैं। कानपुर की हालत यह है कि वहां विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है। श्रमिकों के अंदर असंतोष की भावना पैदा हो गयी है। किसी भी क्षण वहां हड़ताल हो सकती है। ऐसी सूरत में मांग है कि 6 तारीख के डिप्टी लेबर कमिश्नर के फैसले को लागू कराया जाय। और 20 जुलाई को जो स्थिति म्यार मिल की थी, उसे पुनः लाया जाय। इस पर सारे कार्य रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं खासतौर से श्रम मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस मामले को वे शीघ्र ही देखें।

श्री महमूद्दत्त द्विवेदी—

मान्यवर मैंने एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज कार्य-स्थगन की सूचना दी है। मान्यवर, मैं जानता हूं कि आज सिंचाई विभाग के बजट पर बहस होनी है वह भी आवश्यक है। लेकिन, मान्यवर, उससे भी आवश्यक है मेरी दृष्टि से प्रदेश और देश की सुरक्षा—यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मान्यवर, आज देश में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। जिस कारण हमें प्रधानमंत्री को खोना पड़ा। आज पूरब की तरफ से बंगलादेश की तरफ से अवैधानिक तरीके से भारी पैमाने पर बंगलादेशवासियों की घुसपैठ जारी है। यही नहीं, मान्यवर, निश्चित सूचना मिल रही है कि जगह-जगह उन्होंने तस्करी के अड्डे जमा रखे हैं। तस्करी के माध्यम से वहां के नागरिकों में लोभ पैदा करते हैं। वहीं बंगलादेश से अरब कंट्रीज को जाने के लिए स्त्रियां लाते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम जगह बंगलादेश की लड़कियों के जिस्मफरोशी के अड्डे चल रहे हैं जिससे जनता का मनोबल दूषित किया जा रहा है। इन बालिकाओं को बहका फुसलाकर लाया जाता है और अरब कंट्रीज को भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कई सौ लड़कियों को बरगलाकर अरब कंट्रीज को भेजे जाने की प्रक्रिया जारी है। यही नहीं ऐसी भी रिपोर्ट मिली है कि तस्करी के अलावा यह अन्य देश विरोधी कार्यों में भी संलग्न है। जहां उग्रवादी गतिविधियों में पश्चिमी राष्ट्रों का नाम आता है, सी0 आई0 ए0 का नाम आता है। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि वे पंजाब के आस-पास के स्थानों में इसे बढ़ावा दे रहा है। बंगलादेश की ओर से भी विदेशी शक्तियां चाहे वह चीन हो या दूसरे राष्ट्र हों, पश्चिम में अराजकता, विस्फोट की स्थिति पैदा किये हैं। उत्तर प्रदेश के माध्यम से इसकी जो सीमा लगी हुई है नेपाल से इधर इस प्रकार की गतिविधियां जारी हैं।

मान्यवर, अहम मसला राष्ट्रीय की सुरक्षा का है। मान्यवर, मैं आश्वासन करूंगा कि देश के हित में, प्रदेश के हित में, नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सदन के सारे कार्य रोककर

अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस पर सदन में आज चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी, आपको इस पर कुछ कहना है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय पर सरकार जांच करवा ले कि ऐसे भाई लोग हमारे यहां आ रहे हैं कि नहीं।

शेष सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया।

(मद संख्या-8 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

[समय 2.20]

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,08,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 2 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र गुप्त पीठासीन हुए)।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,93,20,76,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव के स्पष्टीकरण की नोटिस न लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता—

जब अध्यक्ष जी ने अगली मद ले लिया और मन्त्री जी को बुला लिया, तो फिर इस पर दुबारा विचार नहीं हो सकता है। कृपया आप लोग शान्ति से अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री शारदा प्रताप सदन त्याग कर चले गये)।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

यदि अमान्य प्रस्ताव रिजेक्ट होता, तो आपको व्यवस्था देनी थी जाती और या फिर इस आशय का प्रस्ताव आना चाहिए था जो व्यवस्था माननीय श्री अध्यक्ष द्वारा दे दी गई है, उसे बदलने का अधिकार मुझे नहीं है।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है। कार्य संचालन नियमावली के नियम 291 (क) के तहत मैंने एक स्पष्टीकरण की सूचना आपको दी थी और आज जिक्र होना था, लेकिन उस पर मुझे नहीं बुलाया गया, जिससे संचालन में व्यतिक्रम पैदा हो रहा है। आप नियम 291(क) के तहत इस स्पष्टीकरण को आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आप बैठ जायें। इस समय माननीय अध्यक्ष विराजमान नहीं हैं। अगर कोई स्पष्टीकरण देना चाहता है, तो वह लिखकर में आना चाहिए।

श्री देव कुमार यादव—

मैंने लिखकर दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

हो सकता है लिखकर दिया हो इस समय वह मेरे पास है नहीं। यह व्यवस्था आप फिर उठा दें, मैं आपकी भावनाओं को माननीय अध्यक्ष के पास पहुंचा दूंगा।

श्री देव कुमार यादव—

मैं सचिव को लिखकर दे चुका था सुबह 10 बजे ही।

श्री अधिष्ठाता—

आप कल फिर दे दीजियेगा।

श्री देव कुमार यादव—

माननीय अधिष्ठाता जी, यह एक गलत परम्परा पड़ रही है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आपसे निवेदन किया कि इस पर मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। मैं इसको सुरक्षित रखता हूं। माननीय अध्यक्ष इस पर कल अपनी व्यवस्था देंगे। श्री अजीत सिंह जी, सदस्य हैं, मैं कहना चाहता हूं कि नियमानुसार ही कार्यवाही को चलने में, हम समझते हैं वही निर्णय करने हैं। उसी में मैं भी नियमों से बंधा हूं।

श्री देव कुमार यादव—

इस तरह से सदन के संचालन में एक गलत परम्परा पड़ रही है। जो मैंने स्पष्टीकरण की नोटिस दिया था इसको औचित्य के प्रश्न के बाद आना चाहिए लेकिन आज वह पता नहीं क्यों नहीं आया जब कि आता रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परम्परा न डालें और उस स्पष्टीकरण को आप ले लें इसके बाद सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (क्रमागत)

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी मैंने आपके सामने जो प्रस्ताव पेश किये हैं उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। 294.4 लाख हेक्टेयर हमारा क्षेत्र है जो देश का 8.95 प्रतिशत आता है लेकिन आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां की जमीन इतनी उपजाऊ है समतल है कि अगर पानी की व्यवस्था कर देते हैं तो यह केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रदेशों को खाना दे सकता है। आपने देखा होगा कि आजादी के पहले जो सिंचाई की सुविधायें थीं वह 25 लाख हेक्टेयर के आस-पास थीं। अब 84-85 में बढ़कर 102 लाख हेक्टेयर हो गई है। यही नहीं, जो पैदावार खाने के लिए भी पूरी नहीं होती थी, लाखों लोग भूखे मर जाते थे, आज हमारा प्रदेश सरप्लस स्टेट हो गया है। यहां से गल्ला बाहर, दूसरे प्रदेशों में जाता है। जैसे हमारे यहां से गल्ला बिहार, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास, तमाम प्रदेशों को जा रहा है। यह हमारी उपलब्धियों का ही परिणाम है कि 1980-81 में जो पैदावार थी 249.48 लाख टन वहीं आज 84-85 में 302.9 लाख हो गयी है। पैदावार इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण है—सिंचाई सुविधायें बढ़ी हैं। अगर न बढ़ती तो, आप देखें, इतने बड़े प्रदेश को, इतनी बड़ी आबादी को, जो आज संसार के बहुत से देशों से ज्यादा है, खाना मिलना आसान नहीं था लेकिन आज आप देखें, हमारा क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जहां बहुत थोड़ी जमीन होती है, वहां के लिए नालियां बना कर सिंचाई की सुविधायें दे रहे हैं। इससे काफी फायदा हो रहा है और जो छोटे-छोटे खेत हैं छोटे-छोटे काश्तकार हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था पीने के पानी की व्यवस्था हो तो खेतों में पैदावार बढ़ेगी ताकि उनकी हालत अच्छी हो सके। जो बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं, जैसे बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, मध्य यू0 पी0, पश्चिमी यू0 पी0 में ऐसे जिले हैं, जिनमें बहुत से ब्लाक ऐसे हैं, जहां पानी की सुविधा अभी नहीं कर पाये हैं और क्षेत्र सूखा पड़ा है। जमीन अच्छी है, लेकिन पानी न मिलने के कारण पैदावार ठीक से नहीं हो पा रही है। इसलिये आवश्यकता आज इस बात की है कि प्राथमिकता प्रदेश में सिंचाई और बिजली को देनी पड़ेगी क्योंकि बिना पानी के सिंचाई नहीं कर सकते हैं और सिंचाई के लिये बिजली की आवश्यकता होती है। नलकूप, पम्प कैनाल और जो प्राइवेट काश्तकार हैं, जो निजी नलकूप लगाते हैं, अगर उनको बिजली मिलती है तो बड़ी मात्रा में सिंचाई कर लेते हैं। जो राजकीय साधनों द्वारा कर पाये हैं, 68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कर पाये हैं। इसके अलावा 137 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सतह जल से कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर पाये हैं।

इसी प्रकार राजकीय साधनों के द्वारा नलकूपों से 34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचन क्षमता कर पाये हैं। भूगर्भीय जल से 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा एरिया नहीं

बचेगा जो सूखा हो। इसीलिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा धन की व्यवस्था की जाए, जिससे ऐसे क्षेत्रों में जहां सूखा है, सिंचाई के काम को पूरा कर सकें।

वृहद सिंचाई योजनाओं के लिए 1386 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है। राजकीय लघु साधनों द्वारा 483 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है। सिंचाई के लिए यह प्रयास है कि जो निजी साधन हैं, जो काश्तकार खुद लगाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करें ताकि लोग नलकूप लगाकर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर सकें। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी जिले हैं, गंगा नहर हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। उनके साइफन इत्यादि खराब हो गये हैं, कमजोर हो गए हैं, उनका मार्डनाइजेशन करने जा रहे हैं। इसमें विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त 1313 करोड़ रु0 की योजना से अपर गंगा नहर के मार्डनाइजेशन की स्कीम बनाई है इसका मार्डनाइजेशन करेंगे जिससे अतिरिक्त जल की व्यवस्था कर सकेंगे, जो सुविधा मिलती है, उससे ज्यादा पानी दे सकेंगे क्योंकि बहुत से काश्तकारों को उतना पानी नहीं मिलता है। देखना है कि जो पानी है नदी में उसको ज्यादा से ज्यादा काश्तकार इस्तेमाल करें और पानी बेकार न होने पाये, सीपेज न होने पाये और एक-एक बूंद पानी खेतों में पहुंच जाय। साथ ही साथ यह प्रयास है कि पहले नहरें जो रबी और खरीफ दोनों के लिये बनायी गयी थीं, अब खरीफ कैनाल बना रहे हैं।

नदियों में बरसात में पानी ज्यादा रहता है और जाड़े में और गर्मी में पानी कम रहता है। जो पानी जाड़े और गर्मी में रहता है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बरसात में नदियों पानी लाती हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा खेतों में डालकर खरीफ की पैदावार ज्यादा बढ़ाने और खरीफ की पैदावार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ, जो बुन्देलखण्ड है, आप जानते हैं राजघाट परियोजना में झांसी, हमीरपुर और जालौन को काफी सुविधा मिलेगी। छोटे-छोटे रिजरवायर और बांध बनाकर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सकें, ऐसा प्रयास है। वहां की बहुत उपजाऊ जमीन है अगर पानी दे देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सकेगी।

हम मध्य प्रदेश की सरकार से पानी के झगड़े के लिये बात भी कर रहे हैं इस संबंध में बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कि नहीं बन पा रहे हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी और हम दोनों लोग इसी सम्बन्ध में दिल्ली गये थे और वहां जाकर बात भी की है और प्रयास हो रहा है कि जल्दी से जल्दी इन प्रोजेक्ट को बना दिया जाय।

केन कैनाल की भी एक समस्या है, उसमें पानी कम हो गया है, उसका मार्डनाइजेशन करके और उसमें 1650 क्यूसेक का डिस्चार्ज तो उसे बढ़ाकर 2500 क्यूसेक लाने का प्रयास कर रहे हैं, और भी बहुत से पयस्वनी आदि जल के लिये जलाशय बनाये हैं। मैं चाहता हूं कि छोटे-छोटे एरिया को पानी देने के लिये उनको हम प्रायरिटी दें जिससे कि खेतों में पानी पहुंच सके, यह हमारा प्रयास है।

इसी तरह से बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड में जो मिर्जापुर का एरिया है वह सूखा पड़ा हुआ है वहां हम बानसागर

परियोजना द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। शारदा सहायक बनाने के बाद जो क्षेत्र इसमें आता था उससे कुछ क्षेत्र को निकाल कर उस एरिया में पानी देने का प्रयास हम कर रहे हैं।

ऐसे ही पूर्वांचल में गण्डक कैनाल बनी, उस एरिया में उसके बनने के बाद से कितनी तब्दीली हो गयी। आज गण्डक कैनाल के कारण ही वहां ग्रैनरी हो गयी है और इतना गल्ला पैदा हो गया है कि अब उसको रखने की व्यवस्था कर पाना कठिन हो रहा है।

सरयू परियोजना के लिये बहराइच, गोण्डा, बस्ती और गोरखपुर के लिये यह योजना तेजी से चलाने के लिये अब इसमें ढाई सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिससे कि बहराइच, गोण्डा और बस्ती का इलाका सिंचित हो सके। सबसे कम सिंचाई के साधन बहराइच, गोंडा, बस्ती में हैं। लेकिन यह तराई का एरिया है, जमीन यहां की उर्वरा है यदि यहां के लिये पानी की व्यवस्था हो जाय तो यह क्षेत्र और भी अच्छी उपज दे सकता है। हमारी योजना है कि इस साल से सरयू परियोजना को चलाकर वहां पर पानी की सुविधा को उपलब्ध करायेंगे।

शारदा सहायक परियोजना में 14 जिले आते हैं लेकिन अभी बहुत सी माइनर नहीं बन पायी हैं, साइफन और ड्रेन नहीं बन पाये हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ये सारे माइनर्स, ड्रेन और साइफन को पूरा करा कर हम इस क्षेत्र को पूरी सुविधा दे सकेंगे। एक समस्या जरूर है कि शारदा सहायक से जो सीपेज होता है इससे काफी एरिया तबाह रहता है। इसके लिये भी स्कीम बनायी गयी है कि शारदा सहायक की जो मेन कैनाल है उसे पक्का करेंगे। इसके लिये हम इस वर्ष से काम करना शुरू कर देंगे। ताकि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो सके।

इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत सी बातें हैं जो कि धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो पाती हैं और यह काम पूरे नहीं हो पाते हैं। धनाभाव के कारण हम कैनाल नहीं बना सकते हैं पर जहां हम कैनाल नहीं बना सकते हैं वहां हम नलकूप के द्वारा कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रदेश में जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं वहां जितने ज्यादा नलकूप हम लगा सकते हैं, वह लगा दिये जायं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि इमने विश्व बैंक की सहायता ली है और इसकी सहायता से प्रथम चरण में हमने 559 नलकूप लगाने का कार्य किया है। यही स्कीम हमारी सफल रही है और हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे दूसरे चरण में 2200 नलकूप लगाये जा रहे हैं, 750 नलकूपों का मार्डनाइजेशन करेंगे और जिस तरह से विश्व बैंक के नलकूप बनते हैं उसी तरह से इनको भी बनायेंगे। इसको हम डाइरेक्ट लाइन से जोड़ रहे हैं ताकि यह 16-18 घन्टे चलें। इससे किसानों को काफी फायदा होगा।

तृतीय चरण में 3,000 नलकूप लगाने जा रहे हैं और भी तरीके से 750 नलकूप और भी आ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि हम जरूर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 6750 नलकूप लगायेंगे। मान्यवर, इतना कभी

नहीं हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना में हमने 6,000 से ज्यादा नलकूप लगाये हैं लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में 6750 नलकूप लगायेंगे जहां हमारे गरीब लोग रहते हैं हरिजन लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उस एरिया को हमने प्राथमिकता दी है, उस एरिया को उठायेंगे और हम सस्ती सिंचाई की सुविधा देंगे। इससे हम देखेंगे कि सिंचाई का कार्य हमारे प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ेगा और जनता की जो मांग है उसको पूरा करने में हम सफल होंगे।

उसके बाद समस्या आती है बाढ़ की। बाढ़ हमारे प्रदेश के लिए बड़ी भारी समस्या पैदा करता है। बाढ़ उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा आती है कि लगभग 73 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी बाढ़ से प्रभावित होती है, इनमें कृषि योग्य जो जमीन होती है वह 24 लाख हेक्टेयर प्रभावित होती है। इस क्षेत्र में काम किया गया है और करीब 12-13 लाख हेक्टेयर जमीन में बाढ़ से बचाव की जा सकी है। हमारे पास जो साधन हैं, जो सीमित साधन हैं उससे जितनी पूरा होती है उस अंश तक हम पूरा नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि बाढ़ से हमें जितने धन की आवश्यकता होती है उतना धन न मिलने से हम काम नहीं हो पाता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इससे ज्यादा धन लगाकर पूरा काम कर सकें और जनता की परेशानी को दूर कर सकें।

दूसरे आये दिन यह सुनने में आता है कि हमारी नहर खराब हो गयी, टूट गयी, वाटर लागिंग हो गयी, या कहीं टूट रही है, तो हमने प्रयास किये हैं कि आजकल जो माडर्न टेक्नालोजी है रिमोट सेंसिंग के द्वारा हमने उसको पता लगाने का प्रयास किया है। वह बताता लागिंग है, कहां है, इसको हमने पता लगाया भी है और हमारे पास रिपोर्ट आती भी रहती है कि उत्तर प्रदेश में कितना एरिया में वाटर लागिंग हो रही है, कितने एरिया में हो रही है इससे हमको जानकारी हो रही है। जो माडर्न टेक्नालोजी है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी नहरें बनती हैं, डैम बनते हैं, बिजली बायर बनते हैं इन रिजरवायर को कैसे सस्ते बनायें, अच्छे बनायें, जल्दी बनायें इसके भी तकनीक के प्रयोग के लिए हम तरह-तरह का प्रयास कर रहे हैं और उधर भी हमारा ध्यान है।

आपने देखा होगा कि दूसरे प्रदेश की नहरों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा जहां सतही जल से या भूगर्भ जल से हम सिंचाई की व्यवस्था करें तो उपयुक्त होगा। वर्षा में गंगा, यमुना और सरयू आदि नदियों का पानी इतना होता है कि अगर हम यह पानी पहाड़ों पर बड़े-बड़े स्टोरेज बनाकर इकट्ठा करें तो उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। इससे हम बाढ़ को रोक सकते हैं तथा इसको हम बहुत से काम कर सकते हैं। इसी प्रकार त्रिहरी परियोजना को हम बनाने जा रहे हैं लेकिन इसको धनाभाव से काम हम तेजी से नहीं चला पा रहे हैं। हम भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि योजना भारत सरकार की सहायता से बनायी जाये, मुझे विश्वास है, भारत सरकार इसमें रुचि ले रही है और वह इसके बनाने में हमारी मदद करेगी। लखवाड़, व्यासी, मनेरी भाली, श्रीनगर परि-

योजनायें तथा और बहुत सी परियोजनायें हैं, जिनके द्वारा बिजली पैदा करेंगे। रफ्तार बहुत तेजी से आ रही है, लेकिन यह बात मैंने कही कि संसाधन सीमित हैं, जिसके कारण जिस तेजी से हम कार्य चलाना चाहते हैं, कभी-कभी उसमें दिक्कत पैदा हो जाती है।

मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें आपके सामने रखीं और जो रूपरेखा रखी उन पर आप जो बातें यहां पर रखेंगे, उनका उत्तर मैं दूंगा। आप जो भी पूछना चाहेंगे उसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बातें आपके सामने रखी हैं उन पर आप हमें सुझाव दें जिससे कि विभाग में सुधार हो और विभाग में जिससे और गति लायी जा सके और विभाग को अच्छा बनाने में आपका सहयोग मिले। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने-अपने सुझाव दें।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी सिंचाई मन्त्री जी ने सिंचाई का बजट आपके सामने प्रस्तुत किया। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का तीसरे नम्बर का बड़ा प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 294.41 लाख हेक्टेयर है। हम जानते हैं कि प्रदेश की 85 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है। हमें यह भी मालूम है कि यहां की खेती वर्षा पर निर्भर करती है। श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने अभी यह बताया कि उनकी क्या-क्या उपलब्धियां हैं। उन्होंने बताया कि आजादी के पूर्व 1/4 भाग की सिंचाई होती थी, लेकिन आज सिंचाई की मात्रा बढ़कर 43.5 प्रतिशत है, हरेक क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी 6 वर्ष से इस बजट को रख रहे हैं। निश्चित रूप से जो उपलब्धियां होंगी वह उनकी ही होंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो कमियां भी होंगी वह भी इन्हीं के पक्ष में जायेंगी। मान्यवर, मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे यह सिद्ध हो जायेगा कि सिंचाई मन्त्री जी ने जो कुछ कहा है वह सत्य से परे है। श्रीमन्, ड्राफ्ट सेवेन्थ फाइव इयर प्लान वाल्यूम 1 के पेज 284 पर दिया हुआ है :—

दि सीवियर ड्राट आफ दि इयर 1979 रिवील्ड दैट इरीगेशन कवरेज थ्रू स्टेट एण्ड प्राइवेट वर्क इज स्टिल वेरी इनएडिक्वेट बोथ एज रिगार्ड्स टोटल एरिया कवर एज वेल एज दि क्वालिटी आफ इरीगेशन दि सेवेन्थ प्लान प्रोपोजल्स ले एमफेसिस आन बोथ आस्पेक्ट्स।

श्री अधिष्ठाता—

इसकी आप हिन्दी कर दें।

श्री विक्रमादित्य साहंय—

मान्यवर मैं इसकी हिन्दी अनुवाद कर रहा हूं। 1970 में जो भीषण सूखा पड़ा, उसको देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जो व्यवस्था है, वह बहुत कम है। चाहे वह पूर्ण क्षेत्रफल के बारे में हो या सिंचाई कि क्वालिटी के बारे में हो, 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोनों पर बल दिया गया है।

मान्यवर आपने अपनी उक्त किताब के 295 पृष्ठ पर लिखा है कि बुन्देलखण्ड और एवाचिल में सिंचाई की व्यवस्था बहुत खराब है। अभी हम कुछ भी नहीं कर पाये हैं।

हमें इन क्षेत्रों में बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपने सिंचाई विभाग का संक्षिप्त विवरण के पृष्ठ एक पर कहा है कि हिन्दुस्तान में जितने भी प्रदेश हैं उन सब में सिंचाई की जो व्यवस्था है उसमें प्रदेश का नम्बर चौथा है। ये सारी बातें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। आपकी सिंचाई की नीति स्पष्ट नहीं है। आपने बताया है कि मैंने नहरों के क्षेत्र में, नलकूपों के क्षेत्र में बहुत काम किया है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। आपने काम किया है, इसे मैं स्वीकार करता हूं लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि यहां पर नवम्बर से लेकर मार्च तक सूखा रहा हमारी खेती ठीक प्रकार की नहीं हो पायीं। यह आपकी सिंचाई की उपलब्धि है। यदि मानसून ठीक रहा और उपज बढ़ गई तब आप दावा करते हैं कि हमने सिंचाई के क्षेत्र में बहुत काम किया। यदि प्रकृति ने साथ दिया और उपज बढ़ी तो इसका श्रेय आप लेते हैं यदि प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो कहते हैं सूखा है, अकाल पड़ गया व्यवस्था नहीं हो सकती।

मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपकी सिंचाई की व्यवस्था ठीक है तो सूखा और पानी से आपकी कृषि क्यों प्रभावित होती है। ये बातें बताती हैं कि आपकी सिंचाई की नीति स्पष्ट नहीं है, आपका कोई आदर्श नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। आपने पूरे प्रदेश का सर्वे नहीं किया और उससे यह जानने का कभी प्रयास नहीं किया कि कहां पर किस चीज की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के जो प्राकृतिक भाग हैं उनको आपने 5 भागों में बांटा है—उत्तर प्रदेश का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, गंगा जमुना का दोआब, गंगा घाघरा का दोआब, घाघरा से उत्तर का क्षेत्र, घाघरा गंडक का दोआब और बुन्देलखण्ड।

श्रीमान्, मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय मन्त्री जी जो हमारे सामने बैठे हुये हैं, उनके पास कोई रिकार्ड नहीं है जिससे खड़े होकर वे कह सकें कि हमने उत्तर प्रदेश के इन 5 क्षेत्रों का सर्वे किया है और उस सर्वे के आधार पर भविष्य में हमें इतने नलकूप लगाने हैं, इतनी नहरें बनानी हैं। यह बड़े दुख की बात है कि जिस प्रदेश की आबादी के 85 प्रतिशत व्यक्ति खेती पर निर्भर करते हों जो देश का एक बहुत बड़ा भाग हो, जिसकी प्रगति पर देश की प्रगति निर्भर करती हो उसकी मूलभूत आवश्यकता का पता न लग पाये और मन्त्री जी यह कहें कि हमारी सिंचाई की नीतियां

ठीक हैं तो यह सिर्फ भ्रम में डालने वाली बात है।

मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं वे भ्रामक हैं। मैं समझता हूं कि इनकी जो कमांड एरिया है चाहे वह ट्यूबवेल का हो, चाहे नहर का हो उसको यदि मल्टिप्लाई कर दें तो यह पायेंगे कि जो सिंचित क्षेत्रफल है वह प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। यह आपकी एक किताब है जो आपके विभाग से निकली हुई है उसमें एक जगह लिखा है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 294.41 लाख हेक्टेयर है। जो आपने तालिका बनायी है उसमें दिया है प्रतिवेदित क्षेत्रफल 298.09 लाख हेक्टेयर। यानी सम्पूर्ण क्षेत्रफल तो है 294.41 लाख हेक्टेयर और प्रतिवेदित क्षेत्र है 298.09 लाख हेक्टेयर। यह कैसे सम्भव है। किसी भी स्थिति में भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिवेदित क्षेत्र बड़ा नहीं हो सकता है। आपने आंकड़े देकर हमें समझाने का प्रयास किया।

आप जो कुछ भी कहें उसे मैं कैसे मान लूं? इसी तरह से उसी तालिका में उत्तर प्रदेश की कुल भूमि उपयोग हेतु जो है उसका प्रतिवेदित क्षेत्रफल 297.08 लाख हेक्टेयर है जब कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 294.41 लाख हेक्टेयर है। यह भी सम्भव नहीं है। आपका प्रतिवेदित क्षेत्र 298.09 लाख हेक्टेयर सही है पर 297.08 लाख हेक्टेयर आप स्वयं बतावें।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने कहा हमारे यहां कुल क्षेत्रफल जो कृषि योग्य भूमि का है वह 202.43 लाख हेक्टेयर है और आपने कहा है कि वास्तव में खेती 172.88 लाख हेक्टेयर में होती है। आपने यह भी कहा कि दो फसली खेती 74.85 लाख हेक्टर में होती है। फिर आप दोनों को जोड़कर 247.73 लाख हेक्टेयर में कृषि बताते हैं। मैं आपके सामने एक तथ्य रखना चाहता हूं कि कुल कृषि योग्य भूमि 202.43 लाख हेक्टेयर है फिर आप बताते हैं कि कुल खेती 247.73 लाख हेक्टेयर पर होती है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि आपकी वास्तविक खेती 172.88 लाख हेक्टेयर है। तो मेरी दृष्टि से उसमें यह 74.85 लाख हेक्टेयर दिखाने की आवश्यकता नहीं थी यह भी उसी में शामिल है। इस प्रकार आंकड़ों का जाल दिखाकर माननीय मन्त्री जी ने हमें गुमराह करने का प्रयास किया है। यह कहकर कि हमारी सिंचाई नीति बड़ी अच्छी है और हमने सिंचाई कार्य बड़ी तेजी से प्रदेश हित में किया है।

नहरों की बात आपने बताई। कुछ पुरानी नहरें हैं और कुछ नयी नहरें हैं। माननीय मन्त्री जी ने भाषण दिया उसमें केवल एक बार सातवी योजना का जिक्र किया। ये सदैव छठी योजना का ही उल्लेख करते रहे। छठी योजना समाप्त हो गयी है। सातवीं में हम पदार्पण कर रहे हैं। उसका यह प्रथम वर्ष है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं वे आउट डेटेड हैं। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी से गलती हो गयी हो, उसे मैं मान लेता हूं। मैं अब इस निष्कर्ष पर हूं कि प्रस्तुत आंकड़े केवल भ्रमजाल हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है और ये लोगों को गुमराह करने वाले हैं।

नलकूप के क्षेत्र में जो आपने अब तक किया उसमें आप सफल नहीं हुए।

उस कमी को छिपाने के लिए आपने नयी योजना विश्व बैंक के माध्यम से शुरू कर दी। आपने कहा है कि सातवीं योजना के अन्त तक 9 हजार ट्यूबवेल लगायेंगे। पहले आपने क्या किया उसी पर निर्भर करता है कि आप कल क्या करेंगे। कल क्या करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि कल आपने क्या किया। आपने कोई ऐसी चीज नहीं की है जिससे आप कूद कर आगे बढ़ जायें। यह जो 9 हजार ट्यूबवेल लगाने की बात है यह भी उसी कल (भूत) पर निर्भर है। यदि आपकी सारी बातों को मान लिया जाय कि आप कहां सारी नहरें बना देंगे, सारे ट्यूबवेल बना देंगे लेकिन तब भी आप बिजली कहां से देंगे। आपने अपने अभिभाषण में कहा कि हम 18 घन्टे बिजली देंगे। बिजली विद्युत मन्त्री देंगे वे यहां पर नहीं हैं जब उनका भाषण हो रहा था तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 10 घण्टा बिजली देंगे। आप कहते हैं कि हम 18 घण्टा बिजली देंगे। यदि इन दोनों की तुलना करें तो सारी बातें मालूम हो जायेंगी। विद्युत आप देंगे या विद्युत मन्त्री जी देंगे। किस पर भरोसा करें। मैं कहना चाहता हूं कि ट्यूबवेल से जो सिंचाई की बात कही गयी है वह भी भ्रम है। जितने ट्यूबवेल आपके पास हैं मेरी जानकारी है कि उसमें से आधे से अधिक पानी देने का काम नहीं करते हैं।

जो आपकी नहरें हैं वह पानी देने का काम नहीं करती हैं, कभी पानी आता है कभी नहीं, इसलिये नहरों का पानी खेत में नहीं पहुंचता। मान्यवर, आपने जो आंकड़े दिये हैं यदि उन्हें देखें तो सभी का मतलब है कि आधे से कम क्षेत्र में सिंचाई का काम आज करीब आधी नहरें एवं ट्यूबवेल बेकार हैं। इसका प्रभाव कुल कृषि का 3/4 भाग सूखा रहेगा।

मान्यवर, आपने कहा कि मल्टीपरपज स्कीम्स, बहुउद्देशीय योजनायें हैं जिनके जरिये विद्युत उत्पादन करेंगे और अपने क्षेत्र में विद्युत का प्रयोग करेंगे। जितनी आपकी लम्बी चौड़ी योजनायें हैं यदि सबका अवलोकन करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि योजना के पूरा होने का जो समय निश्चित किया गया था उसमें आपकी कोई भी योजना पूरी नहीं हुई है। इसलिये जो लाभ प्रदेश की जनता को उस योजना से मिलना चाहिए वह नहीं मिला। इसका दूसरा परिणाम यह भी हुआ है कि आपने अधिक से अधिक धन खर्च किया और राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग अपव्यय में खर्च हो गया। क्योंकि आप निश्चित समय में योजनाओं को पूरा नहीं करते हैं।

मान्यवर, मैं बाढ़ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस विषय में मन्त्री जी बहुत थोड़ा कहे हैं। आप स्वयं बाढ़ में रहने वाले हैं और डूबते भी हैं। बाढ़ के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जब "हाथी कमीशन" केन्द्र सरकार ने बनाया था वर्ष 1976 में, उसकी रिपोर्ट 1980 में आयी जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है। उसमें यह भी कहा गया है कि 1969 में 4500 गांवों को ऊंचा करके बचाने का प्रयास किया गया लेकिन इसमें दुख प्रकट किया गया है कि 1978 में भी वहीं 4500 गांव बचाये गये। "हाथी कमीशन" की रिपोर्ट के मुताबिक "बाढ़ के अहसास करने के बावजूद भी प्रदेश सरकार इस पर कोई काम नहीं

कर रही है। 1978 तक सबसे अधिक क्षति हुई और बार-बार कहने पर भी प्रयास नहीं किया गया।"

मान्यवर, ड्राफ्ट फार सेवेन्थ फाइव इयर प्लान, वाल्यूम-एक के पेज 294 को देखें तो 73.36 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से उ0 प्र0 में प्रभावित होती है लेकिन 18.4 प्रतिशत ही भूमि की बाढ़ से रक्षा कर पाते हैं। इसकी तुलना में दूसरे प्रदेशों को देखें तो बिहार में 46.4 प्रतिशत, पंजाब में 69.00 प्रतिशत, हरियाणा में 68.7 प्रतिशत एवं पश्चिमी बंगाल में 43.4 प्रतिशत बाढ़ ग्रस्त भूमि बचाई जा रही है। ये आंकड़े क्या बताते हैं ? यही न कि बाढ़ के क्षेत्र में बचाव कार्य हमारे प्रदेश में सबसे कम हो रहा है। यही आपकी बाढ़ नीति है।

श्रीमन्, ये सारी चीजें क्या बताती हैं। बाढ़ जैसा अहम मसला जिससे प्रदेश के अधिकांश जिले प्रभावित होते हैं और "हाथी कमीशन" बारबार कहता है कि बाढ़ से बचाने का प्रयास होना चाहिए और आपने स्वयं अपनी किताब में कहा है कि बाढ़ से रक्षा की दिशा में हम बहुत कम काम कर सके हैं। अतः बाढ़ की रोकथाम के लिए आपकी नीति ठीक नहीं है। आपने बाढ़ की रोकथाम के लिए एक "स्टेट फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड" बनाया है और उसकी मदद के लिए टी0 ए0 सी0 बनाया है जिसका मतलब है टेकनिकल एडवाईजरी कमेटी, लेकिन ये दोनों ही इस कार्य को ठीक से नहीं कर रहे हैं। इनके कार्यों को यदि आप देखें तो पाएंगे कि दोनों सफेद हाथी हैं। टी0 ए0 सी0 पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन उसके द्वारा कोई ठोस विचार, सुझाव हमारे सामने नहीं आते हैं, जिससे प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका को कुछ कम किया जा सके।

बाढ़ की कटान को रोकने के लिए जो आप काम करते हैं, उसमें आपका एक उद्देश्य होता है कि इससे कुछ बचत भी होगी। प्रत्येक वर्ष आप इस कार्य के लिये बजट देते हैं, और सोचते हैं कि इसके अगेन्स्ट इतना लाभ होगा। लेकिन जिस रिटर्न या लाभ की आप अपेक्षा करते हैं, वह प्राप्त नहीं होता। आप कटान पर खर्च करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। बाढ़ के कटान को रोकने के लिए न आपके पास कोई नीति है न कोई कार्य है। जब बहुत शोर मचता है तो आप केवल नाम के लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं। आपने अपने विभाग के कार्यों के लिए कार्यशालाएं बना रखी हैं, ये कई जगहों पर हैं। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि विभाग में जिन चीजों की जरूरत होगी वह उन्हीं कार्यशालाओं से ली जाएंगी। इन कार्यशालाओं में अच्छे-अच्छे इंजीनियर भी हैं। लेकिन फिर भी आप विभाग के वास्ते चीजें बाहर से क्यों लेते हैं ? यदि उसमें कोई कमी है तो आप उसे सक्षम या सफीशियन्ट क्यों नहीं बनाते ?

श्री अधिष्ठाता—

अभी कितना और आप लेंगे ? अभी आपको जवाब देने का भी मौका मिलेगा।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय—

मन्त्री जी के पास जो फौज है वह 84 हजार कर्मचारी और अधिकारियों की है। आप अपनी किताब कार्य पूर्ति दिग्दर्शक 85-86 के आंकड़े आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऊपर के

अधिकारी हैं—प्रमुख अभियन्ता तथा उसके नीचे के कुछ और अभियन्ता, जो लखनऊ में रहने वाले बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। जहां क्षेत्र में काम है और उनको रहना चाहिए, वहां पर अधिकारियों की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि उल्टे उसमें कमी होती जा रही है। ऊंचे-ऊंचे अधिकारियों, कर्मचारियों को रखकर आप अपने बजट को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा अनुत्पादक खर्च बढ़ता चला जा रहा है।

मिर्जापुर में कनहर योजना को तैयार होना था जिससे मिर्जापुर और उसके आस-पास क्षेत्र में सिंचाई होती और रिहन्द का पानी भी मिलता। लेकिन उसके कार्य को रोक दिया गया है। शारदा सहायक के बारे में भी कहूंगा हमारे जनपद बलिया में सिंचाई की बहुत कमी है, सिंचाई की दृष्टि से यह जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। शारदा सहायक की टेल वहां पर आ रही थी, कुछ काम भी हुआ था, पर पता नहीं क्यों दो साल से वहां पर काम बन्द है। बाढ़ और उसके बचाव का आवश्यक कार्य भी बलिया में नहीं हो रहा है।

मान्यवर, करप्शन की बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। श्रीमन्, यह चर्चा है और लोग कहते हैं कि जो ट्रांसफर किये जाते हैं वे पैसा लेकर किये जाते हैं। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ट्रांसफर पर 10 हजार, असिस्टेंट इंजीनियर के ट्रांसफर पर 25 हजार, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के ट्रांसफर पर, 50 हजार रुपये लिये जाते हैं। ऐसे-ऐसे कि महंगाई बढ़ रही है, रेट भी दिन पर दिन महंगाई के साथ बढ़ते जा रहे हैं। श्रीमन्, अगर कोई कर्मचारी पैसा देकर स्थानान्तरित होकर मनोनुकूल जगह पर जायेगा तो निश्चित रूप से वह सिंचाई मन्त्री जी की नीति का परिपालन नहीं करेगा। वह इस बात का प्रयास करेगा कि जो उसने इन्वेस्ट किया है वह कैसे निकाल सके।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, शायद आपको मालूम है और माननीय सदस्यों को मालूम है कि जो ट्रांसफर इस साल किये गये हैं उनमें कितनी सख्ती बरती गयी है। माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों किसी काम से आये हैं तो उनका काम नहीं हो पाया है। कहीं पर एक भी केस साबित कर दें जहां पैसा लिया गया हो। इस तरह से आरोप लगाना गलत काम है। मेरे डिपार्टमेन्ट में कोई गलत काम नहीं हो सकता, कोई आदमी पैसा देकर काम नहीं कर सकता, जो पैसा देकर काम करेगा, मेरे डिपार्टमेन्ट में नहीं रहेगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आप नहीं कर रहे हैं आपके इंजीनियर्स कर रहे हैं।

श्री हरदेव—

[x x x]

श्री अधिष्ठाता—

यह जो बैठे-बैठे कहा गया है वह नहीं लिखा जायगा।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का मैं आदर करता हूं। माननीय मन्त्री जी एक समिति बनायें और उसकी जांच करें जिससे सदन का मन साफ हो सके और लोग जान सके कि आरोप में बल है या

नोट—[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया

नहीं। इन तमाम बातों को मैंने सदन के पटल पर रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भाई हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री लाल चन्द निषाद—

मान्यवर, देश के आजादी हासिल करने के बाद हमारे प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोतों से सिंचन क्षमता सृजित करके प्रदेश में बहुत अच्छे सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये गये हैं और हमारे प्रदेश ने सिंचाई के माध्यम से बहुत अच्छा संतुलित विकास किया है। आपको ज्ञात होगा कि तमाम परियोजनाओं के अनुसार देश में हमारे प्रदेश का स्थान चौथा है। देश की जो सिंचाई का प्रतिशत है वह 27 प्रतिशत है। हमारे प्रदेश में सिंचाई की सघनता का प्रतिशत 43.5 प्रतिशत है।

मान्यवर, मैं कुछ परियोजनाओं की चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सरयू नहर परियोजना की चर्चा करना चाहूंगा। सरयू नहर परियोजना पूर्वांचल के जनपद बहराइच, गोण्डा, बस्ती गोरखपुर के लिये बनायी गयी थी। इन जिलों में सिंचाई की सुविधा का प्रतिशत बहुत कम है। इस परियोजना के चालू हो जाने के बाद इन जिलों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो जायगी और इनका बहुत अधिक आर्थिक विकास हो जायगा। एक बात मैं और कहूंगा कि इस परियोजना के लिये हमारे बजट में केवल 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है लेकिन अगर सिंचाई की दृष्टि से देखा जाय तो 40 करोड़ रुपये इस परियोजना के लिये चाहिये तो मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिये धन की व्यवस्था की जाय।

मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि नहरों के साथ जलप्लावन की समस्या की ओर ध्यान दिया जाय और नहरों के साथ-साथ नालों का जाल बिछाया जाय। इस पर अभी से ध्यान रखा जायगा तभी आगे चलकर हम कायदे से काम कर सकेंगे।

एक हमारी दूसरी परियोजना पश्चिम गंडक नहर परियोजना है। आपको मालूम होगा कि यह परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना है और नेपाल राज्य के अन्दर 19 कि0 मी0 पर सड़क नदी पर एक बैराज बनाकर दो नहरें निकाली गयी हैं। एक नहर तिरहुत नहर के नाम से जानी जाती है जो बिहार प्रदेश में सिंचाई का काम करती है। दूसरी पश्चिमी गंडक नहर परियोजना के नाम से कही जाती है, जिससे हमारे देवरिया और गोरखपुर जिले की सिंचाई होती है। गंडक नदी के कटान से कुछ खतरा पैदा हो गया है, उसकी रक्षा के लिये एक वी0 गैप बांध बनाया गया है। यहां पर नदी मोड़ लेती है, उसकी वजह से गंडक का बहुत बड़ा आक्रमण होता है। इसकी गहराई 20 मीटर तक होती है, इसको रोका जा रहा है। इस योजना से गोरखपुर और देवरिया के बहुत से भाग पर सिंचाई का काम होता है।

यह गंडक नदी देवरिया में जो यू0 पी0 और बिहार के बार्डर पर है, उस पर तटबन्ध से हमारे देवरिया के लोगों को बहुत ही राहत मिलती है, उनको बहुत ही सुरक्षा मिलती है। उस पर बिहार का बांध बना था, वह बराबर टूटता रहता था,

जिससे देवरिया जनपद के लोग बहुत परेशान रहते थे। हमारे सिंचाई मन्त्री जी के प्रयास से और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के प्रयास से उस बांध को बहुत कायदे से बांधा गया है। इससे हमारे देवरिया जनपद को काफी सुरक्षा प्रदान हो रही है और इस वक्त भी जब कि गंडक नदी काफी उफान पर है।

इसके साथ-साथ जहां पर साधन सिंचाई के लिये नहीं हो पाते हैं, वहां पर नलकूपों के जरिये सिंचाई होती है। हमारी प्रदेश की सरकार हमारी केन्द्रीय सरकार व कार्यकारी दल ने योजना आयोग को 500 करोड़ रु0 की संस्तुति की थी, लेकिन योजना आयोग ने 260 करोड़ रु0 बाढ़ कन्ट्रोल के लिए तय की थी। इस वर्ष 85-86 के लिए योजना आयोग ने 41 करोड़ की परिव्यय निर्धारित की थी, किन्तु प्रदेश सरकार ने केवल 14.7 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मान्यवर, इस प्रदेश के बाढ़ कन्ट्रोल के लिए यह धन बहुत कम है। मैं सदन से उम्मीद करता हूं कि अधिक धन की व्यवस्था कराई जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह जो सिंचाई विभाग की पत्रिका निकाली गयी है जो माननीय सदस्यों को वितरित की गयी है, उससे साफ जाहिर है कि जितने आंकड़े सिंचाई विभाग ने दिये हैं, वह गलत हैं। पत्रिका के प्रथम पंज की पंक्तियों में लिखा है 294.41 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल है जब कि पत्रिका में उत्तर प्रदेश की कुल भूमि उपयोग हेतु 297.03 लाख हेक्टेयर दिखाई गयी है। इससे जाहिर है कि जो सिंचाई विभाग ने आंकड़े दिये हैं, वह बिलकुल गलत हैं, जो सिंचाई के आंकड़े दिखाते हैं, उससे ज्यादा भूमि है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर ले जाना चाहता हूं। इस बजट और सिंचाई विभाग की पत्रिका को देखने से यह जाहिर होता है कि आजादी से लेकर आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगातार उपेक्षा की जाती रही है। मथुरा, आगरा और हरियाणा के कुछ क्षेत्र की आगरा कैनाल द्वारा सिंचाई होती है। उसे बने हुए शताब्दी हो चुकी है और आज तक उसकी क्षमता 2200 क्यूसेक है। एक शताब्दी में एक क्यूसेक पानी भी नहीं बढ़ पाया है। इससे ज्यादा अक्षमता का कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। जिन स्थानों पर टेल पर पानी नहीं पहुंचा है, सरकार उन किसानों पर आबपासी लगा देती है, जो कि नहीं लगनी चाहिए।

छाता क्षेत्र में बिरसभरा माइनर का निर्माण कराया जाय। इसी प्रकार, चन्दौरी माइनरों की पानी की क्षमता बढ़ाई जाय। हुलवाना पखरपुर बढ़ैन, कोसी आर0 सी0 एल0 डैम की सफाई व रि-माडलिंग के लिए सरकार से धन की मांग करता हूं तथा जनता के हित के लिए बछरावां कट का विस्तार तथा कमई कट का निर्माण कराया जाय।

मान्यवर हमारे केन्द्रीय मन्त्री नटवर सिंह जी ने जून में उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते के लिए डीप ओ जल महलों के

अध्यक्ष ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए पानी मांगा। उन चार हफ्तों में जब वह डीप में पहुंचे तो एक बूंद पानी भी डीप महलों में नहीं पहुंचा था। इसकी शिकायत भी की गई थी। यह हमारे मुख्यमन्त्री जी और मन्त्री जी को अच्छी तरह से पता है। मान्यवर, छाता क्षेत्र मथुरा जिले का बाढ़ग्रस्त और जल-प्लावित क्षेत्र है, और वहां काफी समय से जल प्लावित होने के बावजूद भी सरकार ने इसे जल प्लावित क्षेत्र स्वीकार नहीं किया है। मन्त्री जी से मैंने कहा था मन्त्री जी ने गोवर्धन ड्रेन के लिए पैसा दिया उनसे मैंने कहा कि गोवर्धन ड्रेन में नाले का पानी आता है, अगर यह नाला साफ नहीं कराया जाता है तो, कोई फायदा नहीं है। यहां आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। इस पत्रिका के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जब भी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही . . . .

(व्यवधान)

जनता पार्टी 1977 से 1980 तक रही और उसने 25.89 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाई। यह आपकी पत्रिका में दिया हुआ है।

(व्यवधान)

मान्यवर, आपके माध्यम से दो तीन सुझाव और देना चाहता हूं। केन्द्रीय सिंचाई विभाग नालों की सफाई हेतु एक हजार रुपये से लेकर 3 हजार रुपये प्रति किलोमीटर तक देते हैं और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार नालों की सफाई के लिए मात्र 253 रुपये प्रति किलोमीटर देती है, तो साफ जाहिर है कि 253 रुपये प्रति किलोमीटर जो दस साल पहले का रेट है वह दिया जाता है। इससे सफाई कभी नहीं होती है वैसे इस सिंचाई विभाग को लोग आजकल कमीशन विभाग कहते हैं। इसलिए सफाई का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री लक्ष्मी नारायण—

मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

कुमारी अलमेलू अम्माल—

मैं सिंचाई मन्त्री के बजट के समर्थन में खड़ी हुई हूं . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप सब बैठें। आप साफ कहें कि क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, सिंचाई मन्त्री जी लापता हो गये हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

श्री सूर्यप्रताप शाही—

मान्यवर, माननीयी सिंचाई मंत्री हों तब हम सुझाव दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों की भावनाओं को मैंने सुना आप सबकी भावनाओं से मान-

नीय मन्त्री जी अध्यक्ष हो गये होंगे। सिंचाई के राज्य मन्त्री जी विद्यमान हैं ....

(और व्यवधान)

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

मैं निवेदन करूंगा कि आप व्यवस्था दें दें और माननीय सिंचाई मंत्री जी आ जायं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग अनावश्यक रूप से समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री सरन सिंह—

मान्यवर, आप बैठे हैं और यह हो रहा है यह अच्छा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

जहां तक विभागों का ताल्लुक है मंत्रिमण्डल के कई माननीय सदस्य यहां हैं, राज्य मंत्री सिंचाई मौजूद हैं। फिर भी मैं अपेक्षा करूंगा कि सिंचाई मंत्री जी सदन में आने का कष्ट करेंगे।

[समय 3.22]

कुमारी अलमेल कम्मारा—

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी के बजट का समर्थन करती हूं और धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि सर्वेक्षण करा कर जहां नलकूपों से किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सकती है, निःशुल्क बोरिंग करा कर, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायें। इससे किसान खुश हो जायेंगे और उसकी पैदावार बढ़ेगी। लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए सरकार ने अनुदान की धनराशि बढ़ाकर 85.6% प्रतिशत कर दिया है, इससे किसान लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, जो राजकीय नलकूप गांवों में आ रहे हैं, वहां ऐसी प्रणाली अपनायी जाय कि राजकीय नलकूप घाटे में न जायें। मैं यह भी कहूंगी कि जिस क्षेत्र में इन्जीनियर नियुक्त हैं और जहां निश्चित अवधि में नलकूप नहीं चलता है सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, तो उस अधिकारी को दण्डित किया जाय। जब तक अधिकार और कर्तव्य बराबर नहीं चलेगा न सिंचाई बढ़ेगी और न उत्पादन आगे बढ़ेगी और न अफसर अपनी ड्यूटी कर पायेगा। अगर निश्चित अवधि में काम रूप चलें तो इससे सिंचाई भी बढ़ेगी और होगी और पैदावार भी बढ़ेगी।

नहर के बारे में मुझे यह कहना है कि नहरों की मरम्मत नहीं होती है। नहरों की मरम्मत उपेक्षा और लापरवाही के कारण नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि 5 साल से लगातार जो नहरें अच्छी नहीं चल रही हैं उसका कारण क्या है। उसका एक कारण यह है कि नहरों की सफाई कायदे से नहीं होती। अफसरों की लापरवाही के कारण सफाई नहीं होती जिससे बेस ऊंचा हो जाता है बालू से, उसकी सफाई होनी चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए तब पानी खेत तक के किसानों को मिलेगा। जब मरम्मत नहीं करेंगे तो कायदे से पानी नहीं पहुंच पायेगा। यह अफसर जो लापरवाही करते हैं, उपेक्षा करते हैं, मरम्मत नहीं करवाते सफाई नहीं करवाते हैं, उनको दण्डित करें और यहां के नहरों की मरम्मत

कायदे से करें और पानी कायदे से चले। धन्यवाद।

श्री धनराज यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। सर्वप्रथम आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपकी यह सिंचाई प्रणाली एक व्यावसायिक प्रणाली है, इसे आप समाप्त करें और इसे उत्पादक प्रणाली के रूप में विकसित करें। मुझे यह निवेदन करना है कि आपने जो आंकड़े दिये हैं, आपने आंकड़ों से ऐसा दर्शाया है कि देश में सिंचाई सघनता 27 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की सिंचाई सघनता 43 प्रतिशत है, जो कि बहुत अधिक है। इसमें न आपकी सरकार की वाहवाही है और न आपकी। यह गंगा यमुना, सरयू और घाघरा जिसके अन्दर अथाह जल बह रहा है, इसके कारण आसानी से थोड़ी मेहनत से आपको पानी मिल जाता है, देश में राजस्थान और गुजरात भी हैं, जहां कोई अच्छे पानी वाली नदियां नहीं हैं। आप साबित करना चाहते हैं कि हमारे विभाग ने बड़ा परिश्रम करके सिंचाई का औसत बढ़ा दिया है, किन्तु ऐसा कुछ नहीं है।

आपने सरयू परियोजना का नाम लिया है, नक्शा भी काफी अच्छा बनाया है लेकिन आपने 92-93 तक पूरा करने की बात कही है, जबकि जनता सरकार ने 85 तक पूरा करके पानी देने की घोषणा की थी। अभी तक एक बूंद पानी सिंचाई के लिए नहीं पहुंचा पाये। आप सरयू परियोजना पर तेजी से काम करें हम आपको धन्यवाद देंगे। यह एक ऐसी स्कीम है, जिससे आप खुशहाली ला सकते हैं लेकिन आपकी निगाह बगल की कुर्सी पर है। आप इसीलिए दिल्ली की दौड़ ज्यादा लगाते हैं। अगर इसकी आधी ताकत आप सिंचाई योजना पर लगाते, तो सरयू परियोजना से बहुत जल्दी सिंचाई शुरू हो जाती। आपके पास शक्ति है, इस शक्ति का इस्तेमाल गरीब जनता के लिए, इन सूखे खेतों को राहत दिलवाने के लिए करें तो शायद बिन मांगे कुर्सी आपको मिल जाये।

मान्यवर, पैसे का मैं क्या जिक्र करूं वह माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है। आपने कहा है कि इस वर्ष अगर कोई साबित कर दे, यानी पिछले वर्ष तक का तो स्वीकार कर लिया।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अगर माननीय सदस्य को कोई बात कहना हो तो संयमित भाषा में कहें तो अच्छा हो। हर व्यक्ति को हर भाषा आती है। इसलिए सबको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सभी आदमियों को बोलना आता है। जितना आप बोलना जानते हैं, उतना हम भी जानते हैं। इसलिये आप और बात कहने के बजाय सुझाव दीजिये तो अच्छा हो। संभल कर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप भी यहीं से पैदा हुए हैं और हम भी . . . .

(व्यवधान)

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, वह सीधे माननीय सदस्य को सम्बोधित किया है। अतः मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी ने आपकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पीठ को संबोधित न करके माननीय सदस्य पर सीधे जो आरोप लगाया है, इस बात की सफाई माननीय मंत्री जी को देना चाहिए।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इसी तरह की जबान का इस्तेमाल हो सकता है, जिसके सुनने के बाद कटुता और बुरा न लगे। तहजीब की जबान होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि उधर कोई ऐसा असंसदीय शब्द इस्तेमाल करे तो आप उस पीठ पर बैठ कर उसको देख सकते हैं और रोक सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

वर्मा जी, व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था नहीं होती। एक व्यवस्था उठी जिस पर मैंने शाही जी और जाहिदी साहब को सुना। अब पहले मैं अपनी व्यवस्था दे दूं। यह सही है कि हम सब लोगों को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हुई होगी तो मैं उसे देख लूंगा।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने माननीय यादव जी से यह कहा कि, "उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस साल कोई माननीय सदस्य आरोप लगायें तो नहीं लगाने देंगे, यह बात गलत है। माननीय यादव जी ने यह कहा कि माननीय मंत्री जी ने पिछले साल की गड़बड़ी स्वीकार कर ली है। इसमें कौन सा असंसदीय शब्द रहा? कौन सा अपमान हुआ जिसको आप देखना चाहते हैं। इस बात का प्रतिवाद न करके माननीय मंत्री जी ने यह कहना शुरू किया कि हम भी वहीं से पैदा हुए हैं, आप भी वहीं से पैदा हुए हैं और संभल कर भाषा का प्रयोग करें। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्य पर अपने पद का प्रभाव डालकर डराना-धमकाना चाहा है और उनकी जबान को बन्द करना चाहा है मैं उनके इस आचरण की निन्दा करता हूं और व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने यह कहा कि इस सारे प्रकरण को देख लूंगा और कोई भी ऐसी बात जो असंयमित या असंसदीय हो, या मर्यादा के खिलाफ हो, उसे निकाला जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, कौन सा शब्द संसदीय है और कौन सा असंसदीय होगा, आपको इसकी जानकारी है। यहां कौन सा ऐसा असंसदीय शब्द कह दिया गया कि माननीय मंत्री जी ने प्रताड़ना के तरीके से यह माननीय सदस्य को कह दिया, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता—

कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं उसे देखकर निकाल दूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, इस बात के बारे में माननीय मंत्री जी को अपनी बात की सफाई करनी चाहिए कि कोई त्रुटि हो गयी है। अपनी भूल का सुधार कर लें। कह दें कि हमारा मतलब इस साल से ही नहीं पिछले साल से भी था।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बड़ौपुर में जमींदारी नहर हैं अंग्रेजों के जमाने में बनी यह नहरें ध्वस्त हो गयी हैं। उस विभाग को जो पैसा दिया जाता है, वह शायद खा लिया जाता है। न तो नहरों को दुरुस्त किया जा रहा है, न पुलिया दुरुस्त की जा रही हैं। सन् 1979 में कूड़ा नदी से एक नहर मंजूर की गयी थी। लेकिन, उसके लिए पैसा नहीं दिया जाता।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री धनराज यादव—

मान्यवर, राप्ती और घोमी के बीच यह सैकड़ों नाले, दर्जनों नदियां बहती हैं और परस्पर मिलते-जुलते पनघोट्यां में समाप्त हो जाती हैं। एक राप्ती नदी रह जाती है, उसके दोनों तरफ बंधे बनवा दिये गये हैं। लेकिन, यह ध्यान नहीं रखा गया कि इन नदियों से कितना पानी बहता है और कितना प्रेशर वहां रहता है। उसकी वजह से नौगढ़, शोहरतगढ़, उस्काबाजार क्षेत्र के सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। मंत्री जी उस्का बाजार में गये थे, तो उन्होंने वहां कहा था कि उस क्षेत्र को बचाने के लिए कार्यवाही की जायेगी, किन्तु, अभी तक कुछ नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री धनराज यादव—

अन्त में कहना चाहता हूं कि आपकी जो टी0 ए0 सी0 इकाई है, उसका कार्य अत्यन्त दुरूह प्रकृति का है, इसका सरलीकरण किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*चौधरी परागी लाल—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत व्यवस्था दी है, वह बहुत ही सराहनीय है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, इस बजट का समर्थन करते हुए, अपने जनपद की सिंचाई योजनाओं की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

मान्यवर, मेरे जनपद में लगभग 1007 किमी0 लम्बी नहरें हैं, उसमें दो डिवीजन में हमारे यहां की नहरें बंटी हुई हैं। सीतापुर डिवाई लखीमपुर की डिवाई में जुड़ गयी है, जिससे वहां की जनता को बड़ी परेशानी होती है। हमारे क्षेत्र की नहरें लखीमपुर से जुड़ी हुई हैं, जिसका आफिस गोला में है। गोला डिवाई के अन्तर्गत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो नहरें हैं उनकी सफाई 5-6 साल से नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि गोला से जुड़ा हुआ जो भाग है, उसे पीलीभीत से जोड़ दें। उसकी देख-रेख पीलीभीत डिवीजन से होगी। हम लोगों को विश्वास है कि नहरों की सफाई अवश्य होगी और किसानों को भी पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। हमारे जनपद में लगभग 20 लिफ्ट नहरें हैं। इनमें कमांड इतना ज्यादा ले लिया गया है कि बिजली न मिलने के कारण, ये लिफ्ट नहरें किसान को पानी नहीं दे पाती हैं, जिससे बड़ी कठिनाई होती है। इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे इन लिफ्ट नहरों से किसान लाभान्वित हो सकें। इनमें न तो सिंचाई होती है, 4-5 घंटे बिजली आती है। 1-2 किलोमीटर तक ही पानी जा पाता है, फिर बन्द होने पर, जब पुनः चालू किया जाता है तो पानी 1-2 किलोमीटर तक पानी जाता है, दूसरे आदमी को किसानों को काफी परेशानी होती है। सिंचाई विभाग की जो सिंचाई सलाहकार समिति है, उसमें एक बार यह निर्णय हुआ था कि कुछ जो बड़ी लिफ्टें हैं, उनको नहरों से सम्बद्ध कर दिया जाय ताकि फ्लो से वह चाहें पानी दे सकते हैं और किसान तक पहुंचा सकते हैं।

10—15 वर्ष पूर्व सिंचाई के लिए नहरों के लिए जो पैसा दिया जाता था, वह आज भी उतना ही दिया जा रहा है। हम लोगों ने जब सर्वेक्षण किया तब हमें यह जानकारी मिली। लेबर का पैसा बढ़ गया है, हमारे शासन की मंशा भी यही है, लेबर को पैसा भी मिलना चाहिए। जो पैसा आज दिया जा रहा है, उससे मूल और नहरें सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि नहरों और गूलों की सफाई के लिए और को बढ़ाया जाय। यह तो आप जानते ही हैं कि पानी ही किसान की रोटी है।

मान्यवर, हमारे जनपद में लगभग 4 किलो से 435 तक ट्यूबवेल लगे हुए हैं। इन ट्यूबवेल अण्डरग्राउण्ड पाइपलाइन के हिसाब से लगे हुए हैं। जिनके पाइप में पानी बिलकुल बंट गये हैं जिससे पानी अन्त को नहीं बढ़ता है। नालियों की व्यवस्था ठीक न होने के कारण किसान अपने खेत के रह जाता है। मेरा निवेदन है कि जो अण्डरग्राउण्ड पाइप डाले गये हैं उन की उनकी ठीक से व्यवस्था कर दी जाय जो फिर ऊपर से पुनः उनकी नालियां सुचारू रूप से बना दिया जाय ताकि किसान को पानी मिल सके। जो नालियां पहले से बनी हुई हैं, वे इतनी गहरी हो गई हैं कि जगह जगह से टूट गयी हैं इसलिये इनको भी ठीक किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री काजी कलीमुर्रहमान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं जनपद आजमगढ़ से आता हूं। आजमगढ़ में प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बाढ़ से नष्ट हो जाती है। माननीय मंत्री जी जहां के रहने वाले हैं, उसी के पड़ोस का रहने वाला मैं भी हूं। चाहे इलाहाबाद हो, गोरखपुर हो और चाहे बनारस हो, प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहते हैं इनकी क्या हालत है, हम जो लोग इस जनपद

हैं, वही अच्छी तरह से बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी दी गयी, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी गई। मैं पुनः इस आदरणीय सदन में इस समस्या को रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में अराजी मल्हापुरवा, गंगापुरवा, पुरीनिया, जमुना जजमान जैसे गांव हैं, जिनकी जानकारी मैंने मंत्री जी को दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही वहां पर नहीं हुई।

मान्यवर, शारदा नहर आजमगढ़ में है। 20 किलोमीटर और 22 किलोमीटर के बीच में नहर टूट गयी है, जिससे लगभग 27 गांव जलमग्न हो गये हैं। सूचना देने पर कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर छोटी सरयू से 56 गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। अधिकारियों से बात करने पर, एक तो मिलते नहीं हैं, किनसे कहा जाय और जब कहा जाता है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। अधिकारी कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है।

माँला बांध है, इसकी वजह से 16 गांव मेरे क्षेत्र में हैं, सगड़ी क्षेत्र, गोपालपुर क्षेत्र, जिससे भी कहिये सब लोग यही कहते हैं पैसा नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सिंचाई विभाग का इतना बड़ा पुलिंदा दिया है, इससे लगता है कि कोई बहुत बड़ा कारनामा हो रहा है। आजमगढ़ जनपद में जो प्रभावित क्षेत्र हैं, बाढ़ जहां आती है, किसी तरह की देख-रेख नहीं होती है। गोरखपुर में पी0 गैप के नाप पर लाखों लाख रुपया खर्च हो रहा है, मनमाने तरीके से मंत्री जी भेज देते हैं। गण्डक प्रोजेक्ट हो या कोई भी परियोजना हो, जिस पर मंत्री जी का आशीर्वाद होता है, वही जाते हैं, अच्छे लोगों को रहने नहीं देते। खुला आरोप पी0 गैप पर लाखों लाख रुपये का लगाया गया था, कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, कहना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ में जो बाढ़ है, शारदा नहर की जो समस्याएं हैं, उनके महत्व को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि शासन उस पर कार्यवाही करें। अन्त में पुनः आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जनपद आजमगढ़ में 23 से 28 किमी0 के बीच में शारदा नहर का पानी नहीं चढ़ता है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

सिंचाई विभाग के बजट पर आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनके पिछले 5 वर्षों के कार्य काल में इस प्रदेश में वास्तविक सिंचित क्षेत्र था 54 लाख हेक्टेयर, उससे बढ़ कर 83-84 के अन्त में 68 लाख हेक्टेयर हो गया है। 86 लाख की सिंचन क्षमता थी वह 102 लाख हेक्टेयर हो गयी है। स्पष्ट है कि कई वर्षों से जो हमारे यहां सिंचित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा था, पहली दफा इस ट्रेंड में, इनके कार्यकाल में, बदलाव हुआ और सिंचन क्षमता का उपयोग बढ़ने लगा है। अपने भाषण में उन्होंने पानी के अधिकतम और अच्छे से अच्छे उपयोग की बातों का उल्लेख किया था। मैं उसी के बारे में आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, किसी समय में इन्द्र देवता प्रसन्न हुए तो उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या चाहते हो 12 वर्ष का अकाल या 12 दिन की वर्षा। तो लोगों ने कहा कि 12 वर्ष का अकाल काटना तो आसान है लेकिन 12 दिन की वर्षा को काटना बड़ा मुश्किल है क्योंकि न जाने उसमें कितना नुकसान होता है। इसीलिये मैं मंत्री जी का ध्यान उन इलाकों की ओर ले जाना चाहता हूं, सूखे की ओर नहीं बल्कि वे लोग 12 महीने पीड़ित रहते हैं जल भराव के कारण, उधर ले जाना चाहता हूं। 1876 में जब पंजाब में नहरें बन चुकी थीं तो वहां पर रेह और ऊसर की समस्या हुई थी तो रेह कमीशन बनाया गया था। 1947 के बाद परियोजनाओं का विस्तार हुआ और सिंचाई की योजनाओं के कारण, क्योंकि इस समस्या को और गम्भीरता से नहीं देख रहे थे। वहां सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया और उसकी वजह से कष्ट भोगना पड़ रहा है लोगों को, उसकी जानकारी आज उपलब्ध है। जितनी सिंचाई क्षमता है, जो नेशनल इरीगेशन कमीशन 72 में दिया था, उसके पृष्ठ 116-117 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें उल्लेख है कि जो नहरें हैं उनमें 17 प्रतिशत पानी जल रिसाव से नष्ट होता है, 8 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूटरी में नष्ट हो जाता है, 20 प्रतिशत पानी खेतों में जाकर नष्ट हो जाता है, इस प्रकार जो पानी आता है उसका 45 प्रतिशत खेत में पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है, जबकि सिंचाई पर हम करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष खर्च कर रहे हैं। 17 प्रतिशत खेत में पहुंचने पर काश्तकार के उपयोग के समय में नष्ट हो जाता है। कुल का 62 प्रतिशत नष्ट हो जाता है और 38 प्रतिशत सिंचाई के प्रयोग में आता है। इतना पानी नष्ट हो रहा है।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि कच्ची नहरों को पक्का करने के लिए प्रावधान करें, नयी-नयी योजनाएं न बनायें। जब हम कच्ची नहरों की और पक्की नहरों की तुलना करते हैं तो पक्की नहरें कच्ची नहरों की तुलना में 1/3 भूमि लेती हैं आजकल जरूरी है कि कम से कम भूमि का प्रयोग हो। इसके बाद इस पर जो पुल इत्यादि बनाते हैं, उनकी लम्बाई भी कच्ची नहर के मुकाबले में 1/3 रह जाती है। इस पर बाद में काफी खर्चे में कमी आती है, शुरू में पक्का करने का इसी से पड़ता है। मेरा यह अनुरोध है कि इससे पहले कि आने वाली पीढ़ियां हमें इस काम के लिए कोसें कि हमारे प्रदेश की उपजाऊ भूमि ऊसर और रेह होती जा रही है उससे पहले अवश्य हमें कदम उठा लेना चाहिए।

*श्री मनोहर लाल—

मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी के गोरख-धन्धे में और आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहता हूं। सिर्फ एक आंकड़ा प्रस्तुत करूंगा नहर के बारे में, 1978-79, 81-82 और 82-83 के आंकड़े हैं, जिसके अनुसार साफ जाहिर है कि नहरों के द्वारा सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्रफल में कमी होती चली गयी है। 82-83 में 33.7 हो गया था, 81-82

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में 33.6 था, 78-79 में 35.8 था। इसके बाद के आंकड़े नहीं हैं, वे मंत्री जी के पास होंगे।

उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। खेती के उत्पादन में अगर सिंचाई की ओर पानी की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा चाहे कोई भी फसल हो रबी हो या खरीफ हो। जरूरी है कि सिंचाई की तरफ ध्यान दें। माननीय मंत्री जी तो आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं यहां बैठकर। क्या पूछ सकता हूं माननीय मंत्री जी से कि वह किसान जो रात-रात भर अपने खेतों में इस उम्मीद में बैठा रहता है कि नहर से पानी आये चाहे वह धान की फसल हो या कोई और फसल लगानी हो। चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे रबी की फसल हो, कोई भी फसल हो उसमें एक बार खेत में पानी चला जायेगा जिससे कि किसान ने अपनी फसल बो दी और उसके बाद जो मंत्री जी के सींचपाल लोग हैं वे सिंचाई की रकम तो ले लेते हैं, पूरी रकम की वसूली कर ली जाती है, लेकिन दुबारा उन खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है। इस तरह की तमाम शिकायतें उन्नाव जिले की, फैजाबाद जिले की मंत्री जी से की गयी हैं लेकिन वहां के सींचपाल के कारण जो कि खेत में पानी देने का कष्ट नहीं करते हैं, फसल सूख जाती है लेकिन किसान से पूरी रकम वसूल ली जाती है। उत्तर प्रदेश में यह दो विभाग--सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग, यह उत्तर प्रदेश के कोढ़ हैं।

ऐसे ही क्षेत्रफल के मामले में और आंकड़ों के मामले में आप देखें उसमें यह लिख दिया जाता है कागजों पर कि इतना क्षेत्रफल सिंचित कर दिया गया लेकिन वहां मौके पर क्या होता है यह किसी को नहीं मालूम? इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे किसानों की तरफ ध्यान दें कि उनको अपने खेतों के लिए पूरा पानी मिल पावे। इस समय धान लगाने का मौका है, आपकी नहरों से थोड़ा पानी मिल पाता है और थोड़ा वर्षा के कारण मिल जाता है तो किसान धान की बुआई कर देता है परन्तु उसके बाद सिंचाई के लिए उसे पानी नहीं मिल पाता है।

बाढ़ के मामले में उन्नाव और कानपुर के लिए गंगा बैराज बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पिछली सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने भी इस बारे में आश्वासन दिया था कि गंगा बैराज छठी पंचवर्षीय योजना और फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना में बनाया जायेगा। लेकिन गंगा बैराज के नाम पर अभी तक किसी योजना में एक पैसा नहीं हो पाया है। उन्नाव जनपद की हजारों एकड़ जमीन गंगा में चली गयी है, लाखों लोग जो कि कानपुर में रहते हैं उनके लिए पीने के पानी की समस्या हो गयी है गंगा बैराज के न बनने से। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर भी जरा ध्यान दें।

उन्नाव में मऊंडा से बछौरा तक बांध बनाने की योजना है, उसको राजकीय बांध निर्माण परिषद् की ओर से बनाया जाना प्रस्तावित है और इसमें 20 लाख रुपया व्यय किया जायेगा। मैं कहता हूं कि यह धन शासन का बिल्कुल बेकार जा रहा है, इसके वहां बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से 41 लाख रु0 का नवाबगंज में बसहा बांध बनाये

जाने की योजना है। डलमऊ नहर की सारी मशीनरी बेकार हो गयी है।

श्री अध्यक्षः—

अब आप बैठिए।

श्री त्रिभुवनी नारायण मिश्र—

अध्यक्षः महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, सिंचाई की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। सिंचाई का संकट राष्ट्र का संकट है। इसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए प्रदेश में बहुमुखी विकास के लिए सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई के साधनों को दुरुस्त किया है और सिंचाई के साधनों के प्रोत्साहन में बढ़ोत्तरी की है। सिंचाई मंत्री जी द्वारा तीन उल्लेखनीय काम किये गये हैं। इस समय देश में सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। इस समय प्रदेश में 22,694 नलकूप कार्यरत हैं। जो देश का सवा गुना है। प्रदेश में नलकूप निर्माण का एक निगम बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र में भी 2,000 नलकूपों का निर्माण करेगा।

सिंचाई मंत्री जी ने यू0 पी0 पब्लिक नलकूप योजना के लिए विश्व बैंक की मदद से काम किया है, जिसको देखने के लिए विश्व के दो तिहाई देश यहां आये। यही नहीं, सिंचाई मंत्री जी ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए 76 बड़ी योजनाएं और मध्य योजनाओं की घोषणा की है लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिंचाई मंत्री जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ही योजना जो कि सरयू परियोजना है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो स्वीकृत बाढ़ग्रस्त इलाका है, उसमें एक ही परियोजना है।

मान्यवर, पर्वत हमारा नगाड़ा है, पौराणिक पूर्वांचल हृदय है। हृदय की उपेक्षा करना प्रदेश की सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहां पर बाढ़ को रोकने के लिए कोई स्थायी हल ढूंढ़ा जाय तथा बाढ़ अनुसंधान केन्द्र गोरखपुर में स्थापित किया जाय। क्योंकि हमारा गोरखपुर मण्डल नेपाल से सटा हुआ है। नेपाल से नदियां निकलती हैं। मान्यवर, घाघरा पर करनाली, शारदा पर भालू बांध, शारदा पर पंचपरमेश्वर बहुउद्देशीय योजना की स्वीकृति करायी जाय, जिससे बाढ़ को रोका जा सके। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में विनाशकारी बाढ़ से करोड़ों रुपये की हानि होती है जिससे प्रदेश का विकास रुका रहता है।

मैं सिंचाई मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नदियों के निकलने वाले स्थानों पर जलाशय बनवाये जाएं साथ ही साथ योजना का निर्माण करने से पहले टी0 ए0 सी0 के सहयोग से स्थानों का निरीक्षण कराया जाय, जिससे वह वस्तुस्थिति से अवगत हो सकें और योजनाओं को बनाते समय अच्छा लाभ उपलब्ध करा सकें। सातवीं पंचवर्षीय योजना को लागू करते समय धन की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करायी जाय। जब एक योजना खत्म हो जाय तभी दूसरी योजना शुरू की जाय। बाढ़ से रुकने के

लिए जो केन्द्र सरकार ने मापदण्ड निर्धारित किया है वह उत्तर प्रदेश के लिए 10.2 करोड़ है लेकिन मान्यवर, 1.39 करोड़ सिर्फ प्राप्त हो रहा है जिससे हमारे बाढ़ नियंत्रण काम में बाधा उत्पन्न हो रही है।

प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ योजना आयोग से मंगवाया परन्तु उसे 260 करोड़ ही मिल पाया। मान्यवर, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे बाढ़ को रोकने के लिए अधिक धन को उपलब्ध करायें। मैं मंत्री जी का ध्यान गंडक की ओर दिलाना चाहता हूं। गंडक परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है, यह बहुत कम है। इस योजना को पूरा करने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये स्वीकृत कराया जाय। सरयू परियोजना चार जिलों बहराइच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर को जोड़ती है उसमें निर्धारित धन को दिया। कुवांनी योजना को पूरा किया जाय, बखेरा पम्प कैनाल का आधुनिकीकरण किया जाय।

गोरखपुर मण्डल बाढ़ग्रस्त इलाका है वहां पर करीब 60 प्रतिशत पूरे उत्तर प्रदेश का बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है उसी हिसाब से वहां का धन सुनिश्चित कराया जाय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि चित्तौरगढ़ जलाशय कुआनो पुनरीक्षित परियोजना शीघ्र लागू करायी जाय जिससे वहां के सिंचाई साधनों की उपलब्धता हो सके। मान्यवर, सिंचाई मंत्री जो सिंचाई के विशेषज्ञ हैं, बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए स्थायी हल ढूंढ़ें, स्थायी हल के अभाव में बाढ़ नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। नदियों के उद्गम स्थान पर जल को रोकने के लिए जलाशय बनाये जायं तथा नदियों को गहरा किया जाय क्योंकि नदियों के दोनों ओर बांध बन जाने से नदियां चैनलाइज हो रही हैं। आमी नदी पर तटबन्ध बनाया जाय और बाढ़ग्रस्त इलाकों में तैनात अधिकारियों को बाढ़ प्रशिक्षण दिया जाय। समयाभाव के कारण क्षेत्र की समस्याओं को लिखित रूप से अर्पित कर दूंगा। माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती के प्रस्ताव की घोर निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर दिया। मान्यवर, सिंचाई विभाग में बहुत सी बातें हैं जिनकी शायद मंत्री जी को भी जानकारी नहीं है, उसके संदर्भ में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं में जिन कारणों से तनाव है उसका एक कारण जो शासनादेश 81 में हुआ था, इसके अनुसार सिंचाई विभाग में एक निदेशक कार्मिक आई0 ए0 एस0 अधिकारी की नियुक्ति हुई है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश अभियन्ता संघ ने उसका विरोध अपनी 30 जुलाई की बैठक में किया और 2 अगस्त से अभियन्ता संघ हड़ताल पर जाने वाला था लेकिन मंत्री जी के आश्वासन पर अभियन्ता संघ ने अपनी हड़ताल 9 अगस्त तक स्थगित की है निदेशक कार्मिक सभी उच्च अधिकारियों के स्थानान्तरण के प्रस्ताव देगा तथा सेवा सम्बन्धी सभी कार्य करेगा। तो मेरा कहना है कि यह नियुक्ति तकनीकी अधिकारियों के ऊपर नौकरशाही को हावी करने की एक नई साजिश है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने

कहा कि वह स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं करते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि 1984 में माननीय मंत्री जी ने जो सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये थे, उनमें से 66 लोगों के स्थानान्तरण 1984 में ही रोक दिये गये थे, जिनको प्रतिबन्धित स्थानों पर जाना था। मैं यह भी जानकारी दे दूं कि इस वर्ष 1985 में उन सभी 66 सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण पुनः किया गया है, उनमें से 50 के स्थानान्तरण रोक दिये गये हैं और बाकी लोगों के स्थानान्तरण रोके जाने की प्रक्रिया में हैं।

मान्यवर, सिंचाई विभाग में जो पदोन्नतियां होती हैं, उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उनका क्या मापदण्ड है। मान्यवर, 1983 में अधिशासी अभियन्ताओं (सिविल) की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए जो आधार रखा गया वह श्रेष्ठता था और इसके विपरीत 1984 में जो पदोन्नतियां की गयीं उनका आधार ज्येष्ठता रखा गया।

मान्यवर, 1983 में 70 लोगों की पदोन्नतियां की गयी थीं और जो लगभग 20 लोग बच गये थे उनकी पदोन्नति न करके अन्य अधिकारियों की पदोन्नति 1984 में ज्येष्ठता के आधार पर की गयी। माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें कि सिंचाई विभाग में पदोन्नति का आधार क्या है। मान्यवर, इसी प्रकार से मुख्य अभियन्ता की पदोन्नति की जब बात आती है तो कभी वरिष्ठता के आधार पर और कभी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती है।

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में गुन्टा डैम प्रोजेक्ट है, सभी माननीय सदस्यों को कार्यपूर्ति दिग्दर्शक दिया गया है उसके आंकड़ों में और जो गुन्टा डैम परियोजना (रिवाइज्ड) है उसके आंकड़ों में फर्क है। मान्यवर, गुन्टा डैम परियोजना के आधार पर 3,880 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी जबकि जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शक दिया गया है उसके अनुसार 4,900 हेक्टर सिंचाई क्षमता प्राप्त होगी। तो मान्यवर, दोनों में अन्तर है। मान्यवर, गुन्टा डैम प्रोजेक्ट के अनुसार इस योजना की लागत 782 लाख है और जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शक दिया गया है उसके अनुसार इसकी लागत 752 लाख रुपया है। माननीय मंत्री जी ने लागत को कम बताया है और सिंचन क्षमता को अधिक बताया है और इस प्रकार से सदन को गुमराह करने की कोशिश की है।

जलमग्न क्षेत्र 85 की पुनरीक्षित परियोजना के अनुसार 813.6 हेक्टेयर है और कार्यपूर्ति दिग्दर्शक के अनुसार 128.6 हेक्टेयर है। इस प्रकार से इस परियोजना का 1985-86 में 81.3 प्रतिशत कार्य पूरा हो जायेगा। उन्होंने इसको स्वीकार किया है परन्तु इसकी केन्द्रीय योजना आयोग से या केन्द्रीय या प्रदेश सरकार से स्वीकृति नहीं है। बुन्देलखण्ड के मुख्य अभियन्ता ने मुझे यह जानकारी दी है कि इस योजना की अभी तक कहीं से भी स्वीकृति नहीं है। मान्यवर, जब मैंने प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसके बारे में जानना चाहा, तो मंत्री जी उसको टाल गये। बिना किसी स्वीकृति के लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है अगर कोई केन्द्रीय योजना आयोग से स्वीकृति लेने में इसमें आगे बाधा पड़ गयी तो इसका कौन जिम्मेदार होगा।

मान्यवर, अब मैं नलकूपों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे झांसी जनपद में गुरसरांय ब्लाक है, जहां पर एक भी नलकूप नहीं है। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इस गुरसरायं एवं बामौर विकास खण्ड में विश्व बैंक योजना के 25-25 नलकूप लगवाने की कृपा करें। मान्यवर, गरौठा क्षेत्र की डिकौली लिफ्ट सिंचाई योजना जो शासन के विचाराधीन है, उसको कार्यान्वित करें। इस क्षेत्र की जो माइनरें हैं उनमें पुलिया बनी हैं और झील बनी हैं लेकिन नहर की खुदाई हुई ही नहीं। मान्यवर, बेतवा नहर प्रणाली की जो नहरें हैं शेड्यूल-ए में हैं जिन्हें खेती को चार बार पानी देना ही चाहिए और मात्र एक या दो बार ही पानी दे पाती हैं तथा सिंचाई शुल्क बहुत अधिक लगता है। मेरी मांग है कि उनको शेड्यूल-ए से हटाकर शेड्यूल-सी में कर दिया जाये, ताकि कृषकों को कम पानी मिलने पर अधिक राजस्व न देना पड़े। मान्यवर, झांसी जिले के मोठ ब्लाक के ग्राम करही में पानी भराव को दूर करने के लिए एक ड्रेन का निर्माण करने की कृपा करें, इससे लगभग दो हजार एकड़ जमीन कृषि के काम में आ सकती है। इसके साथ ही मैं मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बैठें, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय सिंचाई मंत्री जी को जिन्होंने अपना संकल्प जो कि कृषकों की आत्मा है "सिंचन क्षमता को बढ़ाने में अपना प्रयत्न जारी रखा है और बराबर प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। मैं दूर पर्वतीय अंचलों की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह वह क्षेत्र है जो हमेशा-हमेशा इस प्रदेश की सिंचन क्षमता को अधिकांश बढ़ाने में अपना योगदान देता रहा है और यही वह क्षेत्र है जहां गर्मियों में प्रदेश भर में अधिकांश जल स्रोत सूख जाते हैं किन्तु पर्वतीय क्षेत्र जहां से गंगा बहती है, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है वैसे-वैसे गंगा में पानी बढ़ता चला जाता है। तब इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी परिपेक्ष्य में मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि इन नदियों से पर्वतीय क्षेत्र के वाशिन्दों व कृषकों को बहुत अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे डैम बनवाकर कृषकों के लिये सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। हरिद्वार के समीप कुमाऊं से कोटद्वारा-भावर के लिये कैनाल खुदवाई जाय और खो-बैराज जिसका सर्वे हो चुका है और काफी कार्य भी हो चुका था लेकिन कतिपय कारणों से उसमें अवरोध पड़ा है मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी खोह डैम को अवश्य ही प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दें और जल्द से जल्द पूरा करवायेंगे। कोटद्वार भावर जहां पर नलकूप स्थापित किये जा

रहे हैं और अधिक मात्रा में स्वीकृत भी हुये हैं, यह एक मात्र ऐसा स्थान पौड़ी गढ़वाल में है जहां पर ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं और कुछ ट्यूबवेल बन भी चुके हैं व कुछ प्रस्तावित भी हैं, वहां पर एक रिग मशीन काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां एक अतिरिक्त रिग मशीन भेजकर प्रस्तावित नलकूपों को समय के अन्दर पूर्ण किया जाय। एक बात और कहना चाहूंगा कि इन नलकूपों के रख-रखाव की जो व्यवस्था वर्तमान समय में हो रही है वह बिजनौर से संचालित होती है। बिजनौर वहां से काफी दूर है। कई महीनों तक ट्यूबवेल खराब पड़े रहते हैं और कोई मैकेनिक नहीं पहुंच पाता है इसलिये मेरा निवेदन है कि आप कोटद्वार में नलकूप विभाग का एक एस0 डी0 ओ0 आफिस खुलवा दें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री बलवीर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। पहली बात मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में से तीन नहरें आती हैं लेकिन वहां पर जमीन की सतह नीची है, इसलिये सिंचाई बहुत कम क्षेत्रफल की होती है। ट्यूबवेल का एरिया होने के कारण उस क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है। मैंने पहले भी इस संबंध में मांग की थी कि लिफ्ट करके पानी दे दिया जाय तो वहां के लोगों को बड़ी सुविधा होगी। दूसरी बात यह है कि नहर विभाग के जो नाले बने हुये हैं जैसे भटौरा नाला, जिसमें पिछले साल इस नाले की सफाई हेतु आमरण अनशन भी हुआ था, बहुत कम सफाई हुई। वे नाले वैसे ही भरे हुए हैं। हजारों एकड़ जमीन बरसात में परती पड़ी रहती है। इसलिये मेरी मांग है कि उस नाले की सफाई की जाय। दूसरी बात यह है कि जो आवा नाला है जिसकी 20 साल पूर्व सफाई होनी चाहिये थी उसकी कई दफा मांग करने के बाद भी सफाई नहीं की गयी जिसकी वजह से सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ जमीन पती पड़ी रहती है और बारहों महीने फसल बेकार जाती है। मैं सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसकी सफाई कराई जाय।

रसैनी नाला जिसकी हमेशा सफाई विभाग से होती थी उसकी 7-8 साल से सफाई नहीं हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसकी सफाई की जाय।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे क्षेत्र में पानी का अभाव है। दूसरी तरफ नहर सोख कानपुर में खडीत पुल के पास पिछले 5 साल से खंदी चल रही है जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन बरबाद हो रही है और वह परती पड़ी हुई है जिसका किसान लगान दे रहा है। उससे जानवरों में बीमारी बढ़ रही है इसलिए उस नहर की खंदी जल्दी से जल्दी ठीक किया जाय।

नलकूपों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो नये नलकूप लगे हैं उन पर कम्प्रेसर पूरे समय नहीं चलता है। इसलिये 10, 15 दिन चलने के बाद नलकूप फेल हो जाता है जिससे सिंचाई के काम में बड़ी बाधा पैदा हो जाती है। हमारे क्षेत्र जसराना जनपद मैनपुरी में कम्प्रेसर कम समय चलने की वजह से जो आपने ट्यूबवेल लगाये हैं वे बंद पड़े हैं। काम-

प्रेशर के लिए जो तेल मिलता है वह बेच दिया जाता है। आप हमेशा यह एलान करते हैं कि अक्तूबर तक ट्यूबवेलों की मरम्मत हो जाय लेकिन उनमें नकली पुर्जे लगा कर 8, 10 दिन के लिए चलने लायक हो जाते हैं और फिर खराब हो जाते हैं और पूरी फसल तक खराब पड़े रहते हैं। ऐसा कोई आपका ट्यूबवेल नहीं होगा जो पूरा पानी देता हो जितना उसका डिसचार्ज रिकार्ड में दर्ज है।

आपने अभी माइनर इरिगेशन के अंतर्गत लघु और सीमांत कृषकों के लिए जिनके पास निजी साधन नहीं हैं उनके लिए फ्री बोरिंग की स्कीम चलाई है उसके अंदर इतना करप्शन है कि ब्लाक वाले कम से कम 3 सौ से 5 सौ रु0 तक लेते हैं तब जाकर उनका आदमी बोरिंग करने आता है। दूसरा आगरा मंडल में एक नियम बना रखा है कि आगरा मंडल विकास निगम आगरा के जो पाइप और इंजन खरीदेगा उसे ही छूट दी जायेगी और उसी की फ्री बोरिंग की जायेगी। लेकिन जो पाइप आगरा मंडल विकास निगम आगरा से 50 रुपये मीटर के हिसाब से मिलता है वह बाजार से 35 रुपये में मिलता है और इसी तरह से जो इंजन निगम से 8 हजार में मिलता है वही बाजार में 6 हजार में मिलता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि किसी भी माध्यम से जो इंजन या पाइप खरीदे उसे इसकी छूट होनी चाहिये।

नहर साख भोगनीपुर में सोमई के ऊपर से माइनर निकाल कर वहां सिंचाई की सुविधा दी जाय क्योंकि वहां कई गांव में खारा पानी होने से उगते ही फसल नष्ट हो जाती है इसके बनने से वहां की समस्या हल हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बलवीर सिंह—

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानों की बहबूदी के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तमाम योजनायें लागू की गयी हैं। इस समय भी और निकट भविष्य में भी किसानों की तरक्की के लिए लागू की जायेंगी। हमें यह कहने में गर्व हो रहा है कि जैसे भागीरथ ने अथक परिश्रम करके गंगा को स्वर्ग से जमीन पर उतारा वैसे ही हमारे माननीय मंत्री जी ने तमाम अपने प्रयासों से उत्तर प्रदेश में हरियाली ला दी है। मान्यवर, हमारा पूर्वांचल का इलाका अत्यंत पिछड़ा हुआ है वहां के लोग गरीब हैं, वहां का किसान गरीब है इसका कारण यह है कि उसको सिंचाई की जरूरत थी और वहां सिंचाई के साधन कम मुहैया हुए। मान्यवर, अभी भी तमाम पूर्वांचल की योजनायें विचाराधीन हैं जिन पर शीघ्र काम होना चाहिए ताकि वहां का किसान तरक्की कर सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर अत्यन्त पिछड़े जिले हैं इसलिए वहां के किसानों को जमीन की सिंचाई के लिये सरयू कैनाल परियोजना पर जो धीमी गति से काम चल रहा है, जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है, लेकिन मुझे जानकर खुशी हुई कि उसके लिये 250 करोड़ रुपये स्वीकार किये गये हैं जिससे इस योजना पर तीव्र गति से काम हो सके और वहां के किसान तरक्की कर सकें ।

मान्यवर नहरों के अतिरिक्त तमाम ट्यूबवेल भी लगाये जा रहे हैं, जो विश्व बैंक की सहायता से लग रहे हैं । हमारे क्षेत्र में भी तमाम ट्यूबवेल लगे हैं लेकिन उनमें से बहुत से ट्यूबवेल खराब हैं और बिजली नहीं मिलती है जिससे सिंचाई नहीं हो रही है । इसलिये मैं मंत्री जी से और अधिकारी जो उपस्थित हैं, कहना चाहती हूं कि छोटी मोटी खराबी के कारण जो ट्यूबवेल बंद हैं उनको ठीक कराया जाये जिससे किसानों के जो सपने अधूरे रह जाते हैं वह पूरे हो सकें और अपने खेतों की सिंचाई करके तरक्की कर सकें ।

इन शब्दों के साथ मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

*श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव [समय 4.27] के समर्थन में बोलने के लिये जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने केवल आंकड़ों पर अपना बजट रखा है जिसका मैं विरोध करता हूं । सबसे पहले मैं नलकूप के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र सरोजनीनगर में मंत्री जी ने 42 नलकूपों की लिस्ट दिया है जिसमें कहा है कि 3 खराब हैं और 39 चल रहे हैं । मेरी जानकारी है कि 50 फीसदी नलकूप खराब हैं, जिनमें मैं कुछ के नाम बताना चाहता हूं जैसे सदरोना, हीरहरपुर, सरनवा, अमौसी, दारावनगर, बराकोल, रहीमनगर पड़ियाना, रमदासपुर आदि हैं । जो नलकूप 1977 से 1980 तक जब जनता पार्टी की सरकार थी मंजूर हुये, बोरिंग की गयी लेकिन वह आज तक नहीं बन पाये । इसी तरह से हीरहर पुर गांव में जो नलकूप हैं, जिसकी शिकायत मंत्री जी से किया है, वह आज तक नहीं बन सका है ।

मान्यवर, इसी तरह अब मैं नहरों के संबंध में कहना चाहता हूं कि नहरों में कहीं सीपेज की समस्या है जिससे किसान परेशान हैं और कहीं नहरों में पानी नहीं है । मैं अपने क्षेत्र सरोजनी नगर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जबसे शारदा सहायक बनी है तबसे सरोजनी नगर क्षेत्र पूरा टेल पर है और पानी नहीं पहुंच पाता है सारी नहर सूखी रहती है । मैं चुनाव क्षेत्र के 90 मील पर डिस्ट्रीब्यूटर लगा है जहां से लखनऊ और उन्नाव का पानी बंट जाता है, वहां लखनऊ के इंजीनियर का जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक लखनऊ को पानी नहीं मिलेगा ।

मान्यवर, मैं रहीमनगर पड़ियाना का रहने वाला हूं और सदन को बताना चाहता हूं कि जैतीपुर रजबहा में दो साल से पानी नहीं आ रहा है और इस पर मैंने पत्र लिखा है लेकिन मुझे उत्तर दिया गया जिसमें उस नहर का जिक्र नहीं किया गया है और कहा गया है कि यह उन्नाव खंड में नहर आती है इसलिये वहां के अधिकारियों से बात करें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान लिफ्ट

अध्यक्ष ने आसन का ग्रहण नहीं किया ।

नहर की ओर ले जाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में सई नदी है, जिसमें तीन नहरें हैं। जब मैं ने उसके बारे में प्रश्न किया था तो केवल दो नहरें कल्लन खेड़ा पम्प नहर और लतीफनगर पम्प नहर के बारे में बताया गया था, किन्तु तीसरी नहर बरवलिया के बारे में नहीं बताया गया था। बरवलिया नहर के बारे में मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया था। मीनापुर गांव में जब नहर का पानी चलता है, तो वह फट जाती है और काश्तकारों को पानी नहीं मिल पाता है। एक बात इस संबंध में और है कि बरवलिया नहर से बरवलिया गांव 7 किलोमीटर की दूरी पर है, पर उसका नाम उसी बरवलिया गांव के नाम पर दिया गया है, अतः उसका नाम बरवलिया नहर के स्थान पर मीनापुर नहर होना चाहिए। मैं वहां क्षेत्र में गया था, जब क्षेत्र में पहुंचा, वहां के काश्तकारों ने पानी की दुहाई दी, कहने लगे हमें रोटी दीजिए। अगर हमको ट्यूबवेल मिल जाए तो हमारा सब काम हो सकता है। वहां पर 100 रुपये का आदमी विभाग ने रख रखा है, अधिकारी जब आते हैं उसको भैंस के रूप में समझते हैं (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय हो गया है, अब आप बैठ जाइये, माननीय निर्भय पाल शर्मा जी। (व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप—

इसके साथ मैं इस बजट का विरोध और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री निर्भय पाल शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज सिंचाई बजट पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं सिंचाई मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट तैयार किया और उसे बहुत अच्छे तरीके से पेश किया, वह काबिले तारीफ हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, पानी आता है तीन जगह से, आसमान, जमीन और नदी से। जमीन या नदी से पानी लेने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सिंचाई विभाग की। आज से तीन सौ साल पहले उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में एक लेक बनी थी। वह इतनी अच्छी बनी थी कि आज दिन तक उसमें कोई सीपेज नहीं है, किन्तु क्या आज उसको कोई मान सकता है। मैं चाहता हूं कि सिंचाई विभाग का जो भी काम हो वह इसी तरह का हो। सीपेज की फीगर्स मेरे पास हैं, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा सीपेज उत्तर प्रदेश में है, लेकिन असल बात यह है कि सबसे कम सीपेज उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको इस संबंध में आंकड़े दे रहा हूं, कर्नाटक में करीब 40,028.64, आंध्र में 1 लाख 17 हजार, मध्य प्रदेश में 70 हजार हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 29510 हेक्टेयर, पंजाब में 5,18,266 राजस्थान में 48361 हैक्टर, और तमिलनाडु में 30225 हैक्टर भूमि पर सीपेज की समस्या है, जबकि अपने उत्तर प्रदेश में केवल 26 हजार हैक्टर जमीन पर यह है।

एक सदस्य—

आपके आंकड़े का सोर्स क्या है ?

श्री निर्भय पाल शर्मा--

यह 81-82 का है। हमारी सरकार ने कई प्रकार की बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, जैसे एक योजना मेरे इलाके में बेल्का में है जहां पर नदी में पौल है वहां पर छोटा पावर हाउस बनाने की योजना है। मेरे जिले में एक जमुना कैनाल पर एक बेलरा जगह है, वहां पर सर्वे टीम गई थी, वहां पर 4 मेगावाट बिजली बनाने की बात हुई थी। इसी तरह ट्यूबवेलों के लिए वर्ल्ड बैंक की योजना है, वह भी बहुत अच्छी है। वह इसलिये अच्छी है कि इसमें फीडर अलग बनता है क्लस्टर में इनको बनाते हैं, 25-30 गांवों को लेकर 5-7 मील के रेडियस में बनाते हैं। इनको 24 घंटे बिजली प्राप्त होती है। हमारे जनपद में वर्ल्ड बैंक की कई योजनायें चल रही हैं और बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। कुछ तो माननीय राम सरन जी के इलाके में चल रही हैं।

मान्यवर, इसी तरह से एन0 आर0 ई0 पी0 में पहली बार हमारे जनपद में नालों की सफाई और नालियां बनाने के लिये धनराशि अलग से रखी गयी है। 33 लाख रुपया मंजूर हुआ है। मान्यवर, इसी तरह से लिफ्ट इरीगेशन की योजना भी अच्छी योजना है लेकिन लिफ्ट इरीगेशन की योजना ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा इसकी जरूरत हो। मेरे हल्के में लिफ्ट इरीगेशन की बहुत जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री निर्भय पाल शर्मा--

मान्यवर, हमारे यहां 70-80 गांव ऐसे हैं जहां का लेबिल 150-300 है। वहां पर अगर ईस्ट यमुना कैनाल की साइड पर 4 ट्यूबवेल रखे जायं तो 100 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो सकता है। इन शब्दों के साथ में सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम सागर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि सिंचाई विभाग के बजट पर आपने मुझे अपने सुझाव देने का अवसर दिया। अभी सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि सीपेज की समस्या उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान सीपेज की तरफ दिलाना चाहता हूं। सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, फैजाबाद जनपद में सीपेज की समस्या किसान की जानलेवा समस्या बन गयी है। मान्यवर, सीपेज का प्रभाव किसानों पर, गांव वालों पर इतनी बुरी तरह से पड़ा है कि कई कई किलोमीटर के इलाके में सारे के सारे पेड़ सूख गये हैं और घरों की दीवारें गिर गयी हैं।

मान्यवर, जहां पर खाना बनाने के लिये आग रखते हैं वहां सीपेज के कारण रोटी नहीं बन पाती है आग बुझ जाती है। सीपेज की समस्या के निदान के लिये जब कभी भी सदन में कोई बहस चली तो माननीय मंत्री जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से कह दिया कि हमें बहुत चिंता है, हम इसका समाधान कर रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी 6 साल से सिंचाई विभाग का बजट पेश कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उन्होंने 6 साल में कितने सीपेज की समस्या का समाधान किया है। जब मंत्री जी उत्तर दें तो अपने उत्तर में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बतायेंगे । हमारे जनपद में सीपेज समस्या के बारे में एक गोष्ठी भी हुयी थी और उसमें कहा गया था कि सीपेज समस्या के निदान का एक उपाय है कि नहर की तली को प्लास्टिक से बनाया जाय या उसकी तली पक्की बनायी जाय इसके अलावा और कोई दूसरा समाधान नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि अपने प्रदेश सरकार के माध्यम से या केन्द्र सरकार के माध्यम से कोई योजना बनायी है या नहीं । आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं । क्या आप चाहते हैं कि सीपेज का निदान हो या नहीं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वह जवाब देने लगें तो बतायें कि सीपेज की समस्या के निदान के बारे में क्या करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं नहरों के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नवाबगंज रजबहा नाम की एक नहर है, उसकी मध्यावां, बेलावां, असन्दरा, धनौली, मदारपुर माइनर हैं, इस साल पिछले मार्च के महीने में वर्क आर्डर से काम कराया गया, सफाई कराने के लिए और सफाई का काम हुआ और जितना सफाई का काम हुआ, उसके वर्क आर्डर का काम जिस ठेकेदार ने लिया था, पैसा पेमेंट कर दिया गया, लेकिन उसी ठेकेदार के साथ एक ऐसा आपके विभाग का ठेकेदार था, जिसे 5-5 हजार के फर्जी वर्क आर्डर का पेमेंट इन्हीं माइनरों पर कर दिया गया, जबकि उसने उन नहरों का कोई काम ही नहीं कराया था । इस प्रकार से 90 हजार रुपये के गबन का फर्जी काम कराने का मामला मैंने आपको लिखा था, उसमें हमारे क्षेत्र के कम से कम 20 आदमियों ने जाकर बयान दिया है कि कार्य फर्जी है और यह आरोप प्रमाणित है, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, मैं तो यह कह रहा हूं कि सिंचाई विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है । अगर इसी मामले को ले लें, तो बात साफ हो जायगी । इन शब्दों के साथ मैं अपना सुझाव देते हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम सकल तिवारी—

मान्यवर, मैं इस प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं, जो विगत 30 वर्षों से बाढ़ के चपेट से हमेशा परेशान होता रहा है । मेरे देवरिया जिले के सेवरही निर्वाचन क्षेत्र के 72 गांव जो हमेशा बाढ़ से तबाह रहते थे, इस वर्ष उस क्षेत्र में बाढ़ का कोई प्रकोप नहीं हुआ । यह सिंचाई विभाग की सफलता का और उसके सराहनीय कार्यों के कारण ही हुआ है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ है ।

श्री राम सकल तिवारी—

ईश्वर की कृपा पहले भी रहती थी, लेकिन इस वर्ष संकट बिन्दु को गंडक नदी पार कर गयी है, फिर भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की सतर्कता के कारण तथा बंधा की मरम्मत हो जाने के कारण बाढ़ नहीं आ पाई है । हमारी सरकार ने बिहार सरकार पर दबाव डाल कर बिहार बंधे को बनवाया है एवं सहयोग किया है । मबुबनी और पिपरासी के बंधे

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

के गैप को बन्द कर दिया गया है, जिससे गंडक का पानी बांसी नाले में नहीं आ पाया है और इसी वजह से बाढ़ नहीं आई। वहां पर दिन-रात अंचरसियर और इंजीनियर लगे हुए थे इस वजह से बाढ़ नहीं आई। माननीय मंत्री जी जो हमारे ही जिले के बगल के रहने वाले हैं उस क्षेत्र के बारे में उनको भी जानकारी है, मैं केवल यह कहूंगा कि उस क्षेत्र के संबंध में जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वह क्षेत्र ऐसा है जो बरबाद हो चुका है, जहां लोगों के दरवाजे के सामने 30 फीट, 60 फीट के गढढे बाढ़ की वजह से बने हुए हैं, जो गत वर्ष बाढ़ आई थी, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जो वहां पर काम किया है वह सराहनीय है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

दूसरी चीज मैं यह बताना चाहता हूं कि गण्डक परियोजना सन् 1966 में आरम्भ की गई 1972-73 से वहां सिंचाई का कार्य शुरू हुआ है। मान्यवर, 100 करोड़ रु0 व्यय हुआ और 100 करोड़ रु0 व्यय होने के बाद 30 करोड़ रुपया लैण्ड रेवेन्यू के रूप में वसूल किया जा चुका है, जो लक्ष्य रखे थे उसमें रबी का 15 लाख कुन्टल धान का लक्ष्य था। इस गण्डक परियोजना के माध्यम से लगभग 13 लाख कुन्टल धान की फसल और 11 लाख रबी की फसल का लक्ष्य पूरा हो चुका है। जो 21 ब्लाक देवरिया के हैं बिहार के जो आते हैं उनको छोड़कर

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मैं इस बात को नहीं भूलना चाहता कि जब यह परियोजना नहीं शुरू हुई थी, तो सिंचाई उपलब्ध नहीं थी। उस वक्त प्रदेश की आबादी आठ करोड़ के करीब थी, तो उस समय हर व्यक्ति को भरपेट खाना और कपड़ा मिलना मुश्किल था, लेकिन अब जब 12 करोड़ की आबादी है तो हर आदमी को खाना मिल रहा है। हर आदमी को कपड़ा मिल रहा है सिर्फ खेती के बल पर।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें।

श्री रामसकल तिवारी—

मान्यवर, माइक की तलाश में दो मिनट लग गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे यह जितनी आलोचना करें जेहन आपका है, जुबान आपकी है लेकिन एक वास्तविकता है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। हम लोगों को और सब लोगों को याद है कि आज उत्तर प्रदेश में जो क्रय केन्द्र खुले हुए हैं, वहां काश्तकारों की लाइन लगी रहती है गल्ला बेचने के लिए।

श्री अधिष्ठाता—

आब माननीय तिवारी जी, समाप्त करें। मैंने वर्मा जी को बुला लिया है। वर्मा जी आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। पांच बजे चर्चा समाप्त करनी है

(व्यवधान)

श्री रामसकल तिवारी—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो सिंचाई का बजट पेश किया गया है उसकी समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण बजट है मैं चाहूंगा कि इसका समय और बढ़ा दिया जाए और माननीय सदस्यों को दस-दस मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाए। चाहे इसमें समय जितना लगे। क्योंकि दो मिनट में बात नहीं हो पायेगी।

(सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री विजय सिंह राणा—

मेरा सुझाव है माननीय नेता जनता पार्टी के साथ-साथ मैं भी यह कहना चाहूंगा कि जो चर्चायें हैं उसको स्थगित कर दें और इस बजट पर चर्चा का टाइम बढ़ा दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं हर डिवीजन की मीटिंग कर रहा हूं मेरठ, फैजाबाद और आगरा की मीटिंग कर चुका हूं उसमें हर मेम्बर को बोलने का मौका मिलता है।

(व्यवधान)

[x x x]

श्री अधिष्ठाता—

आप सब लोग एक साथ खड़े होकर बोल रहे हैं। आप लोग बैठ जायं। मेरी बात सुन लें। माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। मैंने उनको सुना, संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद मैं अपनी बात कहूंगा। मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं। हर माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहता है। मेरे पास बहुत पर्चे रखे हैं, उसमें यह भी लिखा है कि मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। बोलना भी चाहते हैं और ट्रेन का टाइम भी हो रहा है।

(व्यवधान)

ऐसे कैसे काम चलेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

सदन की कार्यवाही इस तरह नहीं चला करती है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

सदन की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा। आप मुझे सुन लें।

*कौशिक रमा शंकर—

समस्या यह नहीं है। आपने जो आदेश दिया है वह सही है। माननीय रेवती रमण सिंह ने जो प्रस्ताव किया है, उस पर आप अपना निर्णय देंगे। यहां समस्या यह उठ गई कि माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जिस तरह से रोषपूर्ण ढंग से इंगित करते हुए, माननीय सदस्यों को गलत ढंग से सम्बोधित किया है, उस पर एतराज है। मैं सिंचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि गुस्से में नहीं हंस कर बात करें।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी मुस्करा कर कह दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

जो बात हमारे नेता को सम्बोधित करते हुये कहा है, जब तक उसके लिये सिंचाई

नोट—[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री खेद नहीं व्यक्त करेंगे, मैं सदन नहीं चलने दूंगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं तो एक सुझाव दे रहा था कि मैं जो डिवीजन्स में मीटिंग कर रहा हूं, माननीय सदस्यों को बोलने का वहां बहुत मौका मिलता है । अभी यह मीटिंग 3 जगह की है और बाकी हर जगह कर रहे हैं यह बताया था लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नाराज हो गये ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन की मंशा को समझ रहा हूं लेकिन समय 5 मिनट बोलने का रहेगा ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर मैंने दूसरी बात कही थी । मान्यवर, सिंचाई की मदों के ऊपर चर्चा का समय बढ़ा दें और अन्य जो चर्चायें हैं उन्हें स्थगित कर दें । वह किसी दूसरे दिन हो जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं सबेरे से देख रहा हूं कि जब भी कोई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सिंचाई मंत्री जी गुर्राकर उसको प्रताड़ित करने की दृष्टि से बोलते हैं । श्रीमन्, अभी थोड़ी देर पहले समय बढ़ाने के लिए माननीय नेता जनता पार्टी ने कहा, उस पर माननीय सिंचाई मंत्री जी खड़े हुए और उन्होंने गलत तरीके से नेता को इंगित किया और गलत शब्द भी कहे । मान्यवर, सिंचाई मंत्री अपने किये हुए काम पर खेद व्यक्त करें और जब तक खेद व्यक्त नहीं करेंगे हम लोग खड़े रहेंगे और सदन नहीं चलने देंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

आप यह बता दें, शायद मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि क्या गलत शब्द प्रयोग किये गये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

इन्होंने कहा कि चुप रहिए, बैठ जाइये आप ।

श्री अधिष्ठाता—

आप हमारी बात सुन लें । माननीय सिंचाई मंत्री ने कोई बात कही, उस पर श्री चौधरी जी ने कोई बात कही । इससे पहले कि मैं इस पर अपनी व्यवस्था दूं, उससे पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुन लें ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक प्रस्ताव माननीय नेता जनता पार्टी ने रखा था । अन्य माननीय सदस्यों ने भी उस पर अपने विचार प्रकट किये । मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता था । मान्यवर, यह प्रस्ताव रखने की कोई बात नहीं थी । जो भी क्रम आप तय करेंगे उसी क्रम से चलेगा । यदि आप 10 बजे तक पीठासीन रहेंगे तो 10 बजे तक सदन चलेगा । उसमें कोई औपचारिक प्रस्ताव आने की आवश्यकता नहीं थी । मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने कुछ कहा, हम सुनते रहे, सुनने के लिए हम बैठे भी हैं । मैं बहुत ही अपने वरिष्ठ सदस्य माननीय चौधरी से कहना चाहता हूं कि सुबह से लगभग एक दर्जन बार यह कह चुके कि हम सदन नहीं चलने देंगे । मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवा कर देख लीजिए ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इस तरह से कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर यह कह दें कि सदन नहीं चलेगा तो क्या मान्यवर, पूरे सदन को ब्लैक मेल करने का अधिकार एक व्यक्ति को हो गया है। ऐसा अधिकार न आपको है न मुझे है। मान्यवर, आपने एक बात कह दी, माननीय सिंचाई मंत्री जी के लिए कि इन्होंने कहा चुप रहिए और बैठ जाइये, यह तो आपको असंसदीय लगा। और आप लोग खड़े होकर न माननीय अध्यक्ष की सुनते हैं और न अधिष्ठाता महोदय की सुनते हैं। बैठने के लिये कहा जाता है, बैठते नहीं हैं। सारा प्रकरण आपके सामने है। मैं निहायत दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि केवल 2-4 सम्मानित सदस्यों ने इस सम्मानित सदन को अपना घर बना लिया है और उसकी कार्यवाही को चलने नहीं देते। मैं आपसे सहयोग के लिये आग्रह करते हुए चाहता हूं कि कृपया इस सदन को सदन रहने दें और यह न सोचें कि सदन को चलने नहीं देंगे।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अपनी बात कही, वह सिद्धांततः सही है। सदन नहीं चलने देंगे, ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिये। ऐसी बात कहने की नहीं है। लेकिन इसमें प्रश्न यह है कि माननीय सिंचाई मंत्री को भी अपने शब्दों को ऐसे लहजे में और आक्रोश के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिये था। इसे मानने में क्या बात है, इसको स्वीकार कर लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर कोई बात नहीं करनी चाहिये। किसी विषय पर किसी बात पर दो रोज पहले चोट लग गयी हो, तो उसका इजहार यहां पर नहीं करना चाहिये। आज सुबह तकलीफ हो तो परसों इजहार नहीं करना चाहिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राम गोविन्द चौधरी जी या अन्य कोई सदस्य किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। राम गोविन्द चौधरी जी व्हाइट मेल हैं, ब्लैक मेल नहीं। यह सदन किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। इसे कोई सदस्य अपने घर की संपत्ति नहीं बना सकता। कोई उत्तेजना थी तो सम्मानित सदस्य ने खड़े होकर कह दी। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम न किसी को ब्लैक मेल कर रहे हैं और न किसी ने इसको घर की संपत्ति बनाया है।

श्री अधिष्ठाता—

एक तरफ यह चिंता है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है कि अधिकतम समय इसमें देना चाहते हैं, सब इसमें कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। यह सही है कि यह सदन न किसी की संपत्ति है और न किसी के इशारे पर यह चलता है। इसकी सम्पूर्ण कार्यवाही नियमों से चलती है। अध्यक्ष पीठ की भी शक्ति नियमों के तहत ही है। यह भी सही है कि हमको कभी भी किसी बात को दूसरी नजर से भी देखना चाहिये। शंका नहीं करनी चाहिये। राम गोविन्द चौधरी जी ने जो बात कही, तो मैं उनको तीन टर्म से देख रहा हूं। पिछले टर्म से वह वीर बहादुर सिंह जी को भी देख रहे हैं। वे गम्भीर व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या बात कही, मेरी गलती है कि मैंने उस समय

उस बात को पकड़ा नहीं । मुझे अधिक ध्यान देना चाहिये था । मैं कार्यवाही को देख लूंगा कि उन्होंने कौन सा शब्द कहा था, लहजा क्या था, यह तो कार्यवाही से नहीं पकड़ा जा सकता, शब्द को देख लूंगा और यदि किसी सदस्य के लिये चुनौती देने वाले शब्द हैं तो उनको कार्यवाही से निकाल दूंगा । सदन की इस भावना को समझते हुए कि सब लोग अधिक से अधिक इस विषय पर बोलना चाहते हैं, सब लोग शांति से रहें । मेरी भी सीमाएं हैं । मेरे पास न जाने कितने लोगों ने पर्चियां भेजी हैं । विभिन्न दलों के सचेतकों और मुख्य सचेतक की बात का भी सम्मान करना है । सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिये नियमों से भी बंधा हूं । मेरे ऊपर दया करें और सदन की कार्यवाही संचालित करने दें ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

श्रीमान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपना जो बजट भाषण शुरू किया वह दूसरों की कमाई की उपलब्धि से शुरू किया कि अन्न इतना पैदा हुआ इतनी पैदावार बढ़ी इसमें सिंचाई का कितना योगदान रहा, इसके बारे में चर्चा शुरू करते तो मजा आता कि आपने अपने प्रयासों से इतना अन्न का उत्पादन बढ़ाया जो सिंचाई विभाग से संबंधित दिग्दर्शक पुस्तिका उपलब्ध की है उसमें स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई के मामले में राज्यवार चौथे नम्बर पर आता है । आबादी के हिसाब से पहले नम्बर पर आता है । सिंचित एरिया जितना है, उसकी आप छोटे से राज्य हरियाणा से तुलना कर लें, तो पता चलेगा कि हरियाणा का औसत हमसे कहीं ज्यादा है पंजाब का औसत हमसे ज्यादा है ।

जल के दो स्रोत हैं एक ऊपरी सतह का पानी दूसरे भूगर्भ । भूगर्भ का स्रोत घटता जा रहा है । आपके भूगर्भशास्त्रियों की जो रिपोर्ट है उसमें यह आ रहा है वह साधन घटते जा रहे हैं । जितने नलकूप आपने बनाये उनका डिस्चार्ज वाटर लेबिल नीचे जा रहा है । यह चिंता का विषय है । जो पानी आप नदियों से लेते हैं, पानी कितना इस्तेमाल खेत पर करते हैं, इस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए । जो ही छीजन होता, नहर तक सूख जाता है, जितना टोटल होता है, उसका 12 परसेंट व्यर्थ चला जाता है । 7 प्रतिशत आकस्मिक रूप से नहर आदि के कट जाने में निकल जाता है । इसलिये यह निवेदन करूंगा कि राजकीय संसाधनों से उपलब्धि का जो बात है, कुल सिंचित एरिया की बाबत, आप 53.09 एरिया ही सिंचित कर पाये हैं जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा रही है । जितना सिंचित इलाका है, आपका वह केवल छोटा भाग है, आधे से ज्यादा भाग किसान अपने संसाधनों से सींचता है उस उपलब्धि को आप अपनी उपलब्धि कहते हैं । यह बड़ी भारी दुर्भाग्य है सिंचाई विभाग का ।

पूरे सिंचाई महकमे में ट्यूबवेल मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं नलकूप डिवीजन से आप डिल डिवीजन में चले जाएं लाखों लाखों की मशीनें बेकार पड़ी हैं । मशीनें आयीं अब तक उनके और पार्ट्स आ गये हैं तब तक उन्हें बेकार घोषित कर दिया जाता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । इतना बड़ा भ्रष्टाचार हैं आप जैसे मंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार से अलग हैं डिपार्टमेंट ।

मान्यवर, आगरा नहर में डेढ़ साल से स्क्रिन टूटा हुआ हैं, उत्तर प्रदेश को आगरा नहर से जितना पानी मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा हैं । डेढ़ साल से उसे ठीक नहीं किया जा रहा हैं एक अधिकारी की वजह से । राव वीरेन्द्र सिंह जी की वजह से सारा ध्यान हरियाणा के पानी में लगा हुआ हैं । आगरा नहर जो पार्क के पास खत्म होती हैं, उसके पास की जगह को आपके अधिकारियों ने बेच दिया हैं दयालबाग से जगनपुर तक नहर खारिज हो चुकी हैं उसे आपके अधिकारियों ने बेच दिया हैं दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल मालिक की वजह से । आप कह रहे थे कि आरोप मत लगाइये, लेकिन मैं सच्चाई आपके समक्ष रखना चाहता हूं मान्यवर, इन्होंने दिल्ली के एक होटल मालिक की वजह से अपने यहां दो प्रमुख अभियंताओं के पद विगत वर्ष से सृजित कर दिये हैं, कहीं दो प्रमुख अभियंता नहीं हैं । एक होटल मालिक की वजह से अग्रवाल साहब को आपने प्रमुख अभियंता बना दिया । उन्होंने अपने विभाग में जाति-वाद फैला दिया हैं और एक अजीब सी स्थिति पैदा कर दी हैं । मेरठ मण्डल में जो अभियन्ता हैं, वह सारा का सारा पानी हमारे यहां का ले लेते हैं, परन्तु उनके ऊपर आपका कोई अंकुश नहीं हैं । मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को पानी चला जाता हैं ।

आपके जो नलकूप हैं, उन सबका जल स्तर नीचे चले जाने के कारण मशीन खराब होने के कारण और ट्यूबवेलों की नालियां टूट जाने के कारण, आपका जो नलकूप का महकमा हैं, वह बेकार हो गया हैं । 70 फीसदी नलकूप खराब पड़े हुए हैं । नलकूपों में जो सामान लगता हैं, वह पहले से ही स्टोर से चोरी चला जाता हैं । जल भण्डारण की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा हैं । जितनी वर्षा बरसात में होती हैं, उस पानी को सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और बिजली के लिए इकट्ठा किया जाना चाहिए, जो बहुत ही उपयोगी हैं । लेकिन आज प्रदेश में और देश में उसकी क्षमता भी घटती जा रही हैं ।

मेरा निवेदन हैं कि जल भण्डारण के स्रोतों को बढ़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी । जहां आपकी नहरें हैं, वहां पानी नहीं आता हैं । जैसे सामिल बरहा आबसी हैं । गूल इनकी पानी दूसरों का । इसी प्रकार आप नलकूप की भी आबसी करते हैं । नलकूप आपका और पानी आता हैं दूसरे का जबकि यह आपके आंकड़े में नहीं आना चाहिए । आपके जो आंकड़े हैं, वे सब झूठ हैं । किसान को 300 एकड़ के लिए पानी चाहिए, परन्तु आप देते हैं 50 एकड़ के लिए पानी, लेकिन आप दर्शायेंगे 300 एकड़ । इस प्रकार के तो आपके आंकड़े हैं ।

आपके महकमे में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं । आपने जो रवैया अपना रखा हैं वह आक्रामक रवैया अपना रखा हैं । आपके नीचे भ्रष्टाचार की गंगा और बैतड़ह बह रही हैं और आप उस पर परदा डाल रहे हैं । माननीय सदस्यों ने आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं । मैं चाहूंगा कि आप इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें, जो इन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करे । यदि आप में नैतिक हिम्मत हैं तो आप इसे बनायें और जो आरोप आपके ऊपर लगाये गये हैं उनकी जांच करवा कर दूध का दूध और

पानी का पानी करें। आपने जो आतंकवादी रवैया लेकर सदन में माननीय सदस्यों को आतंकित करने का काम किया है, वह शोभनीय नहीं है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने आतंकवादी रवैये का इस्तेमाल किया है। मैं कभी आतंकवादी नहीं रहा।

श्री सीताराम निषाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रधानमंत्री के नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सिंचन क्षमता को बढ़ाने का सबसे पहला कार्यक्रम है। आज इस माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पहले सूत्र को इस विभाग के द्वारा अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करके सिंचाई क्षमता को बढ़ा करके इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण काम किया है।

मान्यवर, इस प्रदेश में बहुत सी नदियां पाई जाती हैं और नाले पाये जाते हैं। प्रदेश के अधिकांश भाग जल-प्लावित क्षेत्र हैं और बाढ़ की विभीषिका से पीड़ित रहते हैं। इस संबंध में बाढ़ नियंत्रण करने के लिए जितने धन की आवश्यकता हमारे प्रदेश में है, उतने धन की उपलब्धि नहीं है। जैसा कि भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सौ करोड़ रुपया मांगा था लेकिन योजना आयोग ने केवल 260 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी और उसमें से उत्तर प्रदेश सरकार को जितना पैसा 21 करोड़ का मिला उसमें भी सिंचाई विभाग को केवल 14 करोड़ रुपया दिया गया। यह धनराशि बहुत कम है। इतनी कम धनराशि से उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण का काम सफल ढंग से नहीं किया जा सकता इसलिए इस बजट का समर्थन करते हुए मैं यह भी मांग करता हूं कि उस धनराशि को और बढ़ाया जाय।

बाढ़ कार्यों के रख रखाव के लिए इस प्रदेश में हर साल केवल एक करोड़ 39 लाख रुपया सिंचाई विभाग को मिलता है। यह धनराशि भी बहुत कम है। जो भारत सरकार का मानक है उसके अनुसार हर साल कम से कम 10 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। इतनी कम धनराशि होने की वजह से बाढ़ सुरक्षा ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। इसलिए यह भी मांग करता हूं कि सिंचाई विभाग को हर साल भारत सरकार के मानक के अनुसार अधिक से अधिक धनराशि दी जाय जिससे बाढ़ सुरक्षा का, उसके रख रखाव का कार्य किया जा सके।

मान्यवर, नलकूपों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर यह नलकूप लगाये गये हैं उनकी खराबियों को दूर करने की जो व्यवस्था है, उसमें नलकूप चालक जो कार्यरत हैं, उन्हीं को प्रोन्नति दे कर मिस्त्री बना दिया गया है। इनको इसका ज्ञान नहीं होता है कि उसे कैसे ठीक किया जाय और अधिकांश नलकूप इसी लिए खराब रहते हैं। मेरा यह सुझाव है कि सिंचाई विभाग इस पर गम्भीरता से सोचे। 5 लाख रुपये एक नलकूप के निर्माण पर खर्च होते हैं, उसके रख रखाव की आवश्यकता को देखते हुए चूंकि यह एक तकनीकी काम है इसलिए मिस्त्रियों का एक कैडर तैयार किया जाय जो नलकूपों के रख रखाव को देखें और उनकी गड़बड़ियों को ठीक करें।

मुझे विश्वास है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी इस सम्बन्ध में अवश्य विचार करेंगे। सिंचाई विभाग के बांध, बंधिया, जलाशय व रिजर्वायर मछली के शिकार व नौका संचालन के लिए नीलाम करके पूंजीपति ठेकेदारों को सिंचाई विभाग द्वारा ठेके दिये जाते हैं।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मल्लाह जाति के लोग, मछुआ समुदाय के लोग, जिनकी परम्परागत से मछली के शिकार व नौका चालन पर उनकी जीविका निर्भर है, जिस प्रकार राजस्व विभाग व जिला परिषद् ने नया कानून बना कर शासनादेश जारी करके मल्लाहों की सहकारी समितियों को पट्टे देने का, प्राविधान करके पट्टा नीलामी प्रथा को समाप्त किया है उसी प्रकार यह सिंचाई विभाग नीलामी प्रथा को समाप्त करके मल्लाहों की सहकारी समितियों को पट्टा देने का शासनादेश जारी करे। अतएव मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी करने की घोषणा की जाय।

अन्त में मेरी यह मांग है कि फैजाबाद जनपद की मड़हा (तमसा) नाला, बिसुही नाला व मझुई नाला की जल निकासी योजना की स्वीकृति देकर तथा इन नालों की खुदाई व सफाई के लिए धनराशि की व्यवस्था करके सैकड़ों गांवों को बाढ़ व जलप्लावन से बचाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, मैंने मंत्री जी के भाषण को सुना और मंत्री जी ने अपने भाषण में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति के बारे में कहीं भी नहीं बतायी। उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन सी परियोजनाएं अपूर्ण हैं और वह कब तक बन जायेंगी। इसके साथ-साथ जितनी भी उनकी प्रगति हैं, योजनाएं हैं, वह अधिकतर केवल कागज पर ही तैयार रहती हैं। यह सही बात है कि इनके मद पर होने वाला व्यय प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, लेकिन सिंचाई की बात तो अलग रही गांवों में पीने के लिए पानी भी मुहैय्या नहीं हो पा रहा है।

मैं मंत्री जी का ध्यान बुन्देलखण्ड की ओर ले जा रहा हूं। मान्यवर, दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा बुन्देलखण्ड में सिंचित क्षेत्र के आंकड़े आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखूंगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में 4564 हेक्टेयर जमीन सिंचित है, मध्य क्षेत्र में 1552 हेक्टेयर जमीन सिंचित है, पूर्वी क्षेत्र में 3099 हेक्टेयर जमीन सिंचित है, जबकि बुन्देलखण्ड में केवल 446 हेक्टेयर जमीन सिंचित है। सिंचित हुई जमीन, जो बुआई के काम में आती है, उसके भी आंकड़े हैं। बुन्देलखण्ड की तुलना में मैं विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े दे रहा हूं। सिंचित बुआई का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में 75.2 प्रतिशत है, मध्य क्षेत्र में 51.9 प्रतिशत है, पूर्वी क्षेत्र में 55.4 प्रतिशत है, जबकि बुन्देलखण्ड में केवल 24.3 प्रतिशत है। इस बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है बुन्देलखण्ड की पूरे प्रदेश की तुलना में उपेक्षा की है और बुन्देलखण्ड से सौतेला व्यवहार किया है। उन्होंने अपने भाषण में केवल झांसी, हमीरपुर का नाम लिया है बाकी किसी भी बुन्देलखण्ड के जिले का नाम नहीं लिया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में खुद कहा है कि बुन्देलखण्ड सबसे बड़ा सूखा प्रभा-

वित्त और असिंचित क्षेत्र हैं, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बुन्देलखण्ड के लिए, बांदा जनपद ललितपुर के लिए, जालौन के लिए कोई बड़ी योजना, इस पंचवर्षीय योजना में नहीं रखी है, जिससे वहां पर सिंचाई सुविधा ज्यादा अच्छे ढंग से हो सके। इसके साथ-साथ बुन्देलखण्ड की एक विकास सलाहकार समिति बनी है, जिसकी बैठकें भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती हैं। हम लोग वहां की सिंचाई समस्या पर, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या सिंचाई मंत्री जी हों, सबका ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जो हम लोग सिंचाई समस्या पर अपने विचार देते हैं, उसमें से एक भी आज तक लागू नहीं हुआ।

बांदा जनपद की नरैनी तहसील की तरफ ध्यान ले जा रहा हूं। माननीय मंत्री जी भी देख लें कि एक भी सरकारी नलकूप वहां पर नहीं लगा है। भसोनी पम्प कैनाल पर 8 वर्षों से कई लाख रुपयों की लागत से काम शुरू हुआ था, लेकिन बन्द हो गया। लाखों रुपया लगाने के बाद भी अधूरा निर्मित कार्य पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि भसोनी पम्प कैनाल योजना को पूरा करायें।

बदौंस, फतेहगंज ऐसा क्षेत्र है, जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। मैं चाहूंगा कि बान गंगा और कड़ैली नदियों में चैक डैम बनवाये जायं।

रंज, गर्रा और केन नदी के किनारों का विद्युतीकरण कराया जाय ताकि किसान अपने निजी मोटरों से सिंचाई कर सकें।

रसिन बांध का निर्माण कराया जाय एवं पंचनपुर बांध की क्षमता बढ़ाकर सिंचाई क्षमता में वृद्धि की जाय।

विन्ध्याचल पम्प कैनाल पिछली पंचवर्षीय योजना में पास की गयी थी, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उसको जल्द पूरा किया जाय।

रनगवां, गंगऊ, बरियारपुर बांध मध्यप्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसका निर्माण कराया गया है, किन्तु मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को केवल 36 प्रतिशत पानी दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि आगामी आने वाले सालों में पूरा पानी बन्द कर देंगे। मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे और इस समस्या का निदान करें।

श्रीमती शशि शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं और सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करती हूं और विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो किसान हैं उनके लिए सिंचाई एक बहुत ही आवश्यक चीज है और इसी के जरिये से हमारे क्षेत्र में हरित क्रांति आयी है। हमारे यहां गण्डक परियोजना लागू है उसके द्वारा किसानों के खेतों में बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। पहले जिन लोगों को खाने को नहीं मिलता था वह आज प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा कर रहे हैं।

मान्यवर, सिंचाई के लिए पानी का बहुत महत्व है, कई बार ऐसा होता है कि नहरों में जब पानी की आवश्यकता होती है तो वहां मिट्टी की खुदाई होती है और जब नहरों में बहुत पानी आता है तो खेतों में बाढ़ आ जाती है। हमारे यहां झरही खण्डा में गण्डक की शाखायें

मिलती हैं जिसके किनारों पर पानी इकट्ठा हो जाता है और इसके कारण बाढ़ की सी स्थिति पैदा हो जाती है। मेरा निवेदन है कि इन नहरों की शाखाओं के किनारों को वर्ल्ड बैंक की सहायता से पक्का बनवाया जाय।

सिंचाई के साधन के रूप में जो नलकूप और नहरें हैं इन पर जो कर्मचारी पड़ताल का काम करते हैं, वह ठीक से नहीं करते हैं, जिससे कि गरीब किसान का नुकसान होता है। उनके खेतों में पानी नहीं जाता है लेकिन पड़ताल में उनके नाम कागज पर आ जाते हैं, इसको देखने की आवश्यकता है।

हमारे क्षेत्र में जो रजवहा है वह बहुत ऊंचा है इसलिए उसकी सफाई कराने की आवश्यकता है जिससे कि दुधही क्षेत्र की सिंचाई ठीक से हो सके। हमारे यहां का दुधही क्षेत्र बंजर इलाका है, वहां के लिए विश्व बैंक की सहायता से नहर का निर्माण कराया जाय और नलकूप की भी सुविधा प्रदान की जाय।

इसी प्रकार से फाजिलनगर में वहां का जो क्षेत्र है तो वहां पर केवल पिछले 2 वर्षों में केवल एक नलकूप लगा हुआ है। हमारे यहां दुधही क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय और इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि नलकूप की देखरेख के लिए जो कर्मचारी नियुक्त हैं वे मौके पर जाकर मुआइना किया करें ताकि नहरों में जो अव्यवस्था है और सफाई आदि कामों की आवश्यकता समय-समय पर पड़ती है, रास्ते बन्द हो जाते हैं, उसको दिखवा कर वे उसे ठीक कराने की व्यवस्था करा सकें। इसके साथ ही मैं सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

[समय 5-25]

*श्री आँसान सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि जो आपने मुझे सिंचाई के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया। मान्यवर, सिंचाई विभाग के बारे में जितनी आलोचना की जाय वह कम है। मान्यवर, यह विभाग तो इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि उत्तर प्रदेश की 85 फीसदी जनता का यह प्राण है। किसानों को खेती के लिए खाद, बीज और पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें पानी सबसे ज्यादा आवश्यक है। लेकिन मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी ट्यूबवेल बने हुए हैं, आप इस बात की जांच करवा लें कि 25 प्रतिशत आज आपके ट्यूबवेल चालू नहीं हैं। मान्यवर, यही नहीं, आपके किसी ट्यूबवेल पर नाली नहीं है, किसी पर बिजली नहीं है, किसी पर आपरेटर नहीं है और यदि आपरेटर है तो मोटर नहीं है। यह स्थिति आपके ट्यूबवेलों की है। मान्यवर, हम तो यह कहते हैं कि अगर आपके विभाग को इतना पैसा दिया जाता है, इसका 50 प्रतिशत भी अगर पांच वर्ष में खर्च कर दिया जाय तो सारी नालियां पक्की हो जायेंगी। सारे सरफेस रोड पक्के हो जायेंगे और सभी नहरें पक्की हो जायेंगी। लेकिन मान्यवर, मेरी चुनौती है कि यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैसा आपका 25 फीसदी भी धरातल पर खर्चा नहीं होता है, अफसर खा जाते हैं, इंजीनियर खा जाते हैं, चीफ इंजीनियर खा जाते हैं मेरी चुनौती है कि कोई भी चीफ इंजीनियर कोई भी अधीक्षण अभियन्ता जिस समय दौरे पर जाता है आप पता लगा लें और आप लौटते समय उसकी सर्च कर लें तो उसके पास लाख 2 लाख रुपया मिलेगा और 2—4 टीन देशी घी उसकी कार में मिलेगा ।

मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं, मेरी चुनौती है कि जितने भी माइनर जितने भी नाले हैं, किसी की भी सफाई नहीं हुई । 5 वर्ष के अन्दर आपके विभाग का जो भी मेन्टीनेन्स का पैसा है, एक भी पैसा किसी माइनर में किसी नाले पर सफाई में नहीं लगाया गया । मैंने नियम 56 में भी सूचना दी थी, मान्यवर, नियम 301 में भी दी थी दुर्भाग्य से मेरी सूचना स्वीकार नहीं हुई । मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

सूचना इसलिए नहीं स्वीकार हुई क्योंकि आपको अपनी बात रखने का मौका था ।

श्री औसान सिंह—

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि किसी भी माइनर, नाले की सफाई नहीं हुई है । माइनर सफाई न होने से नाले की शक्ल में हो गये और जो नाले थे वह जमीन के लेवल में आ गये ।

श्री हरदेव—

आपके भाई भी इन्जीनियर हैं क्या ?

श्री औसान सिंह—

तो इसमें मान्यवर, जो आपके विभाग की रिपोर्ट है इसमें दिया हुआ है कि आपके नालों की क्या स्थिति है । नाडियाई नाला, सबहद नाला, उसरहा नाला, मल्हौसी नाला, बरौली जरिचापुर नाला जो हैं इन नालों के बंधे काट दिये गये हैं, जंगल घास (बेहया) काट दी गयी है । कहीं मिट्टी नहीं साफ हुई है । तो मेरी यह चुनौती है कि आप चाहे इन्टेलीजेंस से जांच करा लें । 5 वर्ष से एक भी पैसा आपका खर्च नहीं हुआ है, यह चला गया इन सफेद हाथियों के जेब में । एक परम्परा बन गयी है कि जितने भी सत्ताधारी लोग हैं, जिनके ठेकेदार हैं उनकी जेब में पैसा जाता है । यह एक जमींदारी खत्म हुई और दूसरी यह आई0 ए0 एस0 पी0 सी0 एस0 सरकार ने पैदा कर दी है । यह शोषण करते हैं गरीबों का इंजीनियर, आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 । आप इसकी जांच करा लें, किसी भी इंजीनियर की जांच करा लें । चीफ इंजीनियर बड़ी चीज है आप किसी अवर सियर की जांच करा लें उसके घर में टेलीविजन मिलेगा, उसके घर में फ्रिज मिलेगा, उसका आलीशान बंगला होगा उसका बैंक बैलेंस देख लीजिये । गरीबों का पैसा इन सफेद हाथियों की जेब में जाता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया समाप्त करें ।

श्री औसान सिंह—

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं जनता शासन में जो योजनाएं चली थीं वह आज अधूरी पड़ी हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया अब बैठ जायं ।

*श्री श्रीनाथ सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे सिंचाई की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बैठकर बोल रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको अनुमति है ।

श्री श्रीनाथ सिंह—

माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह हर दृष्टिकोण से स्तुत्य और सराहनीय है, क्योंकि एक कहावत है कि किसी चीज को वैसा देखता हूं जैसा हम हैं न कि वह जैसी है । इसलिए माननीय मंत्री जी अनुभवी हैं, उनका अनुभव इस मंत्रिमंडल में सबसे पुराना है और उनका यह बजट सुनियोजित और सुगठित है । मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं । आप मेरी बात सुन लें मैं बीमार हूं मुझे झंझट में न डालें । मान्यवर, जनपद वाराणसी, जहां पर सिंचाई की नींव पड़ी है, जिले की ओर ले जाना चाहता हूं । मैं अपने जिले की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं । ज्ञानपुर पम्प कैनाल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । गर्मी के दिनों में जहां पानी की समस्या होती है । निजी पम्प सेट और ट्यूबवेल बहुत लगे हुए हैं जिससे पानी का स्तर नीचे चला जाता है और पीने के पानी को टैंकरों से भेजना पड़ता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको जितनी जल्दी कार्यान्वित कर देंगे उससे किसानों का फायदा होगा ।

माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान मैं पुनः नारायणपुर पम्प योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । नारायणपुर पम्प कैनाल से मुगलसराय और चन्दौली के क्षेत्रों की सिंचाई होती है । लेकिन नहरों की स्थिति पहले जैसी है और उसमें पम्प लगाने की आवश्यकता है । उस पर कई करोड़ रुपया व्यय हो चुका है इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नहरों का सुधार हो जाय और पम्प लग जायं तो कई सौ हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकती है ।

मान्यवर, भुपौली नहर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, इसको पक्का बना दिया जाय क्योंकि धानापुर परगना की सिंचाई इसी से होती है । यह बड़ी पुरानी नहर है । इसलिए उस नहर की पूरी क्षमता का जीर्णोद्धार होना अति आवश्यक है । अब मैं चकिया तहसील की नहरों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । पहले यह स्टेट थी तब यहां पर नहरों का जाल बिछा हुआ था स्वतंत्रता के बाद यहां की नहरों का कोई भी रखरखाव नहीं किया गया और न उनकी ओर कोई ध्यान ही दिया गया । चकिया में चावल में पैदावार में कीर्तिमान रखा है, लेकिन यहां की नहरों की दुर्दशा है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान यहां की नहरों की ओर ले जाना चाहता हूं । जहां पर बहुत अधिक चावल उत्पन्न होता है, तो यहां की नहरों की रख-रखाव पर अधिक व्यय करें ।

अब मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । शारदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कॅनाल है पता नहीं कितने दिनों में वह खुदेगी। हमारे क्षेत्र में कई स्थानों पर स्टे ले लिया गया है। मैं बता दूं कि अभी माननीय मंत्री जी बनारस गये थे और उन्होंने महाधिवक्ता से कहकर स्टे को वैकेट कराने की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्यूबवेल 1301 हैं वर्ल्ड बैंक के ट्यूबवेल अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन स्टेट ट्यूबवेल के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उनकी दशा बहुत ही चिन्ताजनक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी दशा सुधारी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रभु दयाल—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आज बजट के ऊपर जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके बारे में बोल रहा हूं। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं। मान्यवर, अंग्रेजों को यहां से गये हुए 38 वर्ष गुजर गये, लेकिन वे जो काला कानून बनाकर गये थे उसे हमारी सरकार ने दुबारा देखा तक नहीं। सबसे बड़ी चीज है पानी के लिए नहर और कमांड एरिया। कमांड अंग्रेजों के टाइम में जो बना था वह 1/2 हिस्से को सिंचित मानते थे और अगर एक दफे साल भर में पानी नहर का खेत के दरवाजे तक पहुंच जाता था, तो उसे सिंचित मान लेते थे। उस कमान्ड की हैसियत से काम किया जाय तो उस वक्त किसान 1/4 हिस्से में गेहूं और बकाये हिस्से में मोटा अनाज बोता था लेकिन आज हाई ईल्डिंग वेराइटी की वजह से 50 प्रतिशत में गेहूं बोता है। उस वक्त गेहूं को दो वक्त पानी देने की आवश्यकता होती थी जब कि आज 6 पानी देने की आवश्यकता है। इसलिये इसकी 6 गुनी क्षमता पानी की बढ़ गयी है और नहरों की कॅपेसिटी घटती चली आयी। यही हालत ट्यूबवेल की है। 20 साल पहले 24 घन्टे बिजली रहती थी और आज 6 घन्टे बिजली दी जा रही है लेकिन एवरेज 4 घन्टे आता है उस वक्त दो पानी की आवश्यकता थी और 20 साल बाद ट्यूबवेल की क्षमता कम होती चली गयी है, जिसके कारण पानी नहीं के बराबर मिलता है। तो यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार 20 घन्टे ट्यूबवेल चलाने पर जितनी आमदनी करती थी आज भी 4 घन्टे कि एवरेज बिजली से कैसे पूरा कर रही है।

तावान अंग्रेजों के जमाने में मूल से कट जाने पर उस काश्तकार पर लगता था जिसका खेत उसकी लापरवाही से कट जाता था या किसान की गलती से कट जाता था। लेकिन आज 90 प्रतिशत सींचपाल रात में अच्छे किसान से पैसा लेकर कटवा देता है और उस कटे हुए पानी से काश्तकार को ब्लैकमेल करता है या तो पैसा दो अन्यथा तुम पर तावान लगायेंगे। तावान तीन-तीन साल तक आता है जिससे किसान को यह पता न रहे कि उस पर किस चीज का तावान है। मेरे क्षेत्र में पूठी गांव में तावान लगा है। एक काश्तकार का खेत जो आज तक सींचा नहीं जा सका वह भी तावान में है। इसी तरह से अनेकों गांवों की ऐसी मिसालें हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहर की पटरियां कमजोर होने के कारण चूंकि उनकी मरम्मत नहीं होती, इतनी कमजोर हो गयी हैं कि वे स्वतः ही या किसी पशु के आने से या तेज पानी के आने से टूट जाती हैं। इस टूटी हुई पटरी से जो पानी बहता है, उससे किसानों की फसल बरबाद हो जाती है। उधर फसल बरबाद होती है और इधर सरकार उससे तावान लेती है। यही हालत बरहा शामिल की है। यदि सरकारी नाली से एक दफे भी पानी खेत में चला जाय और सारा पानी किसान अपने निजी नलकूप से दे तो भी सरकार बरहा शामिल लिखकर पूरी आबपाशी ले लेगी। लिहाजा मैं मांग करता हूं कि ये दोनों ही चीजें तावान और बरहा-शामिल दोनों कानून समाप्त किये जायं और कमान्ड को घटाकर 1/2 कर दिया जाय जिससे किसान अपने निजी नलकूप से सिंचित जमीन को बरहा शामिल में आने से बचा सके।

इसी तरह से जमाबन्दी 20 घन्टे ट्यूबवेल चलने पर देनी पड़ती थी जबकि आज भी 6 घंटे बिजली देने पर उतनी ही जमाबन्दी दिखाई जाती है। यह सब ऊपर के प्रभाव से ही काम होते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बैठें। आपके भाषण का समय समाप्त हो गया।

*श्री बद्री सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा विकासशील और कल्याणकारी बजट पेश किया है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, छठीं योजना के अंत तक राजकीय सिंचाई के साधनों से सृजित क्षमता 102 लाख हेक्टेयर का अनुमान है और सातवीं योजना में जो लक्ष्य है वह 116 लाख हेक्टेयर होने की आशा है। साथ ही साथ वृहद और मध्यम सिंचाई की 76 योजनाएं प्रस्तावित हैं, इनमें से 14 योजनाएं वर्ष 1985-86 में पूरी होने का लक्ष्य है। साथ ही साथ बुन्देलखण्ड के विकास के लिए वहां सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए दो योजनाएं राजघाट और बाण सागर का प्राविधान किया गया है जो हमारे यहां सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए उपलब्ध होंगी। सातवीं योजना में जो हमारे राजकीय नलकूपों का प्राविधान किया गया है उनकी संख्या 6750 है इनमें से 12 सौ नलकूपों का लक्ष्य वर्ष 1985-86 के लिए रखा गया है। विश्व बैंक की सहायता से भी नलकूप परियोजना चल रही है उसमें से 22 सौ नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है और 750 का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। इस प्रकार निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति होगी।

मैं अपने जनपद की दो समस्याओं की तरफ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा जनपद चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। दो तरफ जमुना, एक तरफ पहूज और एक तरफ बेतवा नदी है। इसलिए वहां पर पम्प कैनाल योजना जरूर लागू की जाय। मेरे जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र में खदौरा और महेवा दो ब्लाक के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां नहरों का पानी नहीं पहुंचता है और वह टेल पर ही रह जाता है, इसलिए वहां पर पम्प कैनाल योजना लागू करने से निश्चित रूप से लाभ होगा। यहां पर ट्यूबवेल भी अधिक से अधिक इन दो ब्लाकों में लगाये जायें।

दूसरी बात मैं नहरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि नहरों में पूरा पानी नहीं जाता है। नहरें पूरे पीरियड के बजाय कम पीरियड के लिए चलाई जायें 20 दिन के बजाय 10 दिन के लिए ही चलाई जायें। लेकिन पानी पूरा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष ता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बद्री सिंह—

एक निवेदन यह है कि जो सिंचाई का रेट ट्यूबवेल का घंटों के हिसाब से लिया जाता है वह घंटों के हिसाब से न लेकर एकड़ के हिसाब से लिया जाय क्योंकि उनके खराब रहने की वजह से वह 12 इंच पानी देने के बजाय 6 इंच ही पानी देते हैं इसलिए घंटों के बजाय एकड़ के हिसाब से पैसा लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं। सिंचाई के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं मुझे इसमें यह कहना है कि आंकड़े तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। पिछली छठीं पंचवर्षीय योजना के जो आंकड़े हैं उससे स्पष्ट है कि जो बड़ी सिंचाई योजना के सिंचन लक्ष्य थे वे मुश्किल से 2/3 ही पूरे किए गये हैं और इसी प्रकार छोटी सिंचाई योजनाओं के सिंचन बिन्दु के लक्ष्य भी 2/3 पूरे किये गये हैं। सातवीं योजना की जो आपने रूपरेखा तैयार की है और जो लक्ष्य तैयार किये हैं उनको भी पिछली योजनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है शायद ही पूरा कर पायें क्योंकि सिंचाई विभाग में जो भ्रष्टाचार है और जो काम करने का तरीका है उससे योजनाओं का पूरा होना बहुत ही नामुमकिन है। मान्यवर, जो ट्यूबवेल्स लगाये जा रहे हैं सिंचाई विभाग की ओर से उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के ट्यूबवेल्स की सिंचन क्षमता समाप्त प्राय हो रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इनको पुनर्निर्माण (रिबोर) करायें और जब तक ऐसा नहीं करते तब तक 40-50 एकड़ से ज्यादा सिंचन क्षमता उनकी नहीं रहेगी इसलिए इस तरफ मंत्री जी ध्यान दें।

मान्यवर, जो ट्यूबवेल लगे हैं वहां ट्यूबवेल आपरेटर अधिकांश गायब रहते हैं, जिससे उनके फुर्जे चोरी चले जाते हैं या मोटर जल जाती है, जिससे ट्यूबवेल खराब और बन्द पड़े रहते हैं और प्रदेश का नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ट्यूबवेल आपरेटर्स की लापरवाही पर ध्यान दें अन्यथा नुकसान होगा। मान्यवर, वर्ल्ड बैंक से जो ट्यूबवेल लग रहे हैं, उसमें सिंचाई विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैं नहीं जानता इसमें कहां तक सिंचाई मंत्री जी दखल देते हैं लेकिन उनका कहना है कि मेरा तो स्वतंत्र संगठन है, इसलिए जहां मैं चाहूंगा वहां ट्यूबवेल लगाऊंगा इस पर भी ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, अब मैं अपने बनारस जिले में सदर तहसील में जो नहरें हैं, जैसे ज्ञानपुर पम्प कैनाल, अदलपुरा नरोत्तमपुर लिफ्ट पम्प कैनाल और शारदा सहायक यह सब 10 वर्षों से अधूरी बनी पड़ी हैं जिसको पूरा कराने पर ध्यान दिया जाये।

मान्यवर, अब मैं देवरिया जिले की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां गंडक परियोजना के अंतर्गत पडरौना, हाटा तहसील में नहर बिछाई गयी हैं लेकिन उसका रिसाव तेजी से हो रहा है और तराई क्षेत्र होने के नाते पानी की सतह ऊपर आ गयी है जिससे हजारों एकड़ जमीन दलदल व ऊसर हो जाने का खतरा पैदा हो गया है, इस खतरे को रोकने के लिए 8 हजार मिनी ट्यूबवेल्स लगाने की योजना पहले से है लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो सकी है, इस तरफ मंत्री जी ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री अमर चन्द्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मेरे बार-बार अनुरोध पर जो आपने सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे सिंचाई मंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सिंचन क्षमता में जो वृद्धि हो रही है वह सुरसा की तरह है। वास्तव में कृषि प्रधान देश में किसानों को सिंचाई का पूरा लाभ मिल रहा है। प्र

मान्यवर, स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अन्तर्गत मंत्री जी ने 9 हजार नलकूपों के जरिए सातवीं पंच वर्षीय योजना में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये जो योजना बनायी है वह सराहनीय है। मान्यवर, आगरे में हमारे क्षेत्र में चम्बल डाल योजना के नाम से एक नहर निकाली जा रही है जिसके संबंध में निवेदन करना है कि यह योजना 1976 में बनकर तैयार हुई तो उस समय उसकी लागत ढाई करोड़ रुपये थी लेकिन बारबार पुनरीक्षण होने के कारण आज उसकी लागत 11 करोड़ 52 लाख रुपये हो गयी है। इसलिये निवेदन है कि छोटी-छोटी योजनाओं को तैयार करते समय ध्यान रखा जाये कि कम समय में वह पूरी हो जायें और यदि इसमें यह होता तो साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये की योजना न होती।

मान्यवर, बटेश्वर की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बटेश्वर ऐतिहासिक, सामाजिक महत्व का स्थान है। जहां 101 शिव मन्दिर हैं, जो एक पुराने बांध पर बना हुआ है और जो शताब्दियों पुराना है। यहां पर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पशुओं का मेला लगता है। जमुना के तेज बहाव के कारण इस पुराने बांध के टूटे जाने का भारी खतरा पैदा हो गया है और उसके कारण से उन 101 शिव मन्दिरों के बहने की समस्या पैदा हो गई है। इसके अतिरिक्त 3/4 गांव इस क्षेत्र में ऐसे पड़ते हैं जिनका सम्बन्ध शेष विश्व से टूट जाएगा और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाएगी। इसलिए मैं बटेश्वर क्षेत्र की तरफ मंत्री जी का ध्यान विशेषकर दिलाना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त मेरा एक निवेदन और है, सुयोग्य अभियन्ताओं के द्वारा सर्वेक्षण कराकर जो लक्ष्य निर्धारित किया जाए उसको युद्ध स्तर पर पूरा करने का सदैव प्रयास किया जाये। इसके साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्रीमती विजय लक्ष्मी:—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने बाढ़ की विषम स्थिति पर मुझे बोलने का आज मौका दिया। मैं अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बांसडीह क्षेत्र के बारे में दो-एक बातें कहना चाहती हूं मेरे क्षेत्र में घाघरा नदी की बाढ़ से भयंकर खतरा पैदा होता है। हमारे यहां इसकी बाढ़ से प्रति वर्ष पचासों गांव पीड़ित हो जाते हैं। मैं चाहती हूं कि घाघरा नदी के कटान को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किया जाए, नहीं तो इस साल चांदपुर के पास बांध कट जाएगा। सिंचाई का अभाव भी इस क्षेत्र में है, इसलिए नहर और ट्यूबवेल पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। मैं आपके और सदन के माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूं कि उस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी:—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी के सराहनीय बजट का मैं समर्थन करता हूं और कटौती करने वाले विपक्षी सदस्य का मैं विरोध करता हूं। मान्यवर इस देश में जहां हमारी स्व0 प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने खाद के मामले में देश को आत्म निर्भर बनाया, सिंचाई के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, आज उसी रास्ते पर चलकर हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री बराबर प्रदेश को हर मामले में विकास की ओर लिए जा रहे हैं। जो ढाई वर्ष पहले दौर में देश का विकास जितनी तेजी से चल रहा था, नहरों का विकास जितनी तेजी से चल रहा था वह रुक गया था जनता पार्टी की सरकार आ जाने के कारण, उस लड़खड़ाती हुई दशा पर पुनः विकास का कार्य हमारी सरकार ने तेजी से बढ़ाया है। सिंचाई के मामले में, नलकूपों के मामले में, गांव-गांव में जहां इनका अभाव था, हम तेजी से काम कर रहे हैं।

जब मैं अपने जनपद इलाहाबाद के मंझनपुर की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं किशनपुर पम्प नहर का मंझनपुर के विकास के लिए उद्घाटन किया गया था। कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ, किन्तु हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य कि जनता ने धोखे में आकर प्रदेश की सत्ता उस दल को सौंप दी और किशनपुर पंप कैनाल का काम उस समय तक बंद रहा। हमारी सरकार जब आयी तो मैंने देखा कि नहर का काम अधूरा पड़ा है और हमारे क्षेत्र का विकास रुका है। हमारे देश में हमारे नेता क्या करते हैं और हमारे विपक्ष की सरकार क्या करती है, आपकी सरकार ने विकास के कामों को रुकवाया और आज भी कामों को रोकने की बात करते हैं। तो मान्यवर, यह आश्चर्य की बात नहीं है। जहां तक माननीय सिंचाई मंत्री जी की ईमानदारी और कर्मठता की बात है वह किसी से छिपी नहीं है। हमारे कुछ माननीय सदस्य इस बात से जरूर नाराज होंगे कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में, इंजीनियर्स के उन्होंने कटाई की। इससे उनको नाराजगी हुयी है लेकिन इससे हमारे सिंचाई मंत्री घबराने वाले नहीं हैं और न पीछे हटने वाले हैं। बराबर यह कटाई चलती रहेगी और सिंचाई विभाग में इस प्रकार का ब्लैक मेल नहीं होने पायेगा।

मेरे क्षेत्र में किशनपुर पंप कैनाल में रामगंगा से पानी आता है लेकिन मेरे क्षेत्र में पानी ठीक से नहीं पंहुचता है। मेरे क्षेत्र से माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। आज बरसात में भी मेरे क्षेत्र में सूखे की स्थिति है। इसको दूर करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य 2-2 मिनट में अपनी-अपनी बात कहें क्योंकि अभी कट मोशन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को बोलना है।

*मोहम्मद मसूद खां—

निकाली सैंकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा।

मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगियानी नहीं जाती।

सिर्फ मैं तीन सुझाव माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। मैं जिले में जब जाता हूं, तो एक सबसे बड़ी बात यह कही जाती है नहरों की सफाई की। यह कहा जाता है कि इस सिलसिले में रुपया खर्च नहीं होता है। वाकई में नहीं खर्च होता है। हमारे जिले में जिलाधिकारी की मीटिंग हो रही थी तो हमने कहा कि डिपार्टमेंट ने सफाई के काम जो किये हैं उनका एक ब्यौरा दे दें कि कहां-कहां पर नहरों की सफाई हुयी है, विधायक देख लें और उसके बाद दूसरी मीटिंग में बात साफ हो जाय कि करप्शन नहीं है। तो आपके डिपार्टमेंट ने कहा कि इस साल 84-85 में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। माननीय उपाध्याय जी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के चेयरमैन हैं या क्या हैं, जब वह हमारे यहां गये तो मैंने सवाल उठाया तो जवाब दिया गया कि थोड़ा पैसा खर्च हुआ है। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि 1984-85 में आजमगढ़ में हजार, दो हजार, 10 हजार, कितना रुपया नहरों की सफाई में खर्च हुआ है उसका विवरण पूरे एतबार से दे दें। जो भी विधायक हैं अपने क्षेत्र में देखें कि वाकई में रुपया खर्च हुआ है या नहीं। तो एक तो मेरा यह सुझाव है।

दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र निजामाबाद आजमगढ़ में वाटर लागिंग की समस्या है। गंभीरवन, सोनवारा, गगरांवा ताल मेरे क्षेत्र में हैं। इनके पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं है। अगर इनके पानी की निकासी हो जाय तो पानी भी कार आमद हो और फसल बोयी जाय।

तीसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि कागज पर ही नक्शा बना दिया जाता है और मौके पर काम नहीं होता। योजनायें कागज पर ही बन जाती हैं। इससे भ्रम होता है। तो इस करप्शन के सिलसिले में जितनी सफाई हो जाय उसमें शासन की भलाई है और देश का रुपया सही तौर से लग सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय पूरा हो गया है। 2 मिनट हो गये हैं

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के बाद बैठ जाता हूं।

श्री मोती राम—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सिंचाई विभाग का एक अच्छा बजट दिया मैं आपका ध्यान अपनी क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ साल पहले हमारे यहां जमरानी बांध की योजना बनी थी, लेकिन कई सालों से वह बन्द पड़ी है, उस पर कोई कार्य हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से वहां पर भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र की समस्या बहुत जटिल हो गयी है ट्यूबवेल इसके लिए मंजूर हुए हैं, लेकिन कमांड एरिया ढाई सौ हेक्टेयर कर दिया है, मेरा निवेदन है कि वहां पर अधिक से अधिक ट्यूबवेल्स स्थापित किये जायं और कमांड एरिया 175 हेक्टेयर कर दी जाय, क्योंकि भावर क्षेत्र पथरीली है, जो सिंचाई ज्यादा मांगती है। तराई और भावर क्षेत्र में अधिक से अधिक ट्यूबवेल्स लगाये जायं और उनकी कमांड एरिया कम कर दी जाय, ताकि वहां पर सिंचाई की समस्या हल हो सके।

श्री अधिष्ठाता—

अब गौरी शंकर भइया को समय नहीं मिलेगा।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मुझे केवल एक बात कहनी है भाषण नहीं देना है।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, अपने बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को यदि पानी मिल जाय, तो वह सारे देश को खिला सकता है। उसी प्रकार मैं यदि कहना चाहता हूं कि यदि बुन्देलखण्ड को पानी मिल जाय, तो वह पूरे उत्तर प्रदेश को खिला सकता है। मैं आपका ध्यान बुन्देलखण्ड और बांदा की सिंचाई संस्थाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मध्य जल विवाद के कारण बांदा की पिछले 13 वर्षों से सिंचाई के क्षेत्र में उत्तरोत्तर क्षति हो रही है और वह रेगिस्तान होती जा रही है। 72 और 77 में माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो समझौता हुए हैं, उनसे बांदा जनपद की बहुत क्षति हुई है। मान्यवर, पानी न मिलने के कारण बांदा में धान व गेहूं की फसलें पैदा करना मुश्किल हो गया है। अतरौ अगर आप न गये हों, तो वहां पर जायें। अतरौ चावल की ऐसी मंडी थी, जो प्रदेश को धान का 1/3 भाग देती थी, वहां पर 60 चावल बनाने की मिलें हैं, जो धान न मिलने के कारण बन्द हो रही हैं। यदि जल विवाद हल न किया गया, तो बांदा में जन आंदोलन खड़ा होने की संभावना है

मान्यवर, जनपद के अधिकारियों ने जमुना के किनारे-किनारे विद्युतीकरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके व सड़क निकाल कर जिले की एक महायोजना बनाकर शासन को भेजी है, जिससे जमुना के किनारे-किनारे छोटी-छोटी लिफ्ट योजनाएं तैयार करके सिंचाई का समाधान किया जा सकता है। जमुना में लखनपुरा चरका तथा वरियारी कलां पर और वागे नदी पर भदावल, ममसी खुर्द आदि गांव में ये योजनाएं लगाना जरूरी है। बरदहा बांध को पूरा कराने की आवश्यकता है और चेचाई बांध जो पूरा हो गया है, उसमें फाटक लगाने की जरूरत है। फाटक न लगने से वर्षा का पानी निकला जा रहा है। इसलिए मंत्री जी फाटक अवश्य लगवा दें। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

श्री शिवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, कई बार उठने बैठने के बाद आपका ध्यान मेरे ऊपर गया, मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी ने 1985-86 के लिए जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से संतुलित, विकासपरक तथा प्रदेश के विकास में रखा गया कदम है। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की मदद से सातवीं योजना में जो स्थान सिंचाई को मिला है इसके लिए मंत्री जी सराहना के पात्र हैं। चूंकि इतना कम समय मिला है इसलिए अपने क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना उचित समझूंगा। मान्यवर, नियम 301 में भी मैंने यह मसला उठाया था कि नेपाल सरकार ने भौंरहिया नदी खोदकर उस पर बांध बनाकर, उसे हमारी भारत की सीमा पर लाकर छोड़ दिया है, जिससे कि हमारे क्षेत्र के डूबने का संकट हो गया है।

मान्यवर, कलनही नदी के पास नारायणी नदी के पश्चिमी तट पर नारायणी छितौना एड्वास बंधा जिसका निर्माण काफी वर्षों से रुका हुआ है उसको चालू कराया जाए। हमारे क्षेत्र गोरखपुर में उत्तरांचल क्षेत्र में जल प्लावन और बाढ़ का क्षेत्र है। तमाम समस्यायें रहती हैं वैसे सिंचाई के साधन सरकार की तरफ से जितने दिए गये हैं उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी हमारी तरफ से और हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से बधाई के पात्र हैं। मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूं हमारे विपक्ष के तमाम सदस्यों ने कहा पानी की वहां समस्या है, पानी की वहां समस्या है मैं चाहूंगा कि हमारे सिंचाई विभाग की तरफ से चुल्लू भर पानी विपक्ष के सदस्यों को दे दिया जाए ताकि उनकी समस्या खत्म हो जाए।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करता हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका। जो माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है उसकी आलोचना बहुत की जा सकती है लेकिन अब टाइम की कमी की विना पर मैं इतना कहूंगा कि यह किसानों का देश है यहां गरीब लोग रहते हैं, इसलिये इस पैसे की बरबादी न की जाए, इस पैसे का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहां बहुत गड़बड़झाला है। मैं एक-दो बात अपने क्षेत्र के बारे में कहूंगा। जिला मुरादाबाद से 2-7-85 को साप्ताहिक बन्धी की रिपोर्ट मंगाई थी वहां पर

जो नलकूप खण्ड फर्स्ट मुरादाबाद के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं गलत हैं इस सिलसिले में कहूंगा कि क्लोजर जो सरकार को भेजे जाते हैं वह फर्जी होते हैं और जो भी ट्यूबवेल हैं वह 50 परसेन्ट भी नही चलते हैं और रिपोर्ट 90 परसेन्ट की भेजते हैं। तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाए।

दूसरी बात मुरादाबाद के प्रथम डिवीजन के अन्दर ट्यूबवेल 77 के सिलसिले बन्द पड़ा हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रबी 1392 फसली मुरादाबाद प्रथम खंड के अन्दर आपरेटरों से कीटिंग कराकर सिंचाई दर्ज कराई गई। 150 घंटे की ट्यूबवेल के हिसाब से सिंचाई दर्ज कराई गई इस हिसाब से पांच हजार घंटे फर्जी दिखाए गए हैं।

*श्री किशन सिंह तड़ागी—

माननीय अध्यक्षता महोदय, मैं किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं कि तीन दिन की उठक बैठक के बाद आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज अन्न के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हुये हैं। आज जो मेहनत करके किसान अपनी पैदावार बढ़ा रहा है, इसका श्रेय जाता है, सिंचाई विभाग को जिसने सिंचाई का प्रबन्ध किया है। समय बहुत कम है इसलिये मैं अपने पर्वतीय क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, गंगा, यमुना, राम गंगा सभी नदियां पर्वतीय क्षेत्र से आती हैं, लेकिन वहां के काश्तकारों को सिंचाई से वंचित रहना पड़ता है। लिहाजा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां छोटे छोटे नदी नालों से जो पानी आता है, वहां पर नहर बनाकर, सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई का प्रबन्ध किया जाय।

मान्यवर, वहां खेत सीढ़ीदार होते हैं और छोटे छोटे खेत होते हैं। इसके बाद मान्यवर मैं मैदानी क्षेत्र भाबर के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर खेती बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ जमीन है लेकिन सिंचाई का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर नलकूप लगाकर सिंचाई की सुविधा का प्रबन्ध करने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ मान्यवर, तराई क्षेत्र में बंगलादेश से आये हुये लोग हैं और जो पहाड़ धंस जाता है, वहां के लोग हैं मेरा निवेदन है कि वहां पर भी सरकार सिंचाई की सुविधा करने का प्रयास करें ताकि किसान अपने खेतों को सींच सकें और अच्छी पैदावार कर सकें। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आजादी के 38 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश का कृषक वर्षा पर निर्भर है। हमारे प्रदेश में वर्षा अधिक हुई तो बाढ़ आ गई और वर्षा कम हुई तो सूखा पड़ जाता है। मान्यवर, समय बहुत कम

*अध्यक्षता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं इसलिये मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं । सिंचाई मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पानी की दर इतनी अधिक है कि काश्तकार पानी लेने में कठिनाई महसूस कर रहा है । गरीब किसान पानी नहीं ले पाता है । मान्यवर, नलकूपों को बिजली बहुत कम दी जाती है । मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज को बिजली दी जाती है, उसी प्रकार से नलकूपों को बिजली दी जाय । मान्यवर, आज अधिकांश नलकूप खराब पड़े हैं, उनमें सुधार की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, हमारे यहां, बदायूं गंगा और राम गंगा के बीच में बसा है । लेकिन वहां पर एक भी नहर नहीं है । हमारे यहां के लिये भूजल प्रस्ट परियोजना का प्रस्ताव था लेकिन आज तक यह परियोजना खटाई में पड़ी हुई है । जहां पर नहर निकलना बहुत जरूरी है । मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं दातागंज विधान सभा क्षेत्र । उस क्षेत्र में राम गंगा के किनारे प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और फसल खत्म हो जाती है । वहां पर बड़ा बांध बनाया जाना चाहिये जिससे वहां पर लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इससे मैं आपका अनुग्रहीत हूं । श्रीमन्, हमारे बहुत से सदस्यों ने सिंचाई के सम्बन्ध में कहा कि सिंचाई की प्रगति नहीं हुई है । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सदस्यों का ध्यान इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर की तरफ ले चलना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के इन जनपदों में 1984-85 में 2 लाख एकड़ सिंचन अधिक हुई और पिछले 5 वर्षों के सिंचन से यह अधिक रही । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । इससे सिंचाई विभाग का कीर्तिमान बढ़ा है, इससे राजस्व में 60 लाख रु0 की बढ़ोत्तरी हुई । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान नहरों की ओर ले जाना चाहता हूं । नहरों के लिए 1971 में जो दरें थीं आज भी नहरों के रख-रखाव के लिए वही दरें हैं । मान्यवर, नहरों के रख-रखाव पर जो रुपया खर्च होता है, उस पैसे को आप बढ़ाइये क्योंकि नहरों का कटान पैसे के अभाव में पूर्ण नहीं होता ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लालता प्रसाद जी, आप अपने क्षेत्र से संबंधित सुझाव दें ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

श्रीमन् मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पम्प कैनाल जमानिया, पम्प कैनाल सैदपुर की ओर ले जाना चाहता हूं । सौभाग्य से जमानिया का पम्प कैनाल बन रहा है और देवकली का पम्प घर पूरा बन गया है लेकिन उसकी नहरें अधूरी हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन नहरों को पूरा करवायें और जमानिया के पम्प

कैनाल को पूर्ण कराया (खुलवाया) जिससे हमारे जिले की सिंचाई क्षमता बढ़ सके।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी नलकूपों से भी संबंधित हैं अतः माननीय सिंचाई मंत्री जी को बिजली विभाग भी दे दिया जाय क्योंकि इनसे उद्योग विभाग ले लिया गया है। इससे दो लाभ होंगे एक तो नलकूपों को आसानी से बिजली मिल सकेगी और दूसरे उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव लड़वा देंगे। यह दोनों विभाग माननीय मंत्री जी को दे दिये जायें।

श्री राम सरन—

मान्यवर, आज हमारा यह प्रयास रहा कि ज्यादा से ज्यादा नये आदमी बोल लें। सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने कटिंग किया है। जैसे यह कटिंग करते हैं वैसे आपने कर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो सुझाव देने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री दीप नारायण—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई जैसे बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, हम इस समय खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गये हैं। इसका एक मात्र आधार है हमारी सिंचाई व्यवस्था। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हर कोने में नहरों का जाल बिछाकर हजारों एकड़ वह जमीन जो बेकार पड़ी रहती थी और जिसमें एक ही फसल पैदा होती थी उसमें आज अधिकाधिक उपज हो रही है जो हमारे देश की प्रगति का सूचक है।

मान्यवर, इसके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र के 2—4 सुझाव आपके सामने देना चाहता हूं। हमारे यहां खण्ड-3 का टेकमा मोहनगर राजबहा है, जो साल में 10—15 बार कट जाती है जिससे हर साल गोमाडीह से शेखुदासपुर के बीच के 60—70 गांवों में पानी आ जाता है। मैंने अनेक बार माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था कि उक्त राजबहा को पक्का कर दिया जाय तो लोगों की दिक्कत दूर हो जाय। मैं मंत्री जी का पुनः ध्यान आकृष्ट करता हूं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, हमारे यहां सोनबरसा माइनर है। शारदा सहायक द्वितीय खण्ड की है निकासी न होने से सपनहर गांव की पचासों बीघा जमीन इसके पानी से डूब जाती है। इसीलिये इसके पानी को मंगई नदी में निकासी द्वारा गिरा दिया जाय।

श्री राम सरन—

मान्यवर, न इनकी नहरों से पानी मिल रहा है और न ट्यूबवेल से । ट्यूबवेल 40 परसेंट खराब हैं । जब पानी नहीं मिलता तो आप बतायें कि गन्ना रहेगा कि जायगा । अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, जमुना नदी के पूर्वी किनारे पर मेरठ मंडल है और पश्चिम में हरियाणा है । हरियाणा ने जमुना के किनारे बांध और ठोकर लगा दी है । जब बाढ़ आती है तो यू0 पी0 के मेरठ मंडल के हजारों गांव डूब जाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान के नाम पर वहां पर बांधों और ठोकरों का इंतजाम करावें, ताकि हम लोग चैन से सो सकें । यह तो रहा सुझाव । इसके बाद यहां मेरे साथी बैठे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं वीर बहादुर सिंह जी बतायें कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार है कि नहीं । मैं चैलेंज करता हूं कि है । शर्त लगा लीजिये, चाहे आप इस्तीफा दे दीजिये और चाहे, मैं दे दूंगा । मैं मैं आपको भ्रष्टाचारी नहीं कहता, मुहकमे को कहता हूं । आपके यहां अभियन्ता पैसा लेते हैं और दलाली करती हैं अभियंती ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब राम सरन जी ने चैलेंज दे दिया है, जबाब बाद में दे दिया जायगा, आप लोग बैठें ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । राम सरन जी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने अभियन्ती शब्द का इस्तेमाल किया है । तो यह माननीय मंत्री जी के लिये कहा या किसके लिये कहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आपके लिये कहा है

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

जिसके लिये इस्तेमाल किया है, वह समझ गया है ।

[समय 6-25]

*श्री सुग्रीव सिंह—

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र नेपाल और बिहार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है । छोटी और बड़ी गण्डक नदियों की कटान से वहां की जमीन ऊंची नीची है, जिसकी वजह से वहां जल भराव बहुत रहता है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सोमल ताल है, जिससे 4 हजार एकड़ भूमि में पानी भर जाता है, दह जाता है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र इनरपुर से लेकर के डुमरी सड़ागी पट्टी तक मवन नाला बढ़ गया है । पहले देहातों का पानी निकल जाता था लेकिन बंसली डेड के नहर वालों ने 3 स्केप बनाए हैं । जब वे स्केप खोल देते हैं तो मवन नाले में पानी बढ़ जाता है जिससे 50-60

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गांव हर साल बह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वहां पर तटबन्ध बनाया जाय और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाय। इन शब्दों के साथ सिंचाई मंत्री को बधाई देता हूं।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, ईश्वर की कृपा से इस वर्ष फसलें अच्छी हुई हैं, लेकिन उसका सारा श्रेय माननीय मन्त्री जी और यह सरकार ले लेना चाहती हैं। मान्यवर, जो हमारी योजनायें बड़ी-बड़ी हैं, उनमें निर्माण में काफी विलम्ब हो जाने के कारण उनका अनुमानित व्यय दुगना तिगुना हो जाता है। हमारी टेहरी परियोजना जब बनी थी अगर उसे समय से पूरा कर दिया गया होता तो उससे प्रदेश का भी हित हुआ होता। उसको वर्षों तक लम्बित रखा गया, आज उसका अनुमानित व्यय बढ़कर चौगुना हो गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद हरदोई के क्षेत्र पिहानी की ओर ले जाना चाहता हूं। पिहानी से मैं चुनकर आता हूं। वहां के सारे क्षेत्र की सिंचाई नहरों से होती है, नहरों की सफाई एवं माइनरों की सफाई में खुली लूट इस विभाग के द्वारा की जाती है। सिंचन क्षमता दिनों दिन घटती जा रही है। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि जनपद में इस वर्ष कितना पैसा नहरों की सफाई पर खर्च हुआ और कितनी सिंचन क्षमता बढ़ी। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि पैसा तो दुगना तिगुना खर्च किया गया लेकिन सिंचन क्षमता आधी रही। मान्यवर, ऊपर की घास छिल दी जाती है और सारा पेमेन्ट हो जाता है। श्रीमन् मैं चाहता हूं कि आप जांच करायें कि कितना पैसा इस वर्ष खर्च हुआ और कितनी सिंचन क्षमता बढ़ी। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सिंचाई के समय लगे ट्यूबवेल चालू होंगे।

श्री नारायण हरि शर्मा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, यहां जो सिंचाई विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है उस पर केन्द्रीय सरकार ने भी समय-समय पर सन्तोष व्यक्त किया। बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा यह कल्याणकारी राज्य की चार नींव हैं।

मान्यवर, यह जो पुरानी गंगा नहर है, वह आपको पानी ज्यादा नहीं दे पायेगी। इसका पानी सीपेज के माध्यम से आस-पास फैल गया है और भूमि कल्लर बन गयी है। उसके किनारे-किनारे तमाम ट्यूबवेल लगा दें और ट्यूबवेल का पानी नहर में डाला जाय। 12-1 किलोमीटर तक पानी है, ट्यूबवेल लगायें फिर वाटर स्ट्रेटा नीचे जायगा। मान्यवर, मैं अलीगढ़ जनपद के हाथरस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे क्षेत्र में खारी पानी है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां खारी पानी है वहां नहर हो और जहां मीठा पानी है वहां ट्यूबवेल कामयाब हो सकता है। मान्यवर, हमारे यहां 400 फीट तक ट्यूबवेल लगाया गया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। मिनी ट्यूबवेल लगाये जायं खारी पानी के क्षेत्र में।

मान्यवर, काश्तकारों को सिंचाई पुस्तिका देनी चाहिये ताकि जो पैसों में धांधली होती है उसका उसे पता लग

सके। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दो तीन बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, एक दिन मैंने इस पर माननीय मन्त्री जी से लाबी में भी बात की थी। एक तो जयप्रकाश नारायण जी के मकान तक बंधा जाता है, उसकी मरम्मत करके उसे चौड़ा करायें ताकि आवागमन में आसानी हो सके। अभी पिछले दिनों एक जीप उलट गयी थी, एक व्यक्ति मर गया था।

नरही से कोटजोतपुर को जो बंधा जाता है, वह 4 वर्ष से बन रहा है। उसके बीच-बीच में गैप है, इसे पूरा करा दिया जाय।

दूसरा, यह कि भरौली में गंगा नदी के दो भाग हो जाते हैं। एक बक्सर के बार्डर से सट कर जाती है और दूसरी बलिया शहर से सट कर जाती है। इसमें दो पम्प नहर हैं एक पलिया खास और दूसरी सोंहा पम्प नहर। रबी की फसल में इन दोनों पम्पों के हेड से गंगा नदी का पानी 4 किलोमीटर दूर चला जाता है। बलिया के कलेक्टर और सिंचाई विभाग से शासन को एक प्रस्ताव आया था इन दोनों नहरों को एक में मिलाकर उनका एक हेड भरौली के पास के पुल पर कर दिया जाय, वहां से गंगा नदी का पानी भागता नहीं है। बंगलादेश और हिन्दुस्तान के बीच पानी का जो समझौता हुआ है, उसमें भी कोई बाधा नहीं आयेगी।

सोंहा पम्प और पलिया खास पम्प नहर की जो क्षमता है, इन दोनों की कुल क्षमता की ही मांग हम भरौली हेड पर कर रहे हैं।

*श्री अब्दुल वहीद कुरैशी—

मान्यवर, सरधना नाला, नानू, बड़कली अलीपुर, सुरानी अब्बू का नाला इन सभी नालों में आधे साल तो वाटर लागिंग रहती है और आधा साल खुश्की रहती है, इस लिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन नालों की सफाई कराई जाय।

*श्री मूलचन्द—

मान्यवर, मैं ज्ञानपुर तहसील की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नहर विभाग ने किसानों की जमीन तो ले ली है और आज 8 वर्ष हो गये हैं, लेकिन किसानों को आज तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। अधिकांश किसान मुआवजे के लिए परेशान हैं। सिंचाई विभाग ने न तो पानी दिया और न ही मुआवजा। इसकी तरफ आप ध्यान दें।

पूरे तहसील में आपके 400 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। जिसमें से 172 ट्यूबवेल खराब हैं। वहां के सहायक अभियन्ता से 40 सेट ट्यूबवेल के मांगे थे, लेकिन वे भी आपके यहां से नहीं दिये गये। ट्यूबवेलों की नालियां टूटी पड़ी हुई हैं, उनकी मरम्मत नहीं हुई है, जिसकी वजह से खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। यह पानी रास्ते में ही रह जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो ट्यूबवेल खराब हैं, उन्हें ठीक किया जाय और जो पुराने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ट्यूबवेल हैं, उनकी जगह पर जिन नये सेटों की मांग आपसे की गई थी, उन्हें दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायें। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, मुझे भी मौका दिया जाय। 100 बार मैं आपसे कह चुका हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्री हरदेव जी, आप बैठ जायें। मैं सदन की मन्शा समझ रहा हूं।

सदन की जो मंशा है, कुछ लोग अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में मूल्यवान सुझाव देना चाहते हैं, तो जो सदस्य घड़ी की ओर भी देख रहे हैं और अब मैं समझता हूं कि पाण्डेय जी अपनी बात कहें। राणा जी आपको अनुमति देंगे तो सभी दूसरे सदस्यों को अवसर देना होगा।

(श्री हरदेव के कुछ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

हरदेव जी, मैंने राणा जी को भी अनुमति नहीं दी, उसके बाद मैं किसी दूसरे को भी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, जब यहां स्वर्गीय होती लाल जी उपाध्यक्ष पद पर विराजमान थे, तो इसी तरह समय का अभाव देखते हुए उन्होंने यह व्यवस्था दे दी थी कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह अपनी बात लिखकर दे दें और वह कार्यवाही का अंग हो जायगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भी वैसी ही व्यवस्था दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

जो मैनेजर सिंह जी ने सुझाव दिया है, मुझे भी याद पड़ता है कि ऐसा हुआ था और शायद सिंचाई के बजट पर ही हुआ था। तो जो माननीय सदस्य कोई बात सुझाव के रूप में देना चाहते हैं, मन्त्री जी को लिखकर दे दें और मन्त्री जी उस पर उसी तरह कार्यवाही करेंगे जैसे वह यहां पर कार्यवाही हुई हो।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्यों की इच्छा का आपने आदर किया और सदन की कार्यवाही इसके लिए बढ़ा दी इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं पक्ष तथा विपक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं कि कुछ ने तो पूर्णतया और कुछ ने आंशिक रूप से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की भूमि बड़ी उर्वरा है। यहां की नदियों का जल काफी मीठा है और कृषि के लिए बड़ा ही उपयोगी है। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि आप ऐसी सिंचाई नीति बनायें जिससे सब खेतों को पानी मिल सके और सस्ते दर पर मिल सके। यह बात सही है कि आपके प्रयास से उपज में वृद्धि हुई है लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि जहां पर अच्छी सिंचाई होती है वहां पर एक हेक्टेयर में 5500 कि0 जी0 उपज होनी चाहिए लेकिन आज आपके प्रयास के बावजूद एक हेक्टेयर में मात्र 1700 कि0 जी0 हो रही है। आपने सिंचाई का उतना

माकूल इन्तजाम नहीं किया है जितना होना चाहिए। पानी बड़ा ही कीमती है। किसी भी स्थिति में बरबाद नहीं होना चाहिए। जो सर्फेस वाटर है, वह कुल 272 एम0 ए0 एफ0 है। उसका केवल आप 45 एम0 ए0 एफ0 प्रयोग करते हैं। अण्डर ग्राउण्ड वाटर 100 एम0 एफ0 है और केवल 25 एम0 एफ0 का प्रयोग करते हैं। हमारे प्रदेश में जल के असीम स्रोत हैं, उसका प्रयोग करके सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन आपकी वह व्यवस्था नहीं है, कृषि पिछड़ी है। ऐसी परिस्थिति में मैं सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पुनः एक बार सिंचाई की नीति का पुनरीक्षण करें और ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारे सारे खेतों को समय पर सस्ती दर में पानी मिल सके। आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना जो मेरे हाथ में है, अंग्रेजी में है, मैं उसका हिन्दी अनुवाद कर देता हूं। कृपया 295 पृष्ठ देखें बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल की स्थिति ठीक नहीं है। यहां पर लिखा गया है कि सिंचाई के अभाव में बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रदेश में दूसरे भागों की तुलना में बड़ी ही खराब है। इसमें एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि पूर्वी जिलों में कुल 6527 हार हेक्टेयर भूमि है उसमें केवल 3750 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इसमें सुझाव है कि पूर्वान्चल की जो स्थिति है उसको देखते हुए ट्यूबवेल की व्यवस्था सर्वोत्तम हो सकती है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल, जो सिंचाई की दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं जहां की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और ट्यूबवेल की व्यवस्था के लिये सुझाव दिये गये हैं। कृपया आप एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे इन अंचलों में अधिक से अधिक ट्यूबवेल लगे जिससे इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो सके और गरीब पिछड़े किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

बाढ़ के सम्बन्ध में कल मेरा एक प्रश्न था, माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि यह तो नदी का प्राकृतिक भ्रमण क्षेत्र है। आज का विज्ञान कितना आगे जा चुका है मानव ने प्रकृति पर अधिकार जमा रखा है, ऐसी परिस्थिति में प्रकृति का दास बनकर रहना आज के आधुनिक विज्ञान के लिये एक चुनौती है। चीन की ह्वांग-हो नामक नदी कभी चीन का शोक कही जाती थी, लेकिन आज उन्होंने उसको पालतू बना रखा है। जितना चाहते हैं पानी लेते हैं, जब चाहते हैं, तब पानी लेते हैं। क्या यह सम्भव नहीं है कि जो प्रदेश की नदियां अभिशाप बनी हुई हैं उनको हम भी पालतू बना लें और मानव के हित में उसका प्रयोग करें। हमें देखना चाहिये कि जो नदियां अभिशाप बनी हुई हैं, वे कैसे वरदान बन सकती हैं।

बहुत सी बातें अधिकारियों के विषय में कही गईं। कुछ ने कहा कि अधिकारी चोर हैं, बदमाश हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ अधिकारी भी ईमानदार हैं। हमें अवसर देना चाहिये कि जो अच्छे हैं, वे पनप सकें। अगर मौका नहीं दिया गया तो बुराई बढ़ेगी और अच्छाई लुप्त हो जायगी। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी अच्छे हैं, जिसको अच्छा समझते हैं, उनको सामाजिक दृष्टि से पुरस्कृत करें जिससे अच्छे कार्य करने

वालों का मन बढ़े। सुनने में आया है कि 20 वर्ष से विभाग में कर्मचारी काम करते हैं लेकिन अभी तक नियमित नहीं किये गये हैं। 5-6 वर्ष से लोगों की एफिशियेन्सी बार रुकी हुई है। हमें यह भी पता चला है कि बहुत से लोगों को प्रोमोशन नहीं दिया जा रहा है जब कि नियम कहता है। अगर इस तरह के सारे काम किए जायेंगे तो निश्चित रूप से अधिकारी नौकरी के मामले में अपने को असुरक्षित समझेगा और कर्तव्य पालन में ईमानदार नहीं रह पायेगा। ठीक से काम नहीं करेगा।

बलिया जनपद सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है। कटान भी होती है और बाढ़ से सबसे अधिक क्षति होती है, वर्षा का जल जमाव भी होता है, बहुत सी ऐसी ड्रेनेज हैं जो बेकार पड़ी हुई हैं। बलिया की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ और कटान की। मन्त्री जी कृपया इसके बचाव के लिये कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे यह कटान बाढ़ रुक सके। अन्त में उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोला या हिस्सा लिया।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, बहुत सी बातें कही गयीं, लेकिन उनमें से कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। जरूरी है कि अगर कोई बात कही जाय तो उसका जवाब दिया जाय।

माननीय पाण्डेय जी ने कहा कि पैदावार जितनी बढ़नी चाहिये, वह नहीं बढ़ी और जितना काम सिंचाई विभाग द्वारा होना चाहिये, नहीं हुआ और आंकड़े सही नहीं हैं। यह बात कहना, सही नहीं है। हमने कहा कि आजादी के पहले 25 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, उस समय की पैदावार देख लीजिये जो आज तीन गुना से ज्यादा बढ़ गयी है। यह काम करने से हुआ है। इसी देश के अधिकारी, कर्मचारी, जनता, किसान, जन-प्रतिनिधि सारे लोगों ने मिलकर काम किया है, तब हुआ है।

यह कहा गया कि कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया गया प्रदेश का जिससे पूरे प्रदेश में देख सकें कि कहां की स्थिति क्या है।

हमने 2020 तक के लिये सिंचाई का प्रासपेक्टिव प्लान बना लिया है जो पूरे प्रदेश के लिये है और जब योजनायें बनायी जाती हैं तो इसको देख कर ही बनायी जाती हैं। माननीय सदस्यों को एक भ्रम हो गया था कि 172 लाख हेक्टेयर से 247 या 257 लाख कैसे कर दिया गया है। सिंचाई के लिये एक फसली और दो फसली यदि दोनों को जोड़ लिया जाय तो यह दोनों जोड़कर यह रेकार्ड हो जाता है। इसीलिये यह आंकड़ा है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत बातें की जाती हैं नहरों के रख-रखाव के बारे में। यह सही है कि नहरों के रखरखाव के लिये जितना पैसा चाहिये उतना पैसा हमारे पास नहीं है। जितनी नहरें हमारे पास हैं उनके रख-रखाव के लिये हमें 30 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जबकि हमें 30 करोड़ की जगह पर केवल 13 करोड़ रु० ही इस काम के लिये मिलते हैं और वह

भी कभी-कभी समय से नहीं मिल पाते हैं। नालों के बारे में कहा जाता है कि उन पर मिसयूज होता है। नालों के प्रति किलोमीटर पर केवल 250 रु0 मिलता है यह धन इतना कम है कि इसमें मजदूरों की मजदूरी ही नहीं मिल पाती है तो वे बेचारे कैसे इतना काम कर पायेंगे। हम खुद जानते हैं कि इतने धन में नहरों और नालों की सफाई इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाती है।

मैं आपके सुझावों को वास्तव में उचित समझता हूं कि नहरों की सफाई के लिये और नालों की सफाई के लिये काम होना चाहिये और उसके लिये जो पैसा भेजा जायेगा इसकी सूचना सभी विधायकों को भेज दी जायेगी ताकि आपको भी इसकी जानकारी हो जाय और कोई भ्रम पैदा न हो। मैं चाहता हूं कि इस विभाग की स्थिति साफ होनी चाहिये।

माननीय सदस्यों के क्षेत्र में जो नहरें और नाले पड़ते हैं, उनके सम्बन्ध में आदेश दिया जायेगा कि वह विधायकों को बुला कर दिखा लिये जाए ताकि उनको भी सन्तोष हो जाय कि क्या काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों को सन्तोष होना बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नलकूपों के बारे में जो कहा गया कि वह खराब रहते हैं के लिये मेरा प्रयास है कि नलकूपों की रिपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश से हम मंगा रहे हैं बी0 डी0 ओ0 के सोर्स से और अब जिलाधीश के द्वारा भी मंगा रहे हैं और फिर दोनों रिपोर्टों को मिलाकर हम देखते हैं कि दोनों में कितना अन्तर है। इसमें हमें ज्यादा अन्तर नहीं दिखायी पड़ता है।

इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि जब क्षेत्र में इंजीनियरों से मिलें तो उन्हें बतायें कि हमारा यह नलकूप खराब है और उसे वे देख लें। मैं चाहता हूं कि जनता के लिये सही काम होना चाहिये। यदि उसमें हमारे कर्मचारी या अधिकारी गलत काम करते हैं तो उसके लिये किसी प्रकार की मुरव्वत हम करने वाले नहीं हैं।

कई क्षेत्रों के बारे में कहा गया कि तरह-तरह की समस्यायें हैं जैसे कि बुन्देलखण्ड के बारे में कहा गया कि वहां पानी की समस्या है। इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में पानी की समस्या के बारे में वार्ता चल रही है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुंचें। यह समस्या काफी लम्बे अर्से से चल रही है, और इससे हमारी योजनाओं को चलाने की समस्या है। मैंने माननीय मुख्यमन्त्री से बात की है कि चलकर दिल्ली में बैठकर कोई न कोई समाधान ढूंढ़ लिया जाय, नहीं तो यह बुन्देलखण्ड की हमारी समस्या बढ़ती चली जायेगी।

दूसरे अभी बहुत सुझाव आये। माननीय देव कुमार जी ने कहा था आपके केन प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बारे में बात कर ही रहा हूं। सरयू योजना के बारे में कहा गया कि यह योजना तेजी से नहीं चल रही है, इसमें पैसा मिलने पर ही आगे कार्य तेजी से होगा। कहा गया कि योजनाओं में देर हो जाती है और लागत बढ़ती चली जाती है, आप देखते होंगे अभी माननीय सदस्य बोले हैं, हर आदमी, हर सदस्य अपनी-अपनी जगह की समस्याएं रखता है कि उनके यहां नहरें होनी चाहिए ट्यूबवेल होने चाहिए। सब की

मांग आ रही है, तो सब तो हो नहीं पाता है क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं होता है। लेकिन जब जो प्रोजेक्ट ले लिया जाता है तो जनता को सन्तोष हो जाता है कि अब तो काम पूरा हो जायेगा। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर कोई प्रोजेक्ट ले लिया जाता है और विलम्ब कर दिया जाता है।

अभी गौरी भइया ने बन्धे के बारे में कहा, उसको मैं देखूंगा। उन्होंने एक सवाल किया था पम्प कैनाल के बारे में उसके लिए मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि उस पर कार्यवाही करें। हरदोई के बारे में बाजपेई जी ने कहा है। जिन चीजों के बारे में कहा है, मैं उनको भी देखूंगा। मैंने नोट कर लिया है। माननीय विधायकगण ने जो बात कही है उनके जवाब में आपके पास भिजवा दूंगा ताकि आपको मालूम हो जाये कि क्या-क्या आपने कहा है और क्या-क्या उसमें हुआ है। मान्यवर, 2-4 बातें और कहूंगा बन्धे के बारे में। हरियाना यमुना में बना रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश का जो हिस्सा है उसमें नहीं बन पाया है और वह पक्का बनाते चले आ रहे हैं धनाभाव के कारण हम नहीं बना पाते हैं। इस वर्ष हम माननीय राम सरन दास की भावना को देखते हुए उसका प्रयास करेंगे।

दूसरी बात यह है कि बार-बार शिकायत आती है विभाग में करप्शन की। जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो क्या सोचते हैं कि सारा करप्शन के अलावा कोई काम नहीं है। मैं कहता हूं कि करप्शन हो सकता है लेकिन बहुत से कर्मचारी अच्छे हैं। अगर न अच्छे होते तो इतने बड़े-बड़े काम न हो पाते जो कर्मचारी लापरवाह हैं, जो गलत हैं, जो जानबूझकर गलती करते हैं हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम एक दस्ता बना रहे हैं जो मौके पर जायेगा और एक्शन लेगा। कहते हैं कि जांच होती है, परन्तु ठीक नहीं होती है।

(श्री आँसान सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय आँसान सिंह, आप बैठें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने तय किया है कि इस दस्ते में इंजीनियर होंगे, सरकारी अधिकारी दूसरे विभाग के होंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम गैर सरकारी व्यक्ति भी इस दस्ते में रखेंगे और यह मिलाजुला दस्ता होगा, जो मौके पर जाकर चेकिंग करेगा और तुरन्त एक्शन ले लेगा। यह नयी व्यवस्था होगी ताकि जो लोग गलती करेंगे उनके ऊपर तुरन्त एक्शन लिया जा सके।

(श्री आँसान सिंह के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

संसदीय व्यवस्था यह है कि जब तक मन्त्री जी खत्म न करें आप शुरू नहीं करेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, प्रमोशन के बारे में कहा गया इसकी एक कमेटी है, वह करती है। जो अधिशासी अभियन्ता के लिए है। उसमें ज्येष्ठता के आधार पर प्रमोशन होता है और सहायक अभियन्ताओं की सीनियारिटी के आधार पर प्रोन्नति होती है। रूल्स बने हैं और उन्हीं के अनुसार प्रोन्नति होती है। जिनकी नहीं होती है,

वह कहते हैं कि अन्याय हुआ है। मान्यवर एक कमेटी बनी हुई है, वह बहुत सोच समझकर काम करती है, गलती होने की संभावना नहीं होती है अगर गलती होती है तो उसको रिओपन कर देते हैं।

मैंने 1010 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है जिनमें जूनियर इन्जीनियर से लेकर मुख्य अभियन्ता तक के अधिकारी हैं। मैंने दो मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की है, 10 अधीक्षण अभियन्ताओं के विरुद्ध, 54 अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध, 85 सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध और 427 जूनियर इन्जीनियरों के विरुद्ध कार्यवाही की है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिनकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। जो लोग पैसे का दुरुपयोग करेंगे, तो उनको छोड़ा नहीं जायेगा।

अभी पान्डे जी बोल रहे थे कि ट्रान्सफर में भ्रष्टाचार है। तो मैं कहना चाहता हूं और चैलेन्ज करता हूं कि आप एक भी साबित कर दें तो मैं उस अधिकारी को छोड़ने वाला नहीं हूं। जिन लोगों का ट्रान्सफर नहीं होता है, जो रह गये हैं, वह दौड़ते हैं, आप लोगों को परेशान करते होंगे। हमने कोशिश की है कि ट्रान्सफर और पोस्टिंग को प्रोत्साहन न दिया जाये। हमें आशा है कि आप लोगों का सहयोग मिलेगा और आप लोगों के सहयोग से हमको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह कह देना कि सारे अधिकारी गलत हैं, काम नहीं करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों से काम लेना है, कोई हम विदेश से तो ला नहीं सकते हैं। बहुत से अधिकारी हैं जो काम अच्छा करते हैं, और बहुत से अधिकारी हैं जो गलत काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको हम डिस्करेज करेंगे और कार्यवाही करेंगे। हम आपको आश्वासन देते हैं कि विभाग को और तेजी से चलायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पाण्डे जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और बजट पास करें।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने लगभग सभी बिन्दुओं का उत्तर दे दिया है और बड़े जोर-शोर से दिया है, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण बिन्दु रह गया है। सिंचाई विभाग में एक नियम है कि सरकारी गूलों में किसान अगर अपना पानी ले जाता है, निकाल ले जाता है जब वह खाली होता है, तो उस पर आबपाशी लगा दी जाती है। इसकी आपको जानकारी होगी। चकबन्दी हो जाने के उपरान्त बहुत से चकों तक पानी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि गूलों का इन्तजाम नहीं है तो अगर खाली गूल से किसान पानी निकाल ले जाता है तो क्या आप उस पर जो आबपाशी लगा दी जाती है, उससे आप उसे छूट देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह जो सुझाव है, इसको मैं दिखवा लूंगा, कि क्या यह सम्भव है।

*श्री विजय सिंह राणा—

माननीय मन्त्री जी को मेरा एक सुझाव है। आप अपने उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट मंगा लें। आपके विभाग में सबसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा रोग यह है कि जो आबपाशी की जाती है उसमें जिन्स बदलकर आबपाशी की क्षमता बढ़ा दी जाती है और डाल आबपाशी का क्षेत्र भी बढ़ा देते हैं लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। आपके विभाग के अधिकारी या कर्मचारी अपने घर बैठे उसे एरा कर लेते हैं। तो इसे रोकने की बात है। इसे रोकने के लिये क्या आप कोई कमेटी बनायेंगे जो कि वहां पर जाकर इस तरह की स्थिति की जांच करके आपको रिपोर्ट दे और किसान का नुकसान न हो।

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, सरयू परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं। इससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। इसमें माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि यह 6 अरब 86 करोड़ रुपये की योजना है और 7वीं पंचवर्षीय योजना में वह 2 अरब 50 करोड़ की रखी गई है जो सन् 1990 तक पूरी होगी। (व्यवधान)। मेरा कहना यह है कि जो हमारे नलकूप हैं उनको आप बनाने की परमीशन नहीं देते हैं। आप अपने विभाग को इस तरह के निर्देश दें दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बैठें।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मेरे जनपद में ऐसा कुछ वातावरण बना हुआ है कि यह कहा जा रहा है सिंचाई विभाग के जरिये कि किसान धान के पेड़ न लगायें। इससे मध्य प्रदेश के साथ जल विवाद चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

देव कुमार जी, कृपया बैठें। यह परम्परा है कि यदि आप कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहें तो केवल प्रश्न के रूप में ही पूछें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम जल्दी ही दिल्ली जा रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार से बात करके जल्दी से इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया बैठ जायें अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,08,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,93,20,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आज की कार्यसूची की मद संख्या 10, 11 तथा 12 के स्थगन का अनुरोध

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मैं नियम 110 (2) के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि जो शेष मदें हैं उनको आगे किसी दिन के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर ,मद संख्या 10, 11, 12 जो आज एजेन्डा में हैं उनको हटा कर किसी दूसरे दिन के लिए निश्चित कर दिया जाय ।

श्री देवकुमार यादव के स्पष्टीकरण की नोटिस न लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय

श्री अधिष्ठाता—

आज सुबह माननीय देव कुमार जी ने एक प्रश्न उठाया था और माननीय अध्यक्ष को लिखकर भी दिया था उस समय मैंने व्यवस्था दी थी कि चूंकि मैंने वह पत्र देखा नहीं है इसलिए जब तक मैं उसे देख न लूं उस वक्त तक कोई व्यवस्था देना मेरे लिये उचित नहीं होगा । वह पत्र अब मैंने देख लिया है । यह नियम 291(क) के अन्तर्गत आपने उसका हवाला देते हुए कहा है मैं सदन में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (डांगे गुट) का सदस्य हूं । लेकिन समाचार-पत्र कभी निर्दलीय कभी कम्युनिस्ट कभी कुछ लिख देते हैं । इस सम्बन्ध में जो नियम का उल्लेख किया है 291(क) इसको आप स्वयं देखें—कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेंगे यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न न हो, किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं उठाया जायगा और कोई वाद विवाद नहीं होगा । यह वैयक्तिक स्पष्टीकरण का मामला नहीं है । आपने सदन में जरूर उठाया है लेकिन यह सदन के बाहर समाचार-पत्र के बारे में है इसलिए यह विषय ग्राह्यता का नहीं बनता है । आपके बारे में समाचार-पत्र कभी निर्दलीय लिखते

हैं कभी कुछ लिखते हैं। यहां पर चर्चा चल रही है समाचारपत्र के प्रतिनिधि भी बैठते हैं उनसे आप बता सकते हैं।

नियम 51 की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार मैं सूचित कर रहा हूं कि आज कुल 12 सूचनायें मिली हैं। केवल इनमें से कुंवर रेवती रमण सिंह जी की सूचना जो रामनाथ सिंह की हत्या के बारे में है को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया है। इस पर वक्तव्य होगा। शेष अस्वीकार हैं।

आज की कार्यसूची की मद संख्या 10, 11 व 12 का स्थगन

श्री अधिष्ठाता—

इसके बाद जो आगे की मदें हैं उनके बारे में माननीय सदन की मंशा मैं देख रहा हूं। माननीय सदन की मंशा है कि शेष कार्यक्रम स्थगित करके आगे ले लिये जायं। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि उनको स्थगित कर दिया जाय और आगे जैसी कार्य मंत्रणा समिति व्यवस्था करेगी वैसा होगा।

अब हम सोमवार 11 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन सायं 7 बजकर 10 मिनट पर सोमवार, 12-8-1985 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ : 8 अगस्त, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर)

परिशिष्ट-1

विकास खण्डवार अनुदान की सूचना —

क्रम सं0	विकास खण्ड	तिलहन पर देय अनुदान	दलहन पर देय अनुदान
1	2	3	4
1	झझरी	27,991.55	75,856.82
2	पड़री कृपाल	22,549.30	78,997.80
3	इटिया थोक	21,384.16	76,365.86
4	कटरा बाजार	30,594.67	76,015.00
5	हल्धरमऊ	27,083.75	75,669.34
6	रूदईडीह	27,116.17	77,114.52
7	मुजेहरना	22,731.34	75,373.36
8	उतरौला	28,130.07	78,714.19
9	मनकापुर	21,997.15	75,378.92
10	बम्मुन ज्योति	19,759.25	75,431.66
11	छपिया	24,626.85	76,517,62
12	श्री दत्तगंज	20,999.67	76,132.03
13	गोण्डा बुजुर्ग	24,417.79	76,517.62
14	रेहरा बाजार	23,006.25	76,135.32
15	तरबगंज	28,686.54	78,145.40
16	परसपुर	27,543.17	75,328.10
17	बेलसर	33,538.35	76,300.70
18	बजीरगंज	24,820.81	76,829.18
19	नवाबगंज	20,306.17	75,434.48
20	कर्नलगंज	28,325.17	76,881.96
21	बलरामपुर	32,095.62	80,824.83
22	हरैया सतगरवा	26,331.35	76,354.02
23	जैसड़ी	32,600.65	78,738.40
24	पचपेड़वा	40,889.99	83,295.64
25	तुलसीपुर	22,461.70	77,079.10
26	जनपद मुख्यालय	—	60,022.35
	योग	6,59,987.49	19,31,064.80

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

जिला देवरिया में अप्रैल, 85 से जून, 85 तक की अवधि में क्रय किये गये गेहूं की ग्रेडवार एवं केन्द्रवार मात्रा का विवरण।

क्र0 सं0	क्रय केन्द्र का नाम	क्रय किए गए गेहूं की मात्रा (कुन्तल में)	
		गेहूं ग्रेड-1	गेहूं ग्रेड-2
1	2	3	4
1	देवरिया	2698.95	1690.05
2	बैतालपुर	6985.95	561.40
3	मथौली	19222.10	1085.85
4	बरहज बाजार	3349.50	9.50
5	तरकुलवा	7182.50	1477.75
6	गौरी बाजार	15942.90	1889.55
7	तमकही रोड	210.90	253.65
8	रामपुर कारखाना	4542.90	1408.40
9	कसया	11942.60	623.20
10	कप्तानगंज	15022.55	7921.15
11	हाटा	25568.35	3954.85
12	बांदूवार	18118.23	3138.61
13	पड़रौ बाजार	2673.09	74.52
14	राम कोला	2350.10	3326.43
15	दुधही	—	427.50
16	फाजिल नगर	3159.20	1235.95
17	नेबुआ नौरंगिया	1282.50	712.50
18	पड़रौना	7156.00	289.75
19	साधन सहकारी समिति पहाड़पुर	2280.00	—
20	पैकौली	2867.95	212.05
21	बलिया	2310.74	254.26
22	महीगंज	285.00	—
23	देसही देवरिया	2974.50	275.50
24	हरिमपुर	4902.50	38.00
25	दिघवाफाटक	3650.00	—
26	धमरूर	1775.00	—
27	रुद्रपुर	4667.00	274.25
28	देवरिया	3140.95	132.05

1	2	3	4
29—डुमरी		3276.00	9.00
30—कसहरी		900.00	—
31—तुरपट्टी		5468.23	81.77
32—जोकवा		1415.00	—
33—धन बलिया		2274.00	—
34—पिपरा जटामपुर		2080.00	—
35—भैंसही बाजार		6668.05	27.55
36—ढ़ाढ़ा बुजुर्ग		2910.00	135.00
37—अहिरौली		12950.81	372.80
38—रामनगर		105.00	—
39—बाघ नाथ		4841.00	19.00
40—बढ़या खुर्द		2808.00	—
41—ठूढां		2615.00	135.00
42—मिसरौली		3475.00	—
43—पिड़रा		2137.00	—
44—कोटवा		2754.00	133.00
45—महुअवा		2290.00	—
46—खड्डा		1173.00	—
47—बड़हरा नं0 2		1132.00	—
48—इन्दरपुर		18175.57	8.35
49—रामपुर		2780.00	—
50—भांगा		4391.97	59.55
51—लगड़ी		1710.00	—
52—भलुवनी		3031.10	103.90
53—अर्थौला		450.00	—
54—सलेमपुर		557.00	—
55—सुकरौली		5699.05	—
56—कुंवर स्थान		4665.95	—
57—सेख बनिया		2200.00	—
58—पकड़ी		2300.00	—
59—जटहा बाजार		500.00	—
60—सपहा		125.40	729.10
61—अधौली		600.00	—

पी0 एस0 यू0 पी0—36 वि0 सभा—9-9-85—813 (लाइनो)

उत्तर प्रदेश विधान सभा